लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
F. No.
On 24-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 31 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची / CONTENTS

अंक 27, शुक्रवार, 31 अगस्त, 1973/ 9 भाद्र, 1895 (शक)

No. 27, *Friday*, *August* 31, 1973/*Bhadra* 9, 1895 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		PAGE
521. चाय निर्यात कोटा के संबंध में चाय निर्यात करने वाले प्रमुख देशों के बीच नया करार	New Agreement Between Major Tea Exporting countries in respect of Tea Export quota	
522. राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट	Overdafts by States . . .	4—7
523. पूर्व के पड़ोसी देशों में रुपये के मूल्य में गिरावट	Fall in value of Rupee in Neighbouring countries in the East	7—9
524. स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन का पांडिचेरी का दौरा	Visits made by the Chairman of the SBI to Pondicherry	10—12
525. बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स द्वारा वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया जाना	Submission of a Memorandum by Bihar Chamber of Commerce to Finance Minister	12—15
526. नेपाल से गांजे की तस्करी	Smuggling of Hemp from Nepal . .	16—17
527. दुर्लभ आयातित वस्तुओं के वितरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली निश्चित प्रक्रिया	Set Procedure Followed by Private Organisations for distributing Scarce Imported Materials	17—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या	S. Q. No.	
528. पांचवीं योजना के दौरान पटसन का उत्पादन बढ़ाने संबंधी योजना	Plan to boost Jute Output during Fifth Plan period	18
529. श्रीलंका को केन्दु पत्तों का निर्यात	Export of Kendu leaves to Sri Lanka .	18

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + merked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1942 LS—1

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECTS	PAGE
530.	लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार में कमी होना	Decline in Trade with Latin American Countries	19
531.	वर्ष 1973–74 के दौरान परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य	Target for Export of Traditional Items During 1973-74	19
532.	दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे को अन्यत्र ले जाने का प्रस्ताव	Proposal to shift Safdarjung Airport, Delhi.	20
533.	1971–73 के दौरान काफी का निर्यात	Export of Coffee during 1971-72	20
534.	अभ्रक का निर्यात	Export of Mica . .	20
535.	पर्यटकों के देखने योग्य स्थानों को भिखारियों और दलालों (टाउट) से मुक्त रखने के लिये कार्यवाही	Steps to keep places of Tourists Interest free from Beggars and Touts . . .	21
536.	पटसन मिलों में पटसन के माल का भंडार जमा हो जाना	Accumulation of Stoks of Jute Goods with the Jute Mills	21
537.	कच्चे माल के अभाव में ऊन की रद्दी की (शोड्डी) मिलें बंद होने की स्थिति में	Shoddy Mills facing closure for want of Raw Material	22
538.	सांताक्रुज, बम्बई में एयर इंडिया के मुख्यालय के इंजीनियरिंग तथा ग्राउंड इक्विपमेंट डिवीजनों में कुछ नियंत्रकों द्वारा किये गये कदाचार	Malpractices indulged in by some controllers in the Engineering and Ground Equipment Divisions of Air India Headquarters at Santa Cruz, Bombay	22
539.	लैटिन अमरीका तक उड़ानों का विस्तार करने के बारे में एयर इंडिया द्वारा वार्ता	Negotiations by Air India for Extension of Flights to Latin America . . .	23
540.	केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को दिये जाने वाले भत्तों मे असमानता	Disparty in payment of Allowances to officers of Public sector Undertakings and Central Government	23

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. NO.	SUBJECT	PAGE
5089. प्रबंध समस्या के विकास के लिए प्रबंध अध्ययन का भारतीयकरण	Indianisation of Management Studies for Development of Management Problem .	23
5090. उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को लाइसेंस देना	Licences to liquor Shops in Uttar Pradesh	24
5091. गुजरात के सहकारी क्षेत्र में करघों में वृद्धि	Increase of Looms in Co-operative Sector in Gujarat	24
5092. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा केरल राज्य को दी गई राशि	Amount of Money Granted by IFC to State of Kerala	25
5093. भारतीय मछली निर्यातकों को जापान की मंडी की हानि .	Loss of Japanese Market to Indian Fish Exporters	26
5094. राज्य व्यापार निगम द्वारा पात्र आयात गृहों को लागत मूल्य पर आयातित कारों की बिक्री .	Sale of Imported Cars by STC to Eligible Import Houses at cost prices . . .	26
5095. मछली के निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयां .	Difficulties experienced by Fish Exporters	27
5096. सरकार द्वारा व्यापारियों से अपनी-अपनी वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिए की गई अपील .	Appeal made by Government to Traders to cut down prices in their respective dealings	27
5097. पंजाब नेशनल बैंक के लिपिक कर्मचारियों में भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अन्य कर्मचारियों द्वारा अधिक्रमण .	Supersession of Ex-emergency Commission Officers in the Clerical Staff of Punjab National Bank by other members of Staff .	28
5098. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उद्योगों को दी गई सहायता	Assistance given by IFC to Textile Industries	29
5099. वर्ष 1971 से 1973 तक जापान से आयात की गई वस्तुएं . .	Commodities imported from Japan during 1971-73	29
5100. बम्बई में पकड़ी गई तस्करी की वस्तुओं का मूल्य .	Value of Smuggled Goods seized in Bombay	29—30

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5101.	गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कोटे का दुरुपयोग	Misuse of Stainless Steel Quota in Madhya Pradesh during last three years.	30
5102.	वर्ष 1971–72 में मध्य प्रदेश द्वारा वापिस की गई राशि . .	Amount surrendered by Madhya Pradesh in 1971-72	30
5103.	बम्बई में कुछ लोगों के पास काला धन मिलने के कारण उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action against persons for black money found in their possession in Bombay . .	30—31
5104.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों तथा छोटे उद्योगपतियों को दिये गये ऋण	Loan Advanced by Nationalised Banks to Small Farmers and Small Industralists . .	31
5105.	बेगमपेट (हैदराबाद) की एयर टर्मिनल बिल्डिंग में व्यक्तियों के प्रवेश के लिये शुल्क लिया जाना	Levy and Collection of Fee for Admission of people into Air Terminal Building in Begumpet (Hyderabad) . . .	31—33
5106.	अर्थव्यवस्था सुधारने के लिये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से सुझाव आमंत्रित करना	Inviting of suggestions from reputed Economists for improving Economy . .	33
5107.	मेरठ में बिक्री कर की बकाया राशि	Arrears of Sales Tax in Meerut .	33
5108.	दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन कक्ष में लोगों के लिये स्थान की कमी	Shortage of Accommodation for public in Arrival Lounge of Delhi Airport . .	34
5109.	उत्तर प्रदेश में दैनिक जीवन के सामान के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of commodities of daily use in U. P.	34
5110.	चमड़ा उद्योग विकास तथा निर्यात प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of Leather Industries Development snd Export Authority	34—35
5111.	आर्थिक सहयोग के लिये इराक के साथ करार	Agreement with Iraq for ecnomic co-opration	35
5112.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम की क्रय प्रणाली में सुधार	Streamlining the buying pattern of M.M.T.C.	35

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5113.	भारतीय कपास निगम द्वारा कपास प्राप्त करने वाली कपड़ा मिलें	Textile Mills which were given cotton by CCI	35
5114.	बंगलादेश में रहने वाले भारत मूल के व्यक्तियों द्वारा बंगलादेश में छोड़ी गई सम्पत्ति के मुग्रावजे के लिए दिए गए ग्रावेदन-पत्र	Applications filed by Indian Residents of Bangladesh for compensation for property left in Bangladesh	36
5115.	उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा खाद्यान्नों तथा अन्य ग्रावश्यक वस्तुग्रों की बड़े पैमाने पर जमाखोरी ग्रौर कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाए गए कदम . .	Steps taken by U.P. Admisnistration to curb large scale hoarding and black marketing of foodgrains and other essential commodities	36
5116.	बाढ़ के कारण हुई हानि का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय दल का उत्तर प्रदेश का दौरा	Visit of Central Team to U.P. to assess loss caused due to floods . . .	37
5117.	पर्यटकों के ग्राकर्षण योग्य स्मारकों का सुधार	Improvement of Monuments of Tourist Interest	37
5118.	भारत में ग्रफीम का उपयोग	Consumption of opium in India . .	38
5119.	उड़ीसा सरकार द्वारा बिजली ग्रौर सिंचाई सुविधाग्रों के लिये विश्व बैंक से ग्रार्थिक सहायता की मांग	Financial assistance sought by Orissa from Word Bank for Electricity and Irrigation facilities	38
5120.	झाबग्रा (मध्य प्रदेश) में एलकलायड का निर्माण करने वाले एककों की स्थापना	Setting up of alkaloid manufacturing unit in Jhabua (M.P.)	38
5121.	महाराष्ट्र के एक मंत्री की तस्करी की गतिविधियों से कथित सम्बद्धता	Alleged involvement of a Maharashtra Minister in smuggling activities . .	39
5122.	जापान में सूखी चाय को प्रोत्साहन देने संबंधी ग्रान्दोलन तेज करना	Intensifying promotional campaign of Dry Tea in Japan	40

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5123.	नेपाल को उत्पाद शुल्क का वापस किया जाना	Refund of Excise duty to Nepal	40—41
5124.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा रूस को अभ्रक का निर्यात करने सम्बन्धी किया गया करार	Contract concluded by M.M.T.C. for export of Mica to Soviet Union . . .	41
5125.	एच० एम० टी० घड़ियों की भारत से तस्करी	Smuggling of HMT Watches out of India	41—42
5126.	योरोपीय साझा बाजार द्वारा जारी की जा रही नई मुद्रा के साथ भारत के रुपये का संबंध	Indian Rupees link with new currency being floated by ECM . . .	42
5127.	विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने के लिये खाद्य तथा कृषि और वित्त मंत्रालय के बीच तालमेल	Co-ordination between the Ministries of Food and Agriculture and Finance in fixing the prices of various commodities .	42—43
5128.	आस्ट्रेलिया को भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर आयात शुल्क में की गयी कमी का प्रभाव	Effect of reduction of import Tariff on the export of Indian goods to Australia .	43
5129.	पटना में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंक	Nationalised Banks functioning in Patna	44
5130.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया की पटना शाखा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बहाल करना	Reinstating of class IV employees of Reserve Bank of India in Patna	44—45
5131.	सेन्ट्रल बैंक अंशकालिक पास बुक लेखकों की कार्यकारी समिति के चेयरमैन की ओर से ज्ञापन का प्रस्तुत किया जाना	Submission of memorandum on behalf of Chairman, Action Committee of the Central Bank Part Time Pass Book Writers	45
5132.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवा लागत (सर्विस कास्ट)	Service costs in Nationalised Banks .	45
5133.	स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन, दिल्ली सर्कल, के निलंबित कर्मचारियों के विरुद्ध जांच के निष्कर्ष	Results of the enquiry against the suspended employees belonging to State Bank Staff Association, Delhi Circle . . .	46

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5134.	दिल्ली हवाई अड्डे पर इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के ग्लाइडपाथ का अनियमित रूप से कार्य करना	Erratic functioning of glide path of instrument landing system at Delhi Airport	46
5135.	राज्य व्यापार निगम का आयात-निर्यात बजट बनाने के बारे में निर्णय	Decision on Planning Export Import budget by STC	46-47
5136.	लेटिन अमरीका में संयुक्त उद्यमों की स्थापना	Setting up of Joint Ventures in Latin America	47
5137.	काहिरा में काम कर रहे चाय बोर्ड कर्मचारी	Staff of Tea Board serving in Cairo	47
5138.	हरियाणा स्थित मारुति लिमिटेड द्वारा शेयर पूंजी का विस्तार	Expansion of Share Capital by Maruti Limited, Haryana	47-48
5139.	एयर इंडिया के प्रबंधकों और इंडियन पायलटस गिल्ड के बीच 1960 में उड़ानों के संबंध में हुए समझौते का उल्लंघन	Violation of Agreement about flights entered into between the management of Air India and Indian Pilots Guild in 1960 . .	48
5140.	आल इंडिया रेलवे गार्ड्स काउंसिल द्वारा तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर असंतोष व्यक्त करना	Dissatisfaction of All India Railway Guards Council over the Recommendations of Third Pay Commission . .	48-49
5141.	अशोक होटल के वातानुकूलन विभाग से गुम हुए/चुराये गये उपकरण	Equipments Lost/Misappropriated from Air Conditioning Department of Ashoka Hotel	49
5142.	गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात	Export of Non-Traditional Goods	49-50
5143.	पालम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क विभाग के गोदाम और राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों का तस्करी कांड में कथित हाथ	Officials of Customs Godown and Directorate of Revenue Intelligence at Palam Airport Allegedly involved in Smuggling Racket	50-51

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5144.	देशी राज्यों के भतपूर्व नरेशों को अपने महलों को फाइव-स्टार होटलों में परिर्वातत करने के सबंध में दी गई अनुमति	Formei Rulers of princely States allowed to convert their palaces into Five Star Hotels	51
5145.	नार्कोटिक्स विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Narcotics Department	51
5146.	काफी बोर्ड में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए काफी बोर्ड अधिनियम और नियमों में संशोधन	Amendment of Coffee Board Act and Rules to provide for the additional Representation on the Coffee Board . . .	51-52
5147.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हवाई अड्डे बनाना	Establishment of Aerodromes during Fifth Plan	52
5148.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों का स्थानान्तरण	Transfers of Custodians of Nationalised Banks	52
5149.	मछुओं या उनके संगठनों द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए आयात हकदारी	Import Entitlements fot the Export of Marine Products by Fishermen or their Organisations	53
5150.	मैसूर राज्य में यान में शैल समूह (राक फारमेशन) के लिये प्रचार	Publicity of Rock Formation at Yan in Mysore State	53
5151.	वर्ष 1973 के दौरान पालम हवाई अड्डे पर विमानों को ध्वस्त कर देने के बारे में टेलीफोन पर दी गई धमकियों की सख्या	Number of Phone threats to blow up Planes received at Palam Airport during 1973 .	53-54
5152.	"वेस्ट आफ एक्सपोर्ट प्रोमोशन फंडस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	"Waste of Export Promotion Funds"	54
5153.	प्रत्यक्ष करों की वसूली में हेरा फेरी	Bungling in collection of Direct Taxes	54-55
5154.	केन्द्रीय विक्रय-कर की मैसूर में बकाया राशि	Outstanding Amount of Central Sales Tax in Mysore	55-56

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5155.	गत दो वर्षों के दौरान अन्य देशों को शराब का निर्यात	Export of Liquor to other Countries during last two years	56
5156.	वित्त मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध मामले को समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to drop the case against Hindi Officer in the Ministry of Finance	57
5157.	दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही	Action proposed to be taken by Government against Hindi Officer in the Ministry of Finance in view of adverse Remarks made in the Judgment of High Court of Delhi	57
5158.	जाली मुद्रा का परिचालन	Circulation of Fake Currency	57-58
5159.	योरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का सम्मिलित होना	Britain's Entry into ECM	58
5160.	फर्नीचर का निर्यात	Export of Furniture	58-59
5161.	1970, 1971 और 1972 के वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित ऐल्किल बेंजन/डोडेसिल बेंजीन की मात्रा	Quantity of Alkyle Benzene/Dodecycle Benzene Imported by STC during 1970, 1971 and 1972	59
5162.	राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय मरुस्थलीय पार्क बनाने का प्रस्ताव	Proposal to set up a National Desert Park in Bikaner, Jaisalmer Barmer areas of Rajasthan . . .	59-60
5163.	गत तीन वर्षों में सुधारे गये हवाई अड्डों की संख्या	Number of Airports improved during the last three years	60
5164.	देश में होटलों में शयन-कक्षों की उपलब्धता	Availability of Bed Room Accommodation in Hotels in the country . .	60
5165.	परम्परागत विमानों के स्थान पर कोई अन्य विमान प्राप्त करने के लिए की जा रही कार्यवाही	Steps being taken to have some alternative to conventional Aircrafts . . .	60
5166.	ब्रिटेन से ऋण के लिए समझौता	Agreement for Loan from U.K.	60-61

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5167.	भारत, युगोस्लाविया और मिश्र के बीच त्रिपक्षीय करार	Tripartite ageement between India, Yugoslavia and Egypt	61
5168.	कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पड़ौसी देशों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Neighbouring countries under Colombo Plan . . .	62
5169.	वेक्यूम (निर्यात) फ्लास्कों का निर्यात	Export of Vacuum Flasks	62-63
5170.	सूती कपड़ों, टुकड़ों और सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात	Export of Cotton Textiles, Piece Goods and Readymade Garments . . .	63
5171.	बैंकों द्वारा ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण शाखाओं से धन निकालकर नगरों और शहरों की शाखाओं में डालना	Diversion of Funds by Banks from Rural and Semi-Rural Branches to towns and cities	64
5172.	आखेट पक्षियों की बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद देश के होटलों में उनकी बिक्री	Game Birds being served in Hotels in the country despite ban on their Sale .	64-65
5173.	भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध की गतिविधियों के सम्बन्ध में लेख	Article Regarding Activities of ITDC Management	65
5174.	सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई में ड्यूटी फ्री शाप के मैनेजर को अवैध रूप से विदेशी मुद्रा तथा अन्य ड्यूटी फ्री सामान रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाना	Manager of Duty Free Shop at Bombay arrested by Customs for illicit possession of Foreign Exchange and Duty Free Goods	65-66
5175.	भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक की वेतन वृद्धि के लिए पुनरीक्षण	Revision for enhancement of Salary of Chairman and Managing Director of ITDC	66
5176.	भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी संघ की मांगों का निपटारा	Settlement of Demands of ITDC Employees Union	66-67
5177.	भारतीय पर्यटन विकास निगम की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के विरुद्ध आरोप	Allegations against A Senior Lady Official of ITDC	67

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5178.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की शर्तें	Terms of Payment of DA to LIC Employees	67-68
5179.	मेहता प्रिंटिंग प्रैस, उज्जैन	Mehta Printing Press, Ujjain . . .	68
5180.	मई, 1973 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स की कलकत्ता-अगरतल्ला की उड़ानों का रद्द किया जाना	Calcutta-Agartala Flights of Indian Airlines cancelled during May, 1973 . . .	68
5181.	जाली भारतीय नोटों को रखने के संबंध में व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrests of persons in connection with Possession of Fake Indian Currency Notes	69
5182.	आयकर खुफिया तथा जांच विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना	Strengthening of Income Tax Intelligence and Investigation Department . .	69
5183.	मैसूर द्वारा सहकारी क्षेत्र में विद्युतकरघों का आवंटन	Allotment of Powerlooms by Mysore State in the Co-operative Sector . . .	69-70
5184.	वर्ष 1973-74 में टकसालों द्वारा छोटे सिक्कों का निर्माण	Production of Small Coins by Mints in 1973-74	70
5185.	धागे की वर्तमान वितरण प्रणाली के कारण बुनकरों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयां	Financial Difficulties faced by Weavers due to present system of Yarn Distribution.	70
5186.	पश्चिम बंगाल में ध्वनि और प्रकाश परियोजना शुरु करने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव	Selection of a suitable site for Mounting Sone Et Lumiere Project in West Bengal	70-71
5187.	विदेशी पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा का भुगतान	Payment by Foreign Tourists in Foreign Currency	71
5188.	नायलान की कताई करने वालों को केपरोलेक्टम उपलब्ध कराने में राज्य में व्यापार निगम की असफलता	Failure of STC to provide Caprolactum to Nylon Spinners	71
5189.	सोने के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of gold . .	72-73

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5190.	गांवों और नगरों में नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिये दुकानों का खोला जाना	Opening of Shops for sale of Controlled Cloth in Rural and Urban Areas	73-74
5191.	इंडियन एयरलाइंस द्वारा गत तीन वर्षों में निलंबित की गई सेवाओं से प्रभावित मार्ग	Routes on which Services have been suspended by Indian Airlines during the last three years	74
5192.	लातीनी अमरीकी देशों में एयर इंडिया के एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Air India Agents in Latin American Countries . . .	74
5193.	लातीनी अमरीकी देशों में एयर इंडिया के कार्यालय खोलने का प्रस्ताव	Proposal to open Air India Offices in Latin American countires	75
5194.	किसानों के लिए कच्चे पटसन का लाभप्रद मूल्य	Remunerative Price of Raw Jute for Cultivators	75
5195.	बंगला देश से कच्चा पटसन आयात करने की दीर्घावधि योजना	Long Term Plan of Importing Raw Jute from Bangladesh	76
5196.	मैसर्स एक्स्पैरीमेंट इन इन्टरनेशनल लिविंग्ज द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा के सौदों की जांच	Inquiry into Foreign Exchange Dealings by M/s. Experiment in International Livings	76
5197.	उद्योग के निर्यात उत्तरदायित्वों संबंधी वर्तमान नीति में परिवर्तन	Revision of the Present Policy on Export Obligations on Industry . .	76-77
5198.	सरकार द्वारा कच्चे पटसन के औसतन मूल्य के भुगतान के बारे में मिल संघ को सुझाव	Suggestions by Government to Jute Mills Association for Payment of Average price of raw jute	77
5199.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशों में खानों की खरीद	Purchase of Mines by MMTC in Foreign Countries	78
5200.	अशोक होटल वर्करस एसोसिएशन द्वारा अंतरिम राहत की राशि के भुगतान की मांग	Demand by Ashoka Hotel Workers Association far Payment of Interim Relief	78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5201.	अशोक होटल में काम कर रहे पंजीकृत/मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ	Registered/Recognised Trade Unions which are working in Ashoka Hotel . . .	78-79
5202.	नेशनल कैपीटल रिजन स्कीम	National Capital Region Scheme	79
5203.	विदेशी कम्पनियों द्वारा धन का बाहर भेजना	Remittances by Foreign Companies	79-80
5204.	स्टेट बैंक आफ इंडिया की पेटलाड शाखा में चोरी	Theft in Petlad Branch of SBI	80-81
5205.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में चोरियां और जालसाजी की घटनाएं	Thefts and Frauds in Nationalised Banks	81
5206.	पिछड़े क्षेत्रों के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया की ऋण संबंधी योजना का कार्य	Working of SBI Credit Scheme for Backward Areas	81-83
5207.	अजन्ता टैक्सटाइल मिल, गाजियाबाद का बंद होना	Closure of Ajanta Textile Mills, Ghaziabad	83
5208.	वर्ष 1973–74 के दौरान ईरान से सूखे फल आयात करने संबंधी नीति की घोषणा	Announcement of policy for the Import of Dry Fruit from Iran during 1973-74	83-84
5209.	केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पटना में पर्यटक स्वागत केन्द्र वं मोटल का निर्माण	Construction of Tourist Reception Centre cum Motel by Central Tourism Department at Patna	84
5210.	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के बारे में जीवन बीमा निगम की नीति	Policy of LIC in regard to providing of employments to educated unemployed	84
5211.	ग्रामीण तथा शहरी डाकघरों द्वारा अल्पबचत योजना के अंतर्गत संग्रहीत राशि	Collection under small saving schemes through village and city post offices	84
5212.	भारत को अमरीकी सहायता	US aid to India	85
5213.	कृत्रिम रबड़ के मूल्य निर्धारित करना	Fixing prices of Synthetic Rubber	85
5214.	किसान सेवा सहकारी समिति का जाल बिछाने का प्रयास	Organisation of net work of Farmers Service Co-operatives Society	86

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5215.	इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए योजना	Plan to boost export of Engineering Goods	86-87
5216.	टेनिस के अग्रणी खिलाड़ी श्री विजय अमृत राज द्वारा जीते गए पारितोषिकों पर आयकर तथा सीमा शुल्कों की अदायगी की छूट देना	Exemption from payment of Income-Tax and Customs Duty on awards won by Shri Vijay Amritraj, Tennis Star . .	87
5217.	दक्षिण में कुछ कमर्शियल सर्किलों द्वारा माल के विलंब से भेजे जाने के बारे में इंडियन एयरलाइन्स के विरुद्ध शिकायत	Complaints by certain commercial circles in South against Indian Airlines for delay in Transport of Cargo	88
5218.	पटसन से बने सामान के निर्यात-कर्ताओं के सम्मुख समस्यायें	Problems before exporters of Jute Goods .	88-89
5219.	वर्ष 1973–74 में दादर और नागर हवेली क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिये निर्धारित धन राशि	Amount Earmarked for Development of Tourism in Dadra and Nagar Haveli area during 1973-74	89
5220.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों को दिया गया ऋण	Advances made by Reserve Bank of India and other Institutions to different regions	89
5221.	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से निष्क्रांत व्यक्तियों को दिये गए अनुग्रहपूर्वक अनुदान	Ex-gratia grants given to Evacuees from former East and West Pakistan . .	90-91
5222.	वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवेदकों को दिए गए ऋण	Loan Advanced to Applicants by Financial Institutions	91-93
5223.	राज्यों में जमा राशि और ऋणों के बीच असमानता	Disparity between Deposits and Loans in States	93-94
5224.	1 अगस्त, 1973 को एक अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति द्वारा इंडियनएयर लाइंस के एक कर्मचारी को तमाचा मारने के समाचार की जांच	Enquiry into allegedly slapping of an Indian Airlines employee by a VIP on 1st August, 1973	94

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5225.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नये रोजगार पैदा किया जाना	Creatrion of new jobs by Nationalised Banks	94
5226.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्डों और प्रबंधक वर्ग में रिक्त पड़े पद	Vacancies in Boards of Directors and Management of Public Sector Undertakings	94
5227.	यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं में प्रयोग में आने वाले डीज़ल तेल पर उत्पादन-शुल्क की अदायगी से मुक्ति	Exemption from payment of excise Duty on Diesel oil used in Mechanised Fishing Boats	95
5228.	दिल्ली स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से नकदी के बक्स का गायब हो जाना	Disappearance of Cash Box from the Central Bank of India, Delhi	95
5229.	विभिन्न उपक्रमों में जीवन बीमा निगम के शेयरों की बिक्री	Sale of LIC shares in various undertakings .	95
5230.	दिल्ली हवाई अड्डे पर 6 अगस्त, 1973 को क्षतिग्रस्त हुआ इंडियन एयरलाइन्स का वाइकाउंट विमान	Indian Airlines Viscount Aircraft dameged near Runway at Delhi Airport on 6th August, 1973	96
5231.	न्यू इंडिया इन्शोरेंस कम्पनी और जनरल इन्श्योरेंस में अनियमितताओं के बारे में संसद् सदस्य से प्राप्त पत्र	Communication Received from Member of Parliament in regard to Irregularities in New India Insurance Company and General Insurance	96-98
5232.	विदेशी कम्पनियों के व्यापारिक नामों का प्रयोग करने के लिये भारतीय कम्पनियों को अनुमति	Permission to Indian Companies for using Trade Names of Foreign Companies .	98-99
5233.	कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत विदेशी कम्पनियों का पंजीकरण	Registration of Foreign Companies under Companies Act	99
5234.	विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश भेजे जाने वाले धन पर प्रतिबंध	Restriction on Repatriations by Foreign Companies	99-100
5235.	विश्व बैंक से भारत को दी जाने वाली सहायता में कमी	Reduction in World Bank aid to India	100

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5236.	वम्बई में निषिद्ध माल का पकड़ा जाना	Seizure of contraband Goods in Bombay	100-101
5237.	डेनमार्क तथा आयरलैंड को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textiles to Denmark and Ireland	101
5238.	दिल्ली से पटना होकर कलकत्ता के लिये विमान की प्रातःकाल की उड़ान मध्याह्न में करने का प्रस्ताव	Proposal to change Timings of Delhi to Calcutta *via* Patna Flight from Morning to Afternoon	101
5239.	देश की प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा सेवित जन संख्या	Population served per Bank Branch in the country	102-103
5240.	चौथी पंचवर्षीय योजना में अल्प-बचत योजना के अंतर्गत धन संग्रह करने के लक्ष्य	Targets for Small Savings Collection during Fourth five year Plan	103-104
5241.	देश में गैर-आवश्यक वस्तुओं का आयात	Import of Non-Essential Commodities in the country	104-105
5242.	इंडियन एयरलाइंस के कार्यकरण की जांच करने के लिये नियुक्त विभागीय समितियों के प्रतिवेदन	Reports of Departmental Committees set up to go into the working of Indian Airlines	105
5243.	वर्ष 1972–73 में ऊन की रद्दी (शोडी वूल) के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Shoddy Wool during 1972-73	105
5244.	फार्म परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from World Bank for Farm Projects	106
5245.	राजस्थान में फर्मों के नाम 1 लाख रुपये से अधिक आय-कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax above Rs. 1 lakh against Firms in Rajasthan	106
5246.	निगमित करों की बकाया राशि	Arrears of Corpotate Tax	106-108
5247.	भारत में पर्यटक होटल स्थापित करने के संबंध में सहयोग करार	Collaboration agreements in the Field of Setting up Tourist Hotels in India.	109
5248	गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कारखानों द्वारा ऊनी कपड़े का निर्यात	Export of Woollen Cloth by Different Factories during last three years	110

U.S.Q. No.		SUBJECT	PAGE
5249.	उत्तर बंगाल में अपमिश्रित चाय का व्यापार होना	Existence of Trade of Adulterated tea in North Bengal	110-111
5250.	सूत नियंत्रण के मामले में विद्युतचालित करघा बुनकर संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Powerloom Weavers Federation on the Issue of Yarn Control	111
5251.	परम्परागत और गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात	Export of Traditional and Non-Traditional Items	112
5252.	अशोक होटल में 'इन्वेंटरी रजिस्टर' रखा जाना	Maintenance of Inventory Registers in Ashoka Hotel	113
5253.	नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में दुकानें खोलना	Opening of Shops in Rural and Backward Areas for the sale of controlled Cloth .	113
5254.	मूल्य सूचकांक में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत देना	Sanctioning of Interim Relief to Government Employees as a result of Rise in Price Index	113-114
5255.	गुजरात में आयकर के बाकीदार	Income tax defaulters in Gujarat	114
5256.	गुजरात राज्य द्वारा मछली का निर्यात	Export of Fish by Gujarat State.	114
5257.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देना	Providing of Financial Assistance by nationalised banks to increase Agricultural production in drought affected areas . .	114-115
5258.	छोटे नोट जारी न करने के परिणामस्वरूप बचत खातों वाले लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां	Facing of difficulties by Account Holders of Saving accounts as a result of non-Issue of currency notes of Small Denomination.	115
5259.	किसानों को दिये गये अल्पावधि ऋणों को मध्यम-अवधि के ऋणों में बदलने की भारतीय रिजर्व बैंक की योजना	RB I S Scheme for conversion of Short Term Loans advanced to Agriculturist into Medium Term Loans . . .	115-116
5260.	भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं के नाम तथा स्थान	Names and locations of Branches of Foreign Banks in India	116

1942 LS—2

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5261.	बैंक कर्मचारियों के यूनियनों और एसोसियेशनों को मान्यता देना	Recognition to Unions and Associations by Bank Employees	116-117
5262.	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किराया-खरीद ऋण व्यवस्था	Hire Purchase credit business by commercial Banks	117
5263.	जापान की ओर से गैर-सरकारी पूंजी-निवेश	Private Investment from Japan .	117-118
5264.	अशोका होटल में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को नियमित करना	Regularisation of workers on Daily Wages in Ashoka Hotel	119
5265.	अशोका होटल कर्मचारी संघ और अशोका होटल एम्प्लाइज यनियन, जिनके विरुद्ध श्रमिकों ने अविश्वास प्रकट किया, के साथ प्रबंधकों की बातचीत	Negotiations by Management with Ashoka Hotel Karamchari Sangh and Ashoka Hotel Employees Union in whom workers have shown Distrust	119
5266.	दिल्ली में आयकर की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों पर विलम्ब से कार्यवाही	Delayed action on Complaints against Income Tax Evaders in Delhi . .	120
5267.	वर्ष 1973 में अनुकूल व्यापार सतुलन की प्राप्ति	Achieving of Favourable Trade Balance in 1973	120
5268.	ए० बी० एस० रेजिन/ए० बी० एस० मौल्डिंग पाउडर के सीधे आयात के लिए कम्पनियों को दिये गये आयात लाइसेंस	Import Licences given to concerns for Direct Import of ABS Resin/ABS Moulding Powder	120-121
5269.	ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश के प्रभावों संबंधी लंदन के ओवरसीज डिवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया अध्ययन	Study Undertaken by Overseas Development Institute of London on the effect of Britain's entry into EEC	121
5270.	अगरतल्ला से बरास्ता केलाशहर सिलचर तक के लिए यात्री विमानसेवा चलाने का प्रस्ताव	Proposal to operate passenger flight from Agartala to Slichar Via Kailsahar . .	121-122

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5271.	क्षेत्रीय आधार पर चाय पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क को युक्ति संगत बनाना	Rationalising the Excise Duty on Tea imposed on Zonal basis	122
5272.	वर्ष 1972–73 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance allowed to employees of Indian Airlines during 1972-73	122-123
5273.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अभ्रक का निर्यात अपने हाथ में लेने के पश्चात् अभ्रक के निर्यात में वृद्धि/कमी	Increase/decrease in the export of Mica since its take over by MMTC	123
5274.	पटसन वसूली के लिये एक समिति की स्थापना	Setting up of a Commmittee for Jute Procurement	123
5275.	25 जुलाई, 1973 को हैदराबाद और बम्बई के बीच उड़ान संख्या आई०सी० 120 के यात्रियों के प्रति बेगमपेट हवाई अड्डे पर अधिकारियों का कथित कठोर व्यवहार	Allegedly callous attitude of Officials at Begumpet Airport towards the passengers of fight No. IC 120 between Hyderabad and Bombay on 25th July, 1973	124
5276.	सूत के वितरण के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना	Constitution of an Independent authority for distributuon of Yarn	124
5277.	मंत्रालयों में जीवन बीमा निगम की 'टर्म बीमा' योजना का कार्यकरण	Functioning of LIC Scheme of Term Insurance in Ministerics	124-125
5278.	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों का समयोपरि भत्ता बंद करना	Stoppage of Overtime Allowance in respect of employees working in nationalised banks and LIC in the light of recommendations of Third Pay Commission	125
5279.	जनता के पास मुद्रा की राशि	Amount of currency with the public	125
5280.	मूल्यों को स्थिर करने का प्रस्ताव	Proposal to Freeze Prices	126

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGE
5281.	इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में लघु उद्योगपतियों के लिए आयात सुविधाएं	Import Facilities for Small Scale Industrialists in the Field of Electronics	126
5282.	इंडियन एयरलाइंस में रद्द करवाई गई टिकटों के किराये की वापसी संबंधी नियम	Rules for Refunding Fares for Cancellation of Tickets in Indian Airlines	126-127
5283.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भर्ती किये गये कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees Recruited by Nationalised Banks after Nationalisation .	127-128
5284.	बैंकों में जमा धनराशि	Deposits in Banks	128
5285.	भारतीय पर्यटन विकास निगम की मासिक पत्रिका 'यात्री' की लागत	Cost of ITDCs Monthly Bulletin 'Yatri'	129-130
5286.	नायलोन धागे के मूल्य को बजट-पूर्व स्तर तक कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये निदेश	Directives issued by Government to Lower Down Prices of Nylon Yarn to Pre-Budget Level	130
5287.	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मेवों का आयात	Canalisation of Import of Dry Fruits through STC	130
5288.	बाढ़ तथा सूखा से प्रभावित होने वाले लोगों को राहत देने के लिए त्रिपुरा को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Tripura for Giving Relief to People affected by Flood and Drought	130-131
	अतारांकित प्रश्न संख्या 853 दिनांक 27 जुलाई, 1973 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Correcting Statement to U.S. Q. No. 853 dated 27-7-1973	131
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	132-135
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	135
	(एक) 28वीं से 31वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये	(i) Minutes of 28th to 31st Sittings—Laid	
	(दो) 31वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	(ii) Thirty first Report—Adopted	

194 अ॰ प्र॰ संख्या विषय

U.S.Q. No.	SUBJECT	PAGE
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	135
भोपाल और इन्दौर में खाद्यान्नों संबंधी दंगों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Food Riots in Bhopal and Indore	136
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचनों के लिए दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा इश्तहारों के कथित मुद्रण के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Alleged Printing of Posters by DAVP for Delhi University Students Union Elections	136
भारत-पाकिस्तान समझौते पर चर्चा के बारे में	Re. Discussion on India—Pakistan Agreement	136-137
पांचवीं योजना के संबंध में दृष्टिकोण के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Approach to the Fifth Plan .	137-147
श्री डी॰ पी॰ धर	Shri D.P. Dhar	137-140
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee . .	140-143
श्री बी॰ आर॰ भगत	Shri B.R. Bhagat . .	143-144
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey . .	145
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	145-146
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar .	146
श्री एम॰ रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ramgopal Reddy .	146
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	147
संवाददाताओं को दो प्रश्नों के उत्तर ने परिचालित किये जाने के बारे में	Re. Non-circulation of Answers to two Questions to the Press Correspondents . .	147
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	147
वर्तमान लोक सभा को संविधान सभा घोषित किये जाने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया	Resolution Re. Declaration of present Lok Sabha as constitutent Assembly—Withdrawn	148-159
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	148
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	150
श्री एस॰ ए॰ कादर	Shri S.A. Kader .	150
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi . .	152
श्री एम॰ रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . . .	154
श्री पी॰ नरसिम्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy . .	154

	SUBJECT	PAGE
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran . .	154
श्री मूलचंद डागा	Shri M.C. Daga .	155
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	155
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen . .	156
श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale. .	157
सरकार कब त्यागपत्र दे, ऐसी परिपाटी की स्थापना के बारे में संकल्प	Resolution Re. Establishement of convention when Government should resign . .	159
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	159
बाणसागर परियोजना को स्वीकृति में विलम्ब के बारे में चर्चा	Discussion Re. Delay in the clearance of the Bansagar Project	159
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	159
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	160
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	160
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	160
श्री नरेन्द्र सिंह	Shri Narendra Singh .	161
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	161
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar . . .	161
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma .	161
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik .	161
डा० के० एल० राव	Dr. K.L. Rao . . .	163

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 31 अगस्त, 1973/9 भाद्र, 1895 (शक)
Friday, August 31, 1973 Bhadra 9, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order under Rule 38.

Mr. Speaker: Let the Question-Hour start. You can raise your point of order later on.

Shri Madhu Limaye: My point of order relates to the Question Hour itself. I had tabled a Starred Question regarding a Minister of Maharashtra Government, whose security guard had slapped a Customs Officer. I had addressed that question to the Prime Minister, because I wanted the matter to be enquired into by Revenue Intelligence and C.B.I. That question had received Priority No. 1 among questions and I had also accorded top priority to that question, but that question was transferred to the Minister of Finance without my permission, as a result of which I had lost my priority and that question has become Unstarred today. (Interruptions)

Mr. Speaker, Sir, why these people are shouting? I have met you regarding this question (Interruptions). As I have already explained that this question was transferred to the Finance Minister and it could not be admitted in the Starred List of Questions and the priority which I had got for that particular day has been lost and I, therefore, cannot ask any supplementary questions. Hence, whenever such border line questions are received, you should also inform the Ministers as well as the Members concerned. If I had been at fault, I could not have raised a point of order. But according to the Presidential. Notification, the Revenue Intelligence and CBI come under Department of Cabinet Affairs i.e. under the Prime Minister herself and that is why I had addressed the ques-

tion to the Prime Minister. It is an important issue. I had written a letter to the Prime Minister in this regard. She has assured me that she would enquire into it. I ave received a letter from her. This is a point of order.

Mr. Speaker: There is no point of order. You have said that the Prime Minister did not keep the question with her and transferred to another Minister. It is the right of the Minister. So far as the question of your priority is concerned, I would examine it and see as to what is the position. It is, the right of a Minister to transfer a question.

चाय निर्यात कोटा के सम्बन्ध में चाय निर्यात करने वाले प्रमुख देशों के बीच करार

***521. श्री भान सिंह भौरा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय निर्यात कोटा के सम्बन्ध में चाय निर्यात करने वाले प्रमुख देशों के बीच एक नया करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . प्रमुख उत्पादक देशों से चाय निर्यातों को विनियमित करने के लिये 1 जनवरी, 1970 से लागू अनौपचारिक प्रबन्ध के क्रम में 2 से 4 जुलाई, 1973 तक खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में चाय निर्यातकों के उपसमूह का छठा सत्र रोम में आयोजित किया गया जिसमें 15 चाय निर्यातकर्त्ता देशों के सम्बन्ध में 1973–74 तथा 1974–75 के लिये नये निर्यात कोटे निश्चित किये गये, जो कि कुल विश्व चाय निर्यातों के लगभग 95 प्रतिशत के बराबर थे। 1973–74 और 1974–75 के लिये समस्त विश्वव्यापी चाय निर्यात क्रमश 65.7 करोड़ किग्रा० और 68.1 करोड़ किग्रा० हैं । भारत का भाग 1973–74 के लिये 21.7 करोड़ किग्रा० और 1974–75 के लिये 22.43 करोड़ किग्रा० है।

श्री भान सिंह भौरा: क्या यह सच है कि चाय का निर्यात करने वाले प्रमुख देशों जैसे ब्रिटेन और अमरीका में हमारी चाय की बहुत मांग है। क्या ऐसा हमारी निर्यात नीति के कारण है जिसे विश्व स्वीकार करता है ? चाय का हमारा मूल्य बढ़ता जा रहा है लेकिन उत्पादन लागत में वृद्धि और अन्य देशों से चाय प्राप्त करने के कारण उन देशों में इसकी मांग नहीं बढ़ रही है ।

श्री ए० सी० जार्ज : यह सच है कि ब्रिटेन हमारा सबसे प्रमुख पारम्परिक चाय का खरीदार है। लेकिन हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप में चाय का उत्पादन करने वाले अन्य नये देश आ गये हैं। उनमें से अधिकांश स्ट्रलिंग कम्पनियां है जिनमें केवल ब्रिटेन की खरीदारी में रुचि है । मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि चाय का मूल्य बढ़ गया है। वास्तव में चाय एक ऐसी वस्तु है जिसके मूल्य में कमी हुई है ।

श्री भान सिंह भौरा क्या यह भी सच है कि हमने अन्य अपेक्षाकृत छोटे देशों जैसे श्रीलंका की तुलना में कम प्रोत्साहात्मक उपाय किये हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज: हमने अच्छे प्रोत्साहात्मक प्रयास किये हैं। लेकिन उनमें निश्चित रूप से सुधार करने की गुंजाइश है। हम चाय सम्बन्धी प्रगतिशील नीति बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री दिनेशचंद्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि गत वर्ष खाद्य तथा कृषि संगठन का 20 करोड़ किलोग्राम का निर्धारित कोटे का लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सके ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चाय का मूल्य कम हो रहा है और उसकी उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है, क्या सरकार चाय के सम्बन्ध में अपनी निर्यात नीति का पूर्णतया पुर्नविलोकन करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज: चालू वर्ष अर्थात 1972 में 20 करोड़ 73 लाख किलोग्राम भारतीय चाय का निर्यात किया गया। यह सच है कि हम इस बारे में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस सम्बन्ध में हमारा कार्य बुरा नहीं रहा है। जहां तक चाय निर्यात कर्त्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं का सम्बन्ध है मेरे विचार से उन्होंने जोनल प्रणाली के सीमा शुल्क की उल्लेख किया है। हम इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : क्या ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने से हमारे चाय निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : प्रत्यक्ष रूप से शायद प्रभाव न पड़े। लेकिन जैसा मैंने कहा हमारी समस्या चाय का उत्पादन करने वाले नये अफ्रीकी देशों से सम्बन्धित है जबकि ब्रिटेन की इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रुचि है।

Shri Hukam Chand Kachwai: I want to know whether it is a fact that enough money is being spent on the tea houses run in the name of Indian tea houses and there is no income in those tea houses. The countries to whom we supply pure tea do not sell it as it is. They mix it with the tea of some other countries and sell it that way. So as a result of it the true opinion with regard to our tea is not known.

I want to know whether before making an agreement for selling tea a condition will be imposed that our tea should be sold in the pure form i.e. without mixing it with some other country's tea?

Mr. Speaker: Have you seen the question?

Shri Hukam Chand Kachwai: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Please read it again. The question says: whether a new agreement has been arrived at between major tea exporting countries regarding tea export quota and if so, the broad lines thereof.

Shri Hukam Chand Kachwai: My question was that some countries did not sell our tea in the pure form and mix it so I want to know whether before making an agreement .

अध्यक्ष महोदय : यदि उक्त प्रश्न आप उचित समझते हैं तो उसका उत्तर दे दें।

श्री ए० सी० जार्ज : यदि वह जोर देते हैं तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता हूं। स्वभावतया भारतीय केन्द्र केवल भारतीय चाय बेच रहे हैं तथा भारतीय चाय को प्रोत्साहन दे रहे हैं। माननीय

सदस्य का शायद यह आशय है कि उक्त केन्द्र उचित रूप से काम नहीं कर रहे हैं। हमारा विचार उन केन्द्रों को भारतीय पर्यटन विकास निगम को सौंपने का है जो उन्हें वाणिज्यिक दृष्टिकोण से चलायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai: My question has not been answered. I want to know whether before entering into agreement with some countries a condition is imposed that they will not sell our tea mixing with other countries' tea?

अध्यक्ष, महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

राज्यों द्वारा ओवर-ड्राफ्ट

***522. श्री शंकर दयाल सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट की स्थिति जुलाई, 1973 में क्या थी;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा ओवरड्राफ्ट लेने के लिये कोई सीमा तथा मानदण्ड है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 31 जुलाई, 1973 को राज्यवार ओवर-ड्राफ्ट की बकाया रकम इस प्रकार थी :

1. बिहार	0·84 करोड़ रुपये
2. राजस्थान	0·61 ,, ,,

(ख) और (ग). राज्य सरकारों के लिये अब यह सम्भव नहीं है कि वे ओवरड्राफ्ट को बजट सम्बन्धी साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। प्रक्रिया के अन्तर्गत जिसे योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तैयार किया गया है और जो पहली मई, 1972 से लागू हो गयी है, यदि कोई राज्य सरकार लगातार 7 दिन तक ओवरड्राफ्ट रखती है तो रिजर्व बैंक स्वतः अदायगी निलम्बित कर देगा जो केवल उसी समय शुरू की जायगी जब ओवरड्राफ्ट समाप्त हो जायेगा।

Shri Shankar Dayal Singh: I do not know how far the policy decided by the Government regarding Overdrafts is being implemented. I therefore, want to know the names of those States who have taken more Overdrafts after the ceiling fixed and the Government have stopped payments thereof. I also want to know what instructions have been issued to State Governments regarding the payments of Overdrafts?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : योजना के अन्तर्गत किये गये वास्तविक अच्छे कार्य का अनुमान लगाया जा सकता। पहले वर्ष में, चूंकि योजना नई थी, कठिनाइयां होना स्वाभाविक था। राज्य सरकारों को इस बारे में समायोजन करना था। 1972–73 में योजना के अन्तर्गत संतोषजनक कार्य हुआ है चूंकि मार्च के अन्त तक ओवरड्राफ्ट की राशि केवल लगभग 51 करोड़ रुपये रह गई थी जबकि उक्त राशि इससे पहले वर्ष में 400 करोड़ रुपये थी। अतः मैं यह कह सकता हूं कि योजना के अन्तर्गत अच्छा कार्य हो रहा है।

Shri Shankar Dayal Singh: My question was regarding the instructions given to Reserve Bank to stop payment in case the overdraft is issued beyond prescribed limit. I want to know whether any such case arises in some States?

Shri Yeshwantrao Chavan: They have to make payments within seven days. It is a well established practice.

Shri Shankar Dayal Singh: I want to know whether any State Government omit this rule?

Shri Yeshwantrao Chavan: It has happened in several cases.

Shri Shankar Dayal Singh: The names of the States who omit these rules.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार से ऐसा मंत्रालयों के बारे में किया जाना चाहिये क्योंकि उन्हें वित्तीय सहायता देनी होती है और फिर वे उसका समायोजन करते हैं और भुगतान करते हैं ।

Shri Shankar Dayal Singh: Formally, the States used to give financial assistance to the Centre but now the economic structure has changed and the Centre gives financial assistance to the States. As a result of it economic devaluation is increasing rapidly. There is no alternative to fulfil this gap except printing currency notes.

I want to know whether the Finance Minister will make such arrangements that no States in future take more money in the form of Overdrafts. The amount for the States should be fixed on the basis of their population. The Government should make such arrangements that no States should be allowed to withdraw move than the limit fixed.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में यही हमारी योजना है । सरकार ने कुछ अधिकतम सीमा निर्धारित की है। राज्य सरकारें उससे अधिक धन नहीं निकाल सकती इसके साथ साथ राज्य सरकारों को दो या तीन तरीकों से केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। पहला तरीका कर में अवमूल्यन कर निश्चित रूप से उन्हें केन्द्र स सहायता मिलती है वर्तमान योजना के अन्तर्गत उन्हें उक्त सहायता प्राप्त करने का अधिकार है । कुछ राज्यों के ऐसे मामलों में जहां उनके संसाधनों और गैर-योजना व्यय में अन्तर होता है राजस्व व्यय को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष सहायता दी जाती है । अतः राज्य सरकारों को वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के लिये कभी कभी इन तीन उपायों से काम लेना पड़ता है ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि राज्यों को ओवरड्राफ्टस का भुगतान करने के लिये ऋण दिये गये हैं, यदि ऐसा है तो ऋणों के भुगतान के लिये राज्यवार कितनी कितनी धनराशि दी गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कभी कभी धनराशि ऋणों के समायोजन के लिये दी जाती है ।

राज्य नियत से अधिक राशि नहीं निकालते हैं ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : ओवरड्राफ्टस के भुगतान के लिये राज्यवार कितनी कितनी धनराशि दी गई है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास पहले वर्ष के आंकड़े उपलब्ध है। यदि वह चाहे तो मैं बता सकता हूं। नियत से अधिक राशि के ऋण मध्यावधि, ऋणों में परिवर्तित कर दिये जाते हैं। राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं :

	करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश	60
आसाम	22.75
बिहार	18.75
हरियाणा	22.73
जम्मू और काशमीर	18.15
केरल	42.77
मैसूर	53.17
उड़ीसा	4.92
राजस्थान	78.89
तमिलनाडु	54.69
उत्तर प्रदेश	17.81
पश्चिम बंगाल	30.99

Mr. Speaker: What about Punjab?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : वित्त मंत्री ने राज्यों को सहायता देने के तीन माध्यम बताये हैं। प्रथम यह कि उन्हें उतनी राशि मिलती है जितनी करों से उनकी राशि बनती है अर्थात करों में जितना भाग उनका होता है। दूसरे आयोजन के लिये जितनी राशि उनके लिये नियत होती है। वह राशि उन्हें मिलती है। इस सम्बन्ध में भी हमें कुछ नहीं कहना है। तीसरा माध्यम बहुत गलत माध्यम है क्योंकि इसमें राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते और वे धनराशि व्यय करते हैं, उन्हें, सहायता दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जहां तक तीसरे माध्यम से अर्थात सहायता के माध्यम से जब कि राज्यों के पास व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं होते केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता देने का प्रश्न है, केन्द्र राज्य सम्बन्ध बड़ी नाजुक स्थित में आ जाते हैं। क्या कोई ऐसा सुस्पष्ट निर्धारित मापदंड है कि राज्यों की स्थिति खराब न हो और वे राज्य जिनमें अत्यधिक घाटे की अर्थव्यवस्था है और वे अपने संसाधन पूर्णरूप में नहीं जुटा पाते हैं केन्द्र से मिलने वाली सहायता के अपने भाग से वंचित न रहें ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि वह 'शडी' शब्द का प्रयोग न करें। उन्होंने कहा है कि संसाधनों का उपयोग गलत ढंग से किया जाता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने 'शेडी' शब्द केन्द्र के संदर्भ में नहीं राज्यों के संदर्भ में प्रयोग किया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाणः उन्हें राज्यों के संदर्भ में भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यदि मंत्री महोदय का यह विचार है कि शब्द अवांच्छनीय हैं तो मैं उसे वापिस लेता हूं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : अब ठीक है । अब मैं प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

जहां तक भिन्नता की बात, इस पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जाता है । यह कोई ऐसी बात नहीं है कि मनमाने ढंग से तय कर लीजिये। यह योजना 1970-71 में आरम्भ की गई थी क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ राज्यों का ऐसा विचार है कि वित्त आयोग के आवंटन में कुछ विशिष्ट राज्यों की समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता है । अतः उस समय योजना आयोग की सिफारिश तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर कुछ राशियां निर्दिष्ट की गयीं। उसी आधार पर यह सहायता दी जाती है । परन्तु इसके साथ केन्द्र राज्य सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुये यदि कोई राज्य कठिनाई में होता है तो केन्द्रीय सरकार के नाते हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उस राज्य सरकार की सहायता करें । अखिल भारतीय प्रयास में हम सभी समान सहयोगी हैं ।

पूर्व के पड़ोसी देशों में रुपये के मूल्य में गिरावट

*523. **श्री एस० सी० †सामन्त** :

श्री समर गुह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के मूल्य में, विशेष रूप से पूर्व के पड़ोसी देशों में, आ रही गिरावट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में देश-देश में रुपये के मूल्य में कितनी गिरावट आई है; और

(ग) यूरोपीय देशों तथा अमरीका में उक्त स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) मुद्राओं के सम मूल्यों के पुनर्निर्धारण के बारे में 18 दिसम्बर 1971 के स्मिथसोनियन करार से लेकर भारतीय रुपये और पौंड स्टर्लिंग के बीच एक निश्चित केन्द्रीय दर कायम रखी गई है । जून 1972 में पौंड स्टर्लिंग को विनिमय दर से मुक्त कर दिए जाने के बाद भी यह दर अपरिवर्तित रही। परिणामतः विभिन्न देशों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की "क्रास" दरों में होने वाले परिवर्तन, इन अन्य मुद्राओं की तुलना में पौण्ड स्टर्लिंग में होने वाली घट-बढ़ पर निर्भर करते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं जिसमें 13 देशों (जिसमें 6 पूर्वी पड़ोसी देश शामिल हैं) की मुद्राओं के सम्बन्ध में भारतीय रुपये की विनिमय दरों में चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से लेकर हुई घट-बढ़ का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) इस सम्बन्ध में यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

विवरण

स्थानीय मुद्राओं की इकाई के रूप में भारतीय रुपये का मूल्य

देश का नाम	मुद्रा	अप्रैल, 1973 का पहला सप्ताह	अगस्त, 1973 का दूसरा सप्ताह	भारतीय रुपये के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा उसका ह्रास (—)
I. पूर्वी पड़ोसी देश				
1. वर्मा . .	क्यात	1.46888	1.3496	+8.12
2. इण्डोनेशिया	रुपैया	0.01852	0..01779	+3.94
3. सिंगापुर .	डालर	3.0544	3.3452	—9.95
4. थाइलैण्ड . .	बाहत	0.3627	0.3748	—3.33
5. मलेयेशिया	डालर	3.0544	3.3583	—9.95
6. हांगकांग	डालर	1.4786	1.4944	1.06
II. अन्य मुख्य देश				
7. संयुक्त राज्य अमेरिका	डालर	7.59	7.63	—0.5*
8. पश्चिम जर्मनी	डयूश मार्क	2.66	3.09	—16.1*
9. नीदरलैण्ड	गिल्डर	2.58	2.81	—8.0*
10. फ्रांस	फ्रांक	1.66	1.77	—6.6*
11. जापान	कोई परिवर्तन नहीं			
12. इटली	कोई परिवर्तन नहीं			
13. कनाडा	कोई परिवर्तन नहीं			

*2 अप्रैल, 1973 और 17 अगस्त, 1973 के बीच प्रतिशत मूल्यह्रास ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि अथवा ह्रास के आंकड़े दिये गये हैं । इसके लिए अप्रैल का प्रथम सप्ताह तथा अगस्त का दूसरा सप्ताह तथा अन्य तिथियां ही क्यों चुनी गयीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा इसलिये किया गया कि इस वित्तीय वर्ष से यह बहुत अधिक सम्बद्ध था । इन तिथियों को लेने का यही कारण है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मंत्री महोदय ने बताया है कि इस सम्बन्ध में यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के बारे में सरकार को कोई जानकारी

नहीं है। क्या हमारे योरोपीय देशों तथा अमरीका से व्यापारिक सम्बन्ध है और यदि हां, तो क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: योरोपीय देशों से तथा अमरीका और ब्रिटेन से हमारे व्यापार सम्बन्ध हैं और कुछ पश्चिम योरोपीय देशों तथा हमारी अपनी मुद्रा में रुपये का मूल्य बढ़ा है। उन देशों के साथ भी हमारे व्यापार सम्बन्ध हैं। मेरे विचार से इससे कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि हमारी वर्तमान स्थिति ही ऐसी थी कि हमें विकल्प चयन की सुविधा नहीं थी, क्योंकि हमारी सम्पूर्ण मुद्रा प्रचलन में है। अतः हम ऐसे विश्व में हैं जिसका क्षेत्र मुद्रा प्रचलन है। अतः हमें व्यवहारिक मार्ग निकालना था। यदि हम अपने निष्पादन को देखें तो मैं यही कहूंगा कि हमने बुरा नहीं किया है।

श्री समर गुह : यद्यपि प्रश्न विशिष्ट रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के विषय में है सामान्य रूप से यह अपने देश से भी सम्बन्धित है। मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या जैसाकि उन्होंने पहले बताया है, वर्ष 1941 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 100 मानते हुए सरकारी आंकड़ों के अनुसार रुपये का क्रय मूल्य 1967 में घटकर 46.7 प्रतिशत रह गया और दिसम्बर, 1972 में 39.2 रह गया। इन तीन वर्षों में रुपये के मूल्य में 16 प्रतिशत गिरावट आ जाने के क्या कारण हैं ? और क्या यह सच है कि 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार के अनुसार गत आठ महीनों के दौरान मुद्रा के क्रय मूल्य में 25 प्रतिशत की कमी आयी है ? मलयेशिया तथा सिंगापुर में अस्थिरता के क्या कारण हैं ? मुद्रा में –9 प्रतिशत तक अस्थिरता के क्या कारण हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने दो प्रश्नों को मिला दिया है। एक प्रश्न देश में रुपये के क्रय मूल्य के विषय में है और दूसरा विनिमय उद्देश्यों के लिये विभिन्न मुद्राओं के सम्बन्धों के बारे में है। ये दो अलग-अलग बातें हैं। पहले प्रश्न का कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति है जिसके विषय में देश में विचार किया जा रहा है। निश्चय ही इसके अपने प्रभाव हैं परन्तु जहां तक दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध की बात है . . . . .

श्री समर गुह : प्रश्न यह है कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : धैर्य रखकर सुनिये। क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ? कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री समर गुह : 'स्टेट्समैन' में एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था कि गत आठ, महीनों के दौरान मुद्रा की क्रयशक्ति 25 पैसे गिर गई है। क्या यह सच है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह तो मैं नहीं कह सकता कि यह 25 पैसे रह गई है क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है। परन्तु मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप रुपये की क्रयशक्ति कम अवश्य हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात मान्य है।

Shri R. S. Pandey:—The hon. Minister has said that the rupee value is fixed and consolidated as far as exchange rates with different currencies are concerned. May I know whether Hon. Minister is aware of the other rates also prevaling in exchange?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकारी रूप से मैं उसे नहीं मानता हूं।

स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया के चेयरमैन का पाण्डीचेरी का दौरा

*524. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया के चेयरमैन ने कितनी बार पाण्डीचेरी का दौरा किया और इन दौरों का खर्चा किसने वहन किया;

(ख) क्या ये दौरे पाण्डीचेरी में अरविन्द आश्रम द्वारा चलाये जा रहे एक केन्द्र अरोविले के लिए धन एकत्र करने तथा स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया के लिए फर्नीचर का आर्डर देने के सम्बन्ध में किये गये थे;

(ग) क्या इन दौरों के दौरान स्टेट बैंक के चेयरमैन ने आश्रम के एक निवासी को बैंक की आन्तरिक सजावट कर्त्ता के रूप में नियुक्त किया; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस आन्तरिक सजावटकर्त्ता की सलाह पर बैंक के फर्नीचर के लिए अरविन्दर आश्रम को आर्डर दिये गये और इन आर्डरों का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि पहली अगस्त, 1970 से 31 जुलाई, 1973 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान उन्होंने मद्रास के दौरे करते समय सरकारी काम पर 24 बार पाण्डीचेरी का दौरा किया था और इन दौरों पर हुआ व्यय स्टेट बैंक ने वहन किया।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के पाण्डीचेरी के दौरों का संबंध न तो 'औरोविले' के लिए निधि जुटाने से था और ना ही भारतीय स्टेट बैंक के लिए फर्नीचर का आर्डर देने से।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष द्वारा किये गये पाण्डीचेरी के एक दौरे में उनका परिचय श्री अरविन्द आश्रम के एक निवासी से कराया गया था जिसका संबंध 'औरोविले' डिजाइन्स' नामक अंदरूनी सजावट करने वाली एक फर्म से था। बम्बई में बैंक की नयी इमारत की अंदरूनी सजावट में 'औरोविले डिजाइन्स' को सम्बद्ध किया गया था और बाद में बैंक ने अंदरूनी सजावट की कुछ मदों के लिए 'औरोविले डिजाइन्स' की सेवाएं प्राप्त कीं।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक की बम्बई की नयी इमारत के लिए खरीदे गये फर्नीचर की कुल 31.63 लाख रुपये की लागत में से, 2.15 लाख रुपये के मूल्य के आर्डर प्रतियोगी टेण्डरों के आधार पर श्री अरविन्द आश्रम, डर्वकिंग यूनिट, पाण्डीचेरी को दिये गये थे। जिन मदों के लिए इस यूनिट को आर्डर दिये गये थे इनके संबंध में उनका टेण्डर सबसे कम का था। यह खरीद अंदरूनी सजावट करने वालों की सलाह पर नहीं की गयी थी।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय के उत्तर से लगता है कि पाण्डीचेरी बैंकिंग कार्य का इतना महत्वपूर्ण केन्द्र है कि स्टेट बैंक के चेयरमैन को वहां का दौरा हर 45 दिन के बाद करना पड़ता है। क्या यह सच है कि स्टेट बैंक और इसके सचिव तथा उप-सचिव की सेवाओं का उपयोग अरविन्द आश्रम के लिए चंदा एकत्र करने के लिए किया जा रहा है और इसके ग्राहकों से 80 या 90 लाख रुपया एकत्र किया गया है, जैसे बिड़ला से 18 लाख, डी० सी० एम०, मफतलाल और टाटा से 10-10 लाख आदि ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे यह तो पता नहीं है कि किसने किसको कितना चन्दा दिया है परन्तु यह सच है कि स्टेट बैंक के चेयरमैन अरविन्द के अनुयायी हैं और अरविन्द शताब्दी समिति के सदस्य के नाते कुछ लोगों को उनके माध्यम से कुछ पत्र भेजे गये थे और मेरे विचार में किसी को भी इस कार्य विशेष के लिए रखा गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने पूछा था कि सचिव और उप-सचिव को चन्दा एकत्र करने पर लगाया गया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरी सूचनानुसार 'जी नहीं' ।

प्रो० मधु दण्डवते : दिये गये उत्तर में स्टेट बैंक की आन्तरिक सजावट और खरीदे गये फर्नीचर का उल्लेख है। तो क्या यह सच है कि किसी श्री कुडियांवाला को, जिसे नारीमान प्वायंट, बम्बई के बैंक से निर्माण का ठेका दिया गया था, आन्तरिक सजावट का कोई ज्ञान नहीं है और उसे स्पष्ट रूप से इस आधार पर यह ठेका दिया गया था कि वह आश्रम के एक महत्वपूर्ण अमरीकी व्यक्ति श्री विलियम नैटर को भागीदार के रूप में रखेंगे और 6 प्रतिशत कमीशन में से आधा इन्हें आश्रम के लिए दिया जायेगा। अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त चेयरमैन की ये सभी अनियमितताएं इसी लिए सहन की जाती हैं कि 60 लाख के नागरवाला मामले में उन्हें सभी भेद ज्ञात हैं और सरकार उन्हें मौन रखना चाहती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : काल्पनिक बातों पर ध्यान न देकर हम तथ्यों पर आते हैं। यह सच है कि आश्रम के निवासी श्री नैटर को बैंक के कुछ कार्यों से सम्बद्ध किया गया था। वह अमरीकी राष्ट्रिक हैं और 46 वर्षीय हैं। वह भारत में दिसम्बर, 1967 में आये और फरवरी, 1968 में आश्रम में प्रवेश किया। वह जार्ज टाऊन विश्वविद्यालय, न्यूयार्क के स्नातक हैं और शिक्षा, दर्शन और साहित्य में बोर्डहम विश्वविद्यालय, न्यूयार्क से एम० ए० हैं। उन्होंने न्यूयार्क स्कूल आफ इंटीरियर डिज़ाइन में अध्ययन किया। वह नेशनल सोसायटी आफ इंटीरियर डिजाइनर्स, यू०एस०ए० की त्रैमासिक पत्रिका के 1966–67 में मुख्य सम्पादक रहे हैं। अनुभव के बारे में उन्होंने डोरथी जोडन (प्रसिद्ध टेलीविज़न और सिने कलाकार) के न्यूयार्क स्थित भवन की आन्तरिक सजावट पूरी की है और इसी विषय की एक काफी प्रमुख पत्रिका से सम्बन्धित रहे हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें आन्तरिक सजावट का कोई ज्ञान नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया हैं कि 6 प्रतिशत कमीशन में से तीन प्रतिशत आश्रम को देने की बात थी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।

श्री पीलू मोदी : क्या ऐसी अवस्था में मंत्री महोदय को पता लगा कर सभा को सूचना नहीं देनी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि बैंक के चेयरमैन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और वह 'मां' से मिलने 22 बार पाण्डीचेरी गये हैं। पद के दुरुपयोग के लिए सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है । हां, वह जब भी मद्रास गये, वह पाण्डीचेरी भी अवश्य गये हैं . . . . (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : सरकारी खर्च पर ऐसा क्यों हुआ ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब भी बैंक के चेयरमैन वहां जाते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उस अवसर का उपयोग बैंक के कार्यकरण के निरीक्षण पर नहीं किया होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच नहीं है कि अरविन्द आश्रम का बम्बई कार्यालय बैंक के एक अधिकारी श्री तलवाड़ के निवास पर बना हुआ है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्री चह्वाण को स्वयं यह विश्वास है कि चेयरमैन ने 24 बार पाण्डीचेरी जा कर वहां बैंक के कार्यों का ही निरीक्षण किया होगा । यदि वह अर्विन्द के अनुयायी हैं तो भले ही वह 200 बार वहां जाएं परन्तु बैंक के खर्च पर क्यों ? क्या बम्बई के बैंक कार्यालय की सजावट पर 38 लाख रुपये खर्च करना और चेयरमैन के तीन वर्ष में 24 सरकारी दौरों पर खर्च देश को मितव्ययता के उपदेश के संदर्भ में अनुचित नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं उन के कार्यों को न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इन दौरों पर उन्होंने सरकारी काम किया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ठीक है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ऐसे प्रश्न पूछ कर हम अरविन्द या उन के आश्रम पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं । परन्तु मंत्री महोदय के उत्तरों से स्पष्ट है कि बैंक का कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है । क्या वह निदेशक-मंडल को आदेश देंगे कि वह जांच करे कि क्या चेयरमैन अनुचित व्यवहार के दोषी हैं या नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि वह ऐसा चाहते हैं तो पहले मैं चेयरमैन से बात करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री साल्वे के साथ ही मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं आश्रम पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा था ।

Submission of a Memorandum by Bihar Chamber of Commerce to Finance Minister

*525. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Bihar Chamber of Commerce sent a memorandum to him on the 12th July last;

(b) if so, the main points thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

12 जुलाई 1973 को बिहार वाणिज्य मंडल पटना ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :--

(1) बैंक आफ बड़ौदा की पटना शाखा में आन्दोलन के कारण 9 जून 1973 से पटना के शोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) में काम बन्द हो गया है । यह राज्य के दूसरे केन्द्रों में भी फैल गया है, जिसके कारण क्षेत्र की आर्थिक कार्यविधियों में गड़बड़ हो गयी है ।

(2) 40-50 करोड़ रुपये की राशि के चैक भुगतान के लिये पड़े हैं ।

(3) पटना के शोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) का काम अन्तर संघीय प्रतिद्वन्दिता के कारण बन्द है ।

(4) वित्त मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि शोधन (गृह क्लियरिंग हाउस) का काम जल्दी से जल्दी शुरु हो सके और भविष्य में शोधन गृह को ऐसे झगड़ों से दूर रखा जाए ।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पटना में शोधन गृह के बन्द हो जाने के कारण 11 जुलाई 1973 तक 30 करोड़ रुपये की राशि के 45,000 चैक स्थानीय बैंकों में जमा हो गये थे । जनता की कठिनाइयों को दूर करने और शोधन गृह को जल्दी से जल्दी काम करने योग्य बनाने के विचार से बैंक आफ बड़ौदा 13 जुलाई से 11 अगस्त 1973 तक की अस्थायी अवधि के लिये पटना के शोधन गृह से स्वेच्छापूर्वक बाहर आ गया है । बताया गया है कि 13 जुलाई से शोधन गृह के पुनः आरम्भ हो जाने से बैंकों में जमा हुए चैकों का भुगतान हो गया है । अब यह सूचित किया गया है कि 13 अगस्त 1973 से बैंक आफ बड़ौदा के भुगतान-कार्य में भाग लेने के कारण फिर शोधन गृह का काम बन्द हो गया है । केन्द्रीय औद्योगिक संपर्क मशीनरी बैंक आफ बड़ौदा में हो रहे आन्दोलन के मामलों के बारे में संबंधित पार्टियों के संपर्क में है ।

Shri Ramavatar Shastri: Mr. Speaker, Sir, it has been stated in the statement which has been laid on the Table that 45,000 cheques worth rupees 30 crores were reported to have piled up in local banks upto 11th July, 1973. In the meantime the clearing house of Bank of Baroda had suspended its work which has started functioning. The situation regarding suspension of work is worsening day by day instead of improving. In this context I want to draw the attention of Government towards the reported call by Shri Prabhat Kar, General Secretary, All India Bank Employees Association for a token strike on 4th September in support of the demands of employees of Bank of Baroda? If so, what are their demands and what is the hitch in accepting them?

श्री यशवंत राव चव्हाण : यह ठीक है कि एक बार शोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) एक महीने से भी अधिक समय के लिए बन्द रहे और कुछ समय के लिए तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि बैंकों के ग्राहकों के समक्ष काफी कठिनाईयां उत्पन्न हो गई थीं और 35 करोड़ रुपये

से अधिक मूल्य के चैक बिना भुनाये पड़े रहे। व्यापारिक और वाणिज्यक गतिविधियों पर निश्चय ही इस का काफी बुरा असर पड़ा।

इस सारे झगड़े का मूल कारण कार्मिक संघों की प्रतिस्पर्धा है। मैं इस मामले में कोई विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर रहा और न ही मैं किसी को दोष दे रहा हूं। मैं तो केवल समस्या का रचनात्मक समाधान खोजने का प्रयास कर रहा हूं। जब भी कोई संघ यह अनुभव करता है कि उसके अपने कर्मचारियों या कई बार उस संघ के सदस्यों के विरुद्ध कोई अन्याय हुआ है, तभी वह इस प्रकार की गतिविधियां आरम्भ कर देते हैं। यह भी संभव है कि वे ऐसा उचित या न्यायोचित कारणों से ही करें। इस के बारे में मैं अपना दृष्टिकोण व्यक्त नहीं कर रहा। मैं तो इस का समाधान खोज रहा हूं। इसीलिए बैंक आफ बड़ौदा को सलाह दी गई है कि वह श्रम मंत्रालय के साथ इस विषय पर बातचीत करे। यह बातचीत पिछले दो दिन से चल रही है। सम्भवतः आज भी उनकी बैठक होगी। इस विषय पर और अधिक प्रश्न-उत्तर करके इस विषय को अधिक जटिल बनाने की अपेक्षा हमें यह आशा करनी चाहिये कि इसका कोई हल निकल आयेगा।

Shri Ramavatar Shastri: Is it a fact that main demand of the employees relates to the recognition of All India Bank of Baroda Employees Co-ordination Committee? If so, whether it is also a fact that instead of considering this issue, a good number of bank employees have been suspended? If so, the number thereof and the reasons of delay in finding out a solution of the problem?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस प्रश्न के गुण दोषों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ऐसा करने से फिर मुझे अपना मत भी व्यक्त करना पड़ेगा। अभी मैं इस के सम्बन्ध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूं। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यह सारा झगड़ा मान्यता के प्रश्न से ही उत्पन्न हुआ है। मैं यह कह चुका हूं कि अभी मैं इसके गुण दोषों के के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरे संघ को इस लिए मान्यता प्रदान की गई थी कि जांच करने पर यह पता चला कि प्रतिनिधित्व प्राप्त संघ वही है। कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध निश्चय ही कार्यवाही की गई थी परन्तु इसलिए नहीं कि उनका सम्बन्ध किसी संघ विशेष से था अपितु, इसलिए कि बैंक के अनुसार उन्होंने बैंक अनुशासन के विरुद्ध कुछ किया था। इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। जहां तक शोधन ग्रहों (क्लियरिंग हाउस) में काम मबंद होने और उस से ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव का सम्बन्ध है, यह हमारे लिये चिंता का विषय है। हम इसका समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर मांग कर आप मुझे किसी एक पक्ष के प्रति पक्षपात करने के लिए बाध्य मत कीजिये।

डा० रानेन सेन : मैं श्री चह्वाण के इस वक्तव्य की सराहना करता हूं कि हमें अधिक खींच तान कर के इस विषय को जटिल नहीं बनाना चाहिये। परन्तु फिर भी मैं उन से इतना अवश्य पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दो संघ बने हुए थे और प्रबन्धकों द्वारा दोनों को ही मान्यता प्रदान की जा चुकी थी परन्तु फिर भी अचानक इस इस वर्ष अप्रैल

में, 'आल इंण्डिया बैंक एम्पलाईज़ यूनियन' को दी गई मान्यता वापिस ले ली गई और इसके परिणामस्वरूप यह झगड़ा उपन्न हो गया। यदि यह ठीक है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अचानक एक संघ की मान्यता वापस लिये जाने के क्या कारण हैं जब कि दोनों ही संघों को मान्यता प्रदान की जा चुकी थी? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह विवाद स्वयं सुलझाने—जो कि उन के लिए आसान था—की अपेक्षा श्रम मंत्रालय को क्यों सौंपा गया?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि राष्ट्रीय मामलों के बारे में बैंक दोनो ही संघों से विचार विमर्श किया करता था। परन्तु जब निदेशक बोर्ड के लिए संघ के प्रतिनिधियों की नामजदगी का प्रश्न सामने आया तो हमारे समक्ष यह पता लगाने का प्रश्न आया कि कोन सा संघ प्रतिनिधित्व प्राप्त संघ है और इस कार्य के लिए हमें जांच करनी पड़ी और उसी के आधार पर यह पता चला कि दूसरा संघ प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऐसा केवल मजाक के लिए तो नहीं किया गया। बोर्ड में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सदस्यों को नामजद करना था और इसीलिए श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की गई।

Shri Madhu Limaye: It has been stated by Hon. Minister just now that it is necessary to find out the representative union for nominating a representative of Bank employees in the Bank Management. May I know the crieteria adopted for verification of membership?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह मैं जानता हूं परन्तु इस समय उसका विस्तृत ब्यौरा मेरे पास नहीं हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा किया जाता है। श्रम मंत्रालय द्वारा कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये थे और उन्हीं के आधार पर यह जांच की गई थी।

Shri Madhu Limaye: Please let me know the procedure later on because I have got an amendment on the same.

Shri Yeshwantrao Chavan: I will let you know.

Shri Hukam Chand Kachwai: In case there is a strike by Bank Employees, it will result in substantial losses..... (*Interruptions*) prices will shoot up, the non-availability of clearing facility to businessmen will lead to scarcity and commonman will be affected. I want to know if Government is making an attempt to settle this issue after negotiations with bank employees without any favour to a particular union so as to avert the strike? Mostly recognised unions are called by the Government for negotiations and other organisations, however powerful they may be, are not called. My submission is that all the unions should be called and an amicable settlement should be arrived at to avert strike!

Shri Yeshwantrao Chavan: Everything is being done by the Government. The banking system, businessment and customers all are adversely affected by the strike. Therefore we are negotiating with all of them.

Smuggling of Hemp from Nepal

*526. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether smuggling of hemp from Nepal is being carried out particularly in areas on the Indo-Nepal border like Deoria, Gorakhpur and Basti;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection in 1971-72 and upto June, 1973 respectively; and

(c) the other action taken by Government in the matter?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार को पता है कि भारत नेपाल सीमा के पास से भारत में गांजे का तस्कर-आयात हो रहा है ।

(ख) भारत में गांजे के तस्कर-आयात के लिए वर्ष 1971 में 50, 1972 में 46 तथा 1973 के जून तक 39 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ग) सरकार ने निवारक उपाय तीव्र कर दिये हैं और पूरी भारत नेपाल सीमा पर प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बना दिया है ।

इसके अतिरिक्त, मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार वाले व्यक्तियों को मार्ग में रोकने के लिए राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की प्रवर्तन एजेंसियां, जैसे राज्य आबकारी विभाग, पुलिस, औषधि नियंत्रण प्रशासन, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग सीमा सुरक्षा दल, रेलवे सुरक्षा दल आदि सदैव सतर्क रहते हैं । यह निगरानी अन्दरूनी स्थानों तक तथा सीमा पर की जाती है । तस्कर व्यापार विरोधी उपायों का समन्वय करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इन संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच नियतकालिक बैठकों कीव्यवस्था की जाती है ।

Shri M. S. Purty: The Hon. Minister has stated that the number of persons arrested for smuggling of hemp into India during the years 1971, 1972 and 1973 is 50, 46 and 36 respectively. It is evident that the Government has not yet been successful in apprehending the smugglers. I want to know what special measures are being taken to stop the smuggling of hemp?

श्री के० आर० गणेश : मैं अपने उत्तर के दौरान पहले ही बता चूका हूं कि भारत-नेपाल सीमा पर इस दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार ने क्या क्या उपाय किये हैं । पटना में एक नई रोक-थाम कलक्टरी का गठन किया गया है तथा भारत-नेपाल सीमा पर सीमाशुल्क विभाग तथा उत्पाद शुल्क विभाग को आवश्यक मोटर गाड़ियां तथा अन्य साज-समान दिया गया हैं। सभी प्रवर्तन एजेन्सियों के कार्यों को समन्वित करने हेतु एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है और राज्य सरकारों की प्रवर्तन एजेन्सियां जैसे राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, राज्य पुलिस, सीमा सुरक्षा पुलिस तथा अन्य विभिन्न एजेसिन्यां मादक औषधों का अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों की धर-पकड़ में व्यस्त हैं ।

Shri Ram Surat Prasad: How much hemp has been seized during 1971, 1972 and 1973 and what use has been made thereof by the Government?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने वर्ष 1971,1972 तथा 1973 में पकड़े गये गांजे की मात्रा पूछी है । 1971 में 72,775 कि० ग्राब, 1972 में 3,036 कि० ग्राम तथा 1973 में जून तक 1072 कि ग्राम गांजा पकड़ा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि उस गांजे का निपटान कैसे किया गया ।

श्री के० आर० गणेश : यह गांजा प्रवर्तन एजन्सियों तथा सीमाशुल्क विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़ा गया है । वह सरकार के पास जमा कर दिया जाता है । इसके बाद क्या होता है उसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

दुर्लभ आयतित वस्तुओं के वितरण के लिये गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली निश्चित प्रक्रिया

*527. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात करने वाली सरकारी एजेंसियों की ऐसी कोई निश्चित प्रक्रिया है, जिसका सरकार की ओर से नियत भागियों को दुर्लभ आयातित कच्चे माल का विवरण करने वाले गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पालन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किये गये दुर्लभ आयतित कच्चे माल के वितरण में अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की अनियमितायें पाई गई हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां । केवल राज्य व्यापार निगम वितरकों की सेवाओं का उपयोग करता हैं । वितरकों द्वारा कच्चा माल राज्य व्यापार निगम द्वारा जारी किये जाने वाले आवंटन पत्र/सुपुर्दगी आदेश के अनुसार रिलीज किया जाता है जिनमें विक्रय कीमतों और मात्राओं का उल्लेख होता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : यह तो सभी जानते हैं कि ये वितरक सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को ही माल देते हैं और यह सब कुछ चोरी-छिपे होता है । हालांकि गोदामों, रजिस्टरों लेखा-पुस्तकों आदि को नियमित रूप से निरीक्षण होता है, जांच होती है फिर भी यह सर्वविदित है कि वहां भ्रष्टाचार होता है । अतः क्या वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा सतर्कता विभाग से यह पता लगाने को कहेंगे कि उसमें कहां खामी है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : उन्होंने किसी सामान्य अनियमितता की बात कही है । यदि वह विशिष्ट रूप से कोई अनियमितता बतायें तो हम उसकी जांच करेंगे । परन्तु यह बात आम तौर से कही जाती है तो, मैं इस पर कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : यह बड़ी ही विचित्र बात है कि गत अनेक वर्षों से कोई अनियमितता ही सामने नहीं आई है हालांकि सब को मालूम है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वर्तमान वितरकों की सूची में वही नाम हैं जोकि अनेक वर्षों से चले आ रहे हैं अथवा कि उसमें कोई परिवर्तन हुआ है कोई वृद्धि या कमी हुई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : होता यह है कि सामान्यतया गैर-सरकारी वितरकों को यह कार्य नहीं सौंपा जाता है । जब किसी विशिष्ट परियोजना को प्रारम्भ में तैयार किया जाता है तब उनके अनुभव तथा तकनीकी योग्यता का उपयोग किया जाता है परन्तु समय गुजरने के साथ इसे बन्द कर दिया जाता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पांचवीं योजना के दौरान पटसन का उत्पादन बढ़ाने संबंधी योजना

528. **श्री पी० ए० सामिनाथन:**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पटसन का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग को प्रस्ताव की रूपरेखा भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) कृषि मंत्रालय ने अपने सुझाव योजना आयोग को भेज दिए हैं जिन पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्रीलंका को केन्द्र पत्तों का निर्यात

*529. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका को 25,000 क्विंटल केंदु पत्तों की सप्लाई के बारे में उड़ीसा वन निगम ने श्रीलंका तम्बाकू उद्योग निगम के साथ करार किया है ; और

(ख) क्या इससे स्थानीय बीड़ी मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप बीड़ी की कीमतें बढ़ेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। करार में 35,000 क्विंटल की व्यवस्था है ।

(ख) जी नहीं ।

लेटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार में कमी होना

*530. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लेटिन अमरीकी देशों के साथ हमारे व्यापार में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लातीनी अमरीकी राज्यों के साथ हमारे व्यापार में घट बढ़ होती रही है । जब कि 1971–72 में यह बढ़ कर 1832 लाख रुपया तक हो गया था लेकिन 1972–73 (दिसम्बर तक) में यह केवल 815 लाख रुपया का रहा ;

(ख) गिरावट की यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से पटसन माल के हमारे निर्यात घटने के कारण आई है : निर्यात घटने का कारण अंशत: संश्लिष्टों की तुलना में पटसन माल का अप्रतियोगी होना है और लातीनी अमरीकी देश अपना स्थापन वस्तुओं का पता लगा रहे हैं । दूरी सम्बन्धी समस्यायें, सीधी जहाजरानी सेवाओं का अभाव तथा इसके परिणामस्वरूप ऊंची भाड़ा दरें और अमरीकी व्यापारिक हितों की निकटता भी आंशिक रूप से इस गिरावट के कारण रहे हैं । हमारे आयातों में भी गिरावट आई है और इसलिये लगभग सभी लातीनी अमरीकी देशों के साथ अभी भी व्यापार सन्तुलन हमारे पक्ष में है ।

वर्ष 1973–74 के दौरान परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य

*531. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 के लिए परम्परागत वस्तुओं के निर्यात लक्ष्य के प्राप्त होने की संभावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 के लिए निर्यात लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, कुल कितना निर्यात होने की आशा है तथा यदि निर्यात में कमी रहेगी तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अत्याधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना में 1973–74 के लिए 1900 करोड़ रू० के प्रस्तावित लक्ष्य से अधिक के लक्ष्य की व्यवस्था की गई है ।

दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे को अन्यत्र ले जाने का प्रस्ताव

*532. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सफदरगंज में चल रहे फ्लाइगं क्लव सहित, दिल्ली स्थित सफदरगंज हवाई अड्डे को अन्यत्र ले जाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1971--73 के दौरान काफी का निर्यात

*533. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971-72 और वर्ष 1972-73 के दौरान निर्यात हेतु कितनी-कितनी काफी बेची गई ;

(ख) इस उद्योग में लगे कर्मचारियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि दी जाती है; और

(ग) आंतरिक और बाह्य काफी मेनेजमेंन्टस का लाभ उठाने हेतु अनुसंधान और विकास पर पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) 1971-72 और 1972-73 के दौरान निर्यात हेतु बेची गई काफी की कुल मात्रा क्रमशः 41,554 मे० टन तथा 41,775 मे०टन थी ।

(ख) काफी उद्योग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए 1971-72 के दौरान 1,80,000 रुपये की राशि और 1972-73 के दौरान 2,00,000 रुपये की राशि मंजूर की गई थी ।

(ग) काफी बोर्ड का गवेषणा विभाग विशेषत: काफी बागानों की उत्पादकता को बढ़ाने और उपज को क्वालिटी सुधारने के उद्देश्यों से संबंधित समस्याओं पर उत्तरोतर ध्यान देता रहा है । बोर्ड की विस्तार सेवा इस गवेषण के परिणामों को क्षेत्र में व्यावहारिक प्रयोग के लिए बागान मालिकों तक पहुंचाता है । काफी उद्योग के विकास हेतु विभिन्न स्कीमों का प्रशासन भी बोर्ड द्वारा देखा जाता है जिनके अंतर्गत सघन खेती, पुनर्रोपण, काफी के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार आदि के लिए उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता दी जाती है । इन गवेषण तथा विकास सम्बन्धी कार्यकत्ताओं पर होने वाले खर्च के लिए सरकार द्वारा रिलीज की जाने वाली राशियों में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है ।

अभ्रक का निर्यात

*534. **श्री महिपतराय मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान अभ्रक का कितना निर्यात किया गया;

(ख) यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया; और

(ग) यह निर्यात किन-किन एजेंसियों के माध्यम से किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) 1972–73 (दिसम्बर, 1972 तक) के दौरान निर्यात हुए सभी प्रकार के अभ्रक का मूल्य 16.43 करोड़ रुपये है।

(ख) आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चैकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, पश्चिम जर्मनी, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, कोरिया, लेबनान, नीदरलैंड, फिलिपीन, पोलैंड, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, थाईलैंड, ब्रिटेन, अमरीका, सोवियत संघ तथा मोरक्को।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने सांचित अभ्रक के निर्यात किये जबकि फेब्रिकेटेड अभ्रक का निर्यात गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया।

Steps to keep places of Tourists interest free from Beggars and Touts

*535. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether Government have decided to take steps to free the places of Tourists' interest from beggars and touts; and

(b) if so, the broad outlines of the decision and the nature of steps taken by Government so far?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) and (b): Keeping places free from beggars and touts is a normal function of the State Police. Letters have been addressed to the State Chief Minister emphasising the need for measures to avoid harassmnt of tourists by touts, mendicants etc. particularly at places of tourist interest. The matter is being pursued with the State Governments.

पटसन मिलों में पटसन के माल का भण्डार जमा हो जाना

*536. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने हाल ही में बताया है कि यदि पटसन मिलों के पास पटसन के माल के भण्डार में लगभग 20,000 टन तक की वृद्धि हुई तो पटसन मिलों के लिए सितम्बर के बाद माल बनाना असम्भव हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो जमा भण्डार की बिक्री के लिए उक्त उद्योग की सहायता करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : पटसन उद्योग में अभ्यावेदन दिया था कि हेशियन के निर्यातों में गिरावट तथा सैकिंग के लिए घरेलू मांग की कमी के कारण पटसन मिलों के पास स्टाक जमा ही गया तथा उत्पादन एंव रोजगार में गिरावट को रोकने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिये। सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जिन में महत्वपूर्ण ये हैं :—

(1) हेशियन पर निर्यात शुल्क 600 रुपये प्रति मे० टन से घटाकर 200 रुपये प्रति मे० टन करना।

(2) सैंकिंग पर निर्यात शुल्क की समाप्ति ।

(3) प्राइमरी कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क 300 रुपये से घटाकर 200 रुपये तथा सकैण्डरी कालीन अस्तर पर 700 रुपये से घटाकर 300 रुपये करना ।

(4) अधिक तथा पक्के सरकारी क्रयादेश देकर सैंकिंग के लिए पुनः घरेलू मांग बढ़ाना ।

(5) निर्यातों को बढ़ाने की सम्भाव्यताओं को खोजने के लिए पटसन आयुक्त के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंड़ल, जिसमें पटसन उद्योग / निर्यातकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशों को भेजना ।

कच्चे माल के अभाव में ऊन की रद्दी की (शोड्डी) मिलें बन्द होनेकी स्थिति में

***537. श्री अमरनाथ चावला :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अगस्त, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इंडियन शोड्डी मिल्स एसोशियेशन के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि महाराष्ट्र' पंजाब और हरियाणा में पुराने ऊनी कपड़ी से कपड़ा बनाने वालो (शोड्डी वूलन मिल्स) पच्चीस मिलें, जिनमें 45,000 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है, पिछले आठ महीने से कच्चे माल के अभाव में बन्द होने की स्थिति में पड़ी है और पुराने ऊनी कपड़ों को 35,000 गांठे बम्बई के कस्टम विभाग में रुकी पड़ी है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां । हांलांकि शोडी मिलों को कच्चे माल की कुछ कमी झेलनी पड़ी होगी लेकिन इसके बन्द होने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि सरकार ने शोड्ड़ी कच्चे माल के आयात हेतु एक करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा मुक्त की है और राज्य व्यापार निगम ने बुकिंग आरम्भ कर दी है । इस समय बम्बई स्थित सोमा शुल्क कार्यालय में शोड्डी की लगभग 10,000 गांठे रुकी हुई है ।

संताकुज, बम्बई में एयर इंडिया के मुख्यालय के इंजीनियरिंग तथा ग्राउंड इक्विपमेंट डिविजनों में कुछ नियंत्रकों द्वारा किये गये कदाचार

***538. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि संताक्रूज, बम्बई स्थित एयर इण्डिया के मुख्यालय के इंजीनियरिंग तथा ग्रांउड इक्विपमेंट डिविजनों के कुछ नियंत्रकों ने वहुत बड़ी मात्रा में चल और अचल सम्पत्ति एकत्रित कर ली है जो उनकी आय के प्रत्यक्ष साधनों के अनुपात में बहुत अधिक है; और

(ख) क्या विदेशी विमान कम्पनियों से लाभ उठाने में उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया था?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख)

एयर-इंडिया, बम्बई के ग्रांउड सपोर्ट डिविजन के नियंत्रक के विरूद्ध छद्मनाम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी । मामले की जांच की गई और जांच से पता चला कि सम्बन्धित अधिकारी ने कुछ अविवेकपूर्ण कार्य किये थे जिसके लिए उसे कड़ी चेतावनी दे दी गई है । उसके विरूद्ध लगाये अन्य आरोप सिद्ध नहीं हो सके ।

लेटिन अमरीका तक उड़ानों का विस्तार करने के बारे में एयर इंडिया द्वारा वार्ता

***539. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**
श्री डी० पी० जदेजा :

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इण्डिया ने किसी विमान कम्पनी अथवा लैटिन अमरीका के किसी देश से उस देश तक हवाई उड़ानों का विस्तार करने के बारे में वार्ता की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को दिये जाने वाले भत्तों में असमानता

***540. श्री रानेन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के उच्च अधिकारियों को जो भत्ते दिये जाते हैं वह सरकारी सेवाओं के अधिकारियों को दिये जाने वाले भत्तों की तुलना में काफी अधिक होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के संवर्गों और सरकारी अधिकारियों के भत्तों तथा परिलब्धियों में समानता लाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों पर लागू विभिन्न प्रकार के भत्तों का नियमन करने के लिए सरकार ने समय समय पर उचित मार्ग-दर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं । इन उपक्रमों को परिणाम-उन्मुख गतिविधियों और सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की सेवा की विशेष शर्तों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती कि इनके ऐसे सभी भत्तों को सरकार के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों के समान रखे ।

(ख) इस समय परिलब्धियों के मामले में सरकारी अधिकारियों और सरकारी क्षेत्र के संवर्गों के बीच समानता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि तीसरे वेतन आयोग ने गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सरकारी सेवा के वेतन स्तरों में की जाने वाली तबदीलियों के सम्बन्ध में पर्याप्त समन्वय को सुनिश्चित व्यवस्था करने के विचार से कतिपय सिफारिशें की हैं और ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

प्रबन्ध समस्या के विकास के लिये प्रबन्ध अध्ययन का भारतीयकरण

5089. श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने महसूस किया है कि प्रबन्ध समस्याओं के विकास के लिये प्रबन्ध अध्ययन का भारतीय करण होना चाहिये;

(ख) यदि हां तो क्या उन्होंने यह भी कहा है कि यह भारतीय करण इसलिये भी आवश्यक है कि भारत में प्रबन्ध अध्ययन पश्चिम में लागू प्रणाली पर आधारित है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सरकार आधुनिक प्रबन्ध-शिक्षा को विषय वस्तु को अपनाने की आवश्यकता से पूर्णता परिचित है ताकि देश में प्रचलित सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण के अनुरूप हो सके। तकनीकी शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् के प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी अध्ययन के अखिल भारतीय बोर्ड ने, भारतीय परिस्थितियों की आवश्यताओं के अनुरूप प्रबन्ध पाठ्यक्रमों के लिए आदर्श पाठ्य-विवरण तैयार किये हैं। इन पाठ्य-विवरणों की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और उनमें संशोधन किये जाते हैं ताकि ये बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगतियों के अनुरूप हो सकें। प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे गवेषणापरियोजनाओं, विषय-अध्ययन, आदि के रूप में, भारतीय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, के सम्बन्ध में, ज्ञान और तकनीकी सामग्री भंडार का विकास करें।

Licences to Liquor shops in Uttar Pradesh

5090. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of liquor shops in Uttar Pradesh which have been given licences and the income accrued to Government therefrom during the last year;

(b) whether Government propose to make some changes in the Excise policy of the State on the basis of the system prevailing in Punjab and Haryana; and

(c) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) The number of the licensed liquor shops and the income accrued therefrom during the last year to the Government of Uttar Pradesh is as under:—

Kind of Shop	Number	Revenue accrued
		Rs.
Country Liquor	2423	21,38,37,059·42
Tari	522	64,21,505·03
Foreign Liquor	306	5,36,01,957·02

(b) According to the information received from the Government of U. P. no change in the existing excise policy of the State is under consideration at present.

(c) In view of (b) above, the question does not arise.

गुजरात के सहकारी क्षेत्र में करघों में वृद्धि

5091. **श्री प्रभु दास पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से सहकारी क्षेत्र में 10,000 करघे और लगाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में शक्तिचालित करघों के आवंटन की ओर है । यदि ऐसा है तो मामला अभी विचाराधीन है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेषकर हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा उद्योगों के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है । तथापि, राज्यों की वार्षिक योजनाओं के व्ययों के लिए राज्य सरकारों को ब्लाक ऋण तथा अनुदान दिये जाते हैं ।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा केरल राज्य को दी गई राशि

5092. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक वित्त निगम द्वारा केरल राज्य को कुल कितनी धनराशी दी गई;

(ख) उन योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं जिनके लिए सहायता का उपयोग किया गया और क्या निगम के पास कोई आवेदन पत्र निर्णय के लिए पड़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) केरल राज्य में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पिछले तीन लेखा वर्षों अर्थात् 1970–71, 1971–72 और 1972–73 (जुलाई-जून) में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत और वितरित की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे, उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नाम तथा प्रयोजन, जिसके लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत और वितरित की गयी, सम्बद्ध विवरण में दिये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी-5582173]

30 जुलाई 1973 को केरल राज्य में परियोजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र निगम के पास बचा हुआ नहीं था । फिर भी, निगम को स्कूटर निर्माण करने के एक कारखाने की स्थापना के लिए 134.50 लाख रुपये के ऋण के लिए एक औद्योगिक सहकारी समिति से जुलाई 1973 में एक आवेदन-पत्र प्राप्ति हुआ तथा आवेदन-पत्र पर विचार किया जा रहा है ।

उपर्युक्त अवधि में केरल राज्य में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त कोई भी आवेदन-पत्र निगम द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया ।

भारतीय मछली निर्यातकों को जापान की मण्डी की हानि

5093. **श्री वयालार रवि :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत से जापान को निर्यात की जाने वाली मछली उत्पादों की विभिन्न किस्मों की कीमतें इस कारण गिर गई हैं क्योंकि इन की कुछ किस्मों में पारे के अंश पाए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप हमारे निर्यातक के सामान के लिए जापान की मण्डी में धीरे धीरे मांग खत्म होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों में नई मंडियां खोजने के संम्बन्ध में सरकार का विचार मछली निर्यातकों को कुछ विशेष प्रोत्साहन देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि हमारे हाथ से जापानी बाजार निकल जायेगा वास्तव में हमारी श्रिम्पस् में पारे की मात्रा कम से कम होती है। इस स्थिती को स्पष्ट करने और साथ ही सम्पूर्ण स्थिती का एक विस्तृत अध्ययन करने के लिये एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि-मंडल उस देश को भेजा जा रहा हैं इस अध्ययन के आधार पर ऐसे अन्य उपाय, जो आवश्यक होंगे, भी किये जायेगें

राज्य व्यापार निगम द्वारा पात्र आयात गृहों को लागत मूल्य पर आयातित कारों की बिक्री

5094. **श्री वयालार रवि :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन सामान्य शर्तों के आधार पर राज्य व्यापार निगम पात्र निर्यात गृहों को लागत मूल्य पर आयातित कारों की बिक्री करता है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी कारों का वितरण किया गया और निर्यात गृह-वार उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जिन सामान्य शर्तों के आधार पर आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त पात्र निर्यात-गृहों व्यापार निगम के स्टाक से आयातित कारें खरीदने की अनुमति दी जाती है, वे निम्नलिखित हैं :—

(1) आयातित कारें बाजार कीमत पर बेची जायेंगी, राज्य व्यापार निगम की क्रय कीमत पर नहीं ।

(2) किसी भी निर्यात-गृह को एक से अधिक आयातित कार आवंटित नहीं की जायेगी ।

(3) इस प्रकार से आबंटित कार को राज्य व्यापार निगम से खरीदने के दो वर्ष के अन्दर पुन: नहीं बेचा जाना चाहिए ।

(4) निर्यात-गृहों के लिए कोई भी मर्सीडीज़ कार रिलीज़ नहीं की जानी चाहिए ।

(ख) पात्र निर्यात गृहों को आयातित वाहनों के आवंटन से सम्बन्धित नीति 19 फरवरी, 1972 से लागू हुई थी। तब से निम्नलिखित पात्र निर्यात ग्रहों को चाय वाहन आवंटित किये गये हैं:—

(1) मैसर्स कर्नाटिक एक्सपोर्ट कं०, नई दिल्ली।

(2) रैलीज इण्डिया लि०, बम्बई।

(3) पैरी एण्ड कं०, बम्बई।

(4) हीरा लाल एण्ड कं०, नई दिल्ली।

मछली के निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयां

5095. **श्री रामचन्द्र कडनापल्ली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मछली निर्यातकों को फ्रीजर सुविधाओं वाले जहाजों के अनियमित रूप स पहुचंने के कारण यूरोपीय देशों को मछली उत्पादों के निर्यात में होने वाली कठिनाईयों के बारे में सरकार को पता है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों को ऐसे सामान के नियमित रूप से भेजे जाने को सुनिशिचत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के विचार से कि भारतीय मीन निर्यातकों की रीफर स्थान संबंधी आवश्यकताएं नियमित रूप से तथा विनियमित आधार पर पूरी की जा सकें जहाजी स्थान की आवश्यकताओं का पहले से अनुमान लगाने और पहले से नौचालन कार्यक्रम बनाने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण व सम्बन्धित नौवहन पार्टियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया गया है। यह व्यवस्था इस वर्ष के आरम्भ में आरम्भ की गई थी और सब बातों को सोचते हुए यह संतोषजनक रूप से चल रही है।

सरकार द्वारा व्यापारियों से अपनी-अपनी वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिये की गई अपील

5096. **श्री बरके जार्ज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी अपनी वस्तुओं के मूल्यों में कमी करें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार स्फीतिकारी दबावों के विरूद्ध संघर्ष में समाज के सभी वर्गों से सहयोग के लिए अनुरोध करती है। जहां तक व्यापारी समुदाय का सम्बन्ध है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा नहीं करेंगे और मूल्यों में कमी लाने में यथा सम्भव सहायता देंगे। प्रधान मंत्री ने कई अवसरों पर, जब वे व्यापारी समुदाय

के प्रतिनिधियों से मिली थी, इस सम्बन्ध में अपील की है । ऐसी आशा की जाती है कि व्यापारी समुदाय की प्रतिक्रिया रचनात्मक होगी ।

पंजाब नेशनल बैंक के लिपिक कर्मचारियों में भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अन्य कर्मचरियों द्वारा अधिक्रमण के सम्बन्ध में असंगति का हटाया जाना

5097. **श्री सी० चित्ति बाबू :**
श्री भगीरथ भंवर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के लिपिक कर्मचारियों में वापस लिये गये भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियो के साथ इस प्रकार को भेदभाव दिखाया जाता है कि अन्य कर्मचारियों को जो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में थे भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों का अधिक्रमण करने दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस असंगति को दूर करने तथा भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को बैंक अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले भेदभाव से बचाने के लिये सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) भूतपूर्व कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पाकिस्तान के साथ युद्ध में उनकी सेवाओं के लिये किस प्रकार से पुरष्कृत किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंक ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अपने लिपिक कर्मचारियों में वापस लिये गये भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के साथ इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दिखाया है कि अन्य कर्मचारियों को जो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्थिति में थे भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारयों का अधिक्रमन करने दिया गया है ।

(ग) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, जो बैंक में वापस लिये गये हैं बैंक द्वारा निम्न लाभ प्रदान किये गये है :—

(1) ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि के लाभ सहित सेवा में निरंतरता ;

(2) वेतन और वरिष्ठता के निर्धारण प्रयोजनार्थ सेना की सेवा की गणना ;

(3) उनके उस परिकल्पित वेतन, जो उन्होंने बैंक में सेवा में लगे रहने पर लिया होता और उनके द्वारा सेना में लिये गये वास्तविक वेतन के अंतर की पूर्ति ;

(4) सेना की सेवा की अवधि के लिये बोनस ; और

(5) अर्जित किन्तु भर्ती के समय तक न लिये गये अवकाश का संचय ।

Assistance given by I.F.C. to Textile Industries

5098. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Finance** be pleased to state the assistance given by Industrial Finance Corporation to the textile industries. sugar industries and metal producing| manufacturing industries of Madhya Pradesh during the last three years?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): The total financal assistance sanctioned and disbursed by the Industrial Finance Corporation to the textile, sugar, basic metal and metal products manufacturing industries in Madhya Pradesh during its last three accounting years namely 1970-71, 1971-72 and 1972-73 (July-June) was as under:—

(Rs. on lakhs)

Name of the Industry	Financial assistance	
	Sanctioned	Disbursed
1. Textile . .	85·00	21·66
2. Sugar .		20·00
3. Basic metals . .		
4. Metal products	..	..
TOTAL . .	85·00	41·66

Note 1.—Disbursements include disbursals in respect of earlier sanctions also.

Note 2.—Financial assistance includes rupee loans and underwritings|direct subscription.

The Corporation did not reject any application for financial assistance in respect of projects located in Madhya Pradesh during the above three years.

Commodities Imported from Japan during 1971—73

5099. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the value of the Commodities imported from Japan during the financial years 1970-71, 1971-72 and 1972-73; and

(b) the names of the commodities imported?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) & (b): A statement showing the value and the commodities imported from Japan during 1970-71, 1971-72 and for the period April to December, 1972-73, for which figures are available, is attached. [Placed in the Library. See No. LT—5583/73]

Value of Smuggled Goods seized in Bombay

5100. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finiance** be pleased to state:

(a) the value in rupees of the smuggled goods seized in Bombay during the last six months;

(b) the number of persons arrested in this connection; and

(c) the quantity and value of the gold so seized?

The Minister of State in the Ministry of Finance Shri K. R. Ganesh: (a) Smuggled goods (including gold) valued at about Rs. 873 lakhs were seized by the Customs authorities in Bombay during the period from February to July, 1973.

(b) 247 persons were arrested in this connection.

(c) 57 Kilograms of gold valued at Rs. 4.8 lakhs at the international monetary rate was seized during this period.

Misuse of Stainless Steel quota in Madhya Pradesh during the last Three Years

5101. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether any cases of misuse of stainless steel quota have come to light in Madhya Pradesh State during the last three years;

(b) if so, the number of cases detected in this regard; and

(c) the action taken by Government against the persons who misused the quotas allotted to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George). (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Amount surrendered by Madhya Pradesh in 1971-72

5102: **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount which remained unutilised by the Madhya Pradesh Government during 1971-72 out of the allocations made to the State by the Centre and which had to be surrendered at the expiry of the financial year; and

(b) the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Kanesh): (a) and (b): The reference is perhaps to the funds allocated for the State Annual Plan of 1971-72. Central assistance for the State Annual Plan is allocated in the form of block loan and grant with the proviso that any shortfall in expenditure whether for the Plan as a whole or for earmarked schemes would result in proportionate reduction of the Central assistance. As against an allocation of Rs. 52.40 crores to the Government of Madhya Pradesh for their Annual Plan of 1971-72, a sum of Rs. 51.87 crores was provisionally released on the basis of the anticipated expenditure reported by the State Government. The shortfall in assistance was due to the reported shortfall in expenditure anticipated to, be incurred on earmarked schemes under National Cooperative Development Corporation and Elementary Education. Assistance for the year is yet to be finalised and will be done on the basis of the actual figures of expenditure as certified by the Accountant General.

बम्बई में कुछ लोगों के पास काला धन मिलने के कारण उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही

5103. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या वित्त मंत्री बम्बई में काले धन का पता लगाने के बारे में 16 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

	वित्तीय वर्ष 1971—72	1972—73
1. उन व्यक्तियों की संख्या जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई ।	41	59
2. ऊपर (1) के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 132(5) के अधीन संक्षिप्त कर निर्धारणों की संख्या	37	54
3. ऊपर (1) में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नियमित कर निर्धारण, तलाशी के दौरान एकत्रित सूचना के आधार पर किए गए हैं ।	4	4
4. ऊपर (1) में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें पकड़ी गई परिसम्पत्तियां धारा 132(5) के अधीन आदेश पारित किए बगैर, लौटा दी गई थीं क्योंकि उनके बारे में समुचित स्पष्टीकरण दे दिया गया ।	—	1

Loan advanced by Nationalised Banks to Small Farmers and Small Industrialists

5104. Shri M. S. Purty: Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of loan given to small farmers and small industrialists by the nationalised banks during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): Advances provided by the public sector banks, including nationalised banks, for agricultural development to farmers (including small farmers) and to small scale industrialists during the last 3 years have been as under:

(Rs. in Crores)

	Direct finance to agriculture (excluding Plantation)	Small scale industries
June, 1970	153·44	369·89
June, 1971	197·40	442·20
June, 1972	231·50	527·13

Separate statistics on advances made to small farmers are not at present available.

बेगमपेट (हैदराबाद) की एयर टर्मिनल बिल्डिंग में व्यक्तियों के प्रवेश के लिये शुल्क लिया जाना

5105. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेगमपेट हैदराबाद की एयर टर्मिनल बिल्डिंग में व्यक्तियों के प्रवेश के लिये किन नियमों और विनियमों के अन्तर्गत शुल्क लिया जाता है ; तथा इस शुल्क की उगाही आरम्भ होने के बाद से प्रत्येक मास कितनी राशि इक्ट्ठा की गई ;

(ख) बेगमपेट हवाई अड्डे पर कार पार्किंग के लिये एक रुपया शुल्क लेने का औचित्य क्या है और इस प्रक्रिया के आरम्भ से अब तक कार पार्किंग से प्रत्येक मास कितनी धनराशि प्राप्त होती है ; और

(ग) कार पार्किंग के लिये शुल्क लेने सम्बन्धी पट्टे की शर्तें क्या हैं और क्या टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर का क्षेत्र हैदराबाद नगर निगम का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) वायुयान नियम, 1937 के नियम 78–ए के उपबंधों के अंतर्गत एक शुल्क लगाया गया है । इसके लागू किये जाने से लेकर प्रति मास एकत्रित किये गये धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ख) वाहनों के पार्किंग का विनियमन करने के लिये 1 जून, 1973 से बेगमपत पर कार पार्किंग प्रणाली प्रारम्भ की गयी है । इस का पट्टा एक ठेकेदार को 4451/–रुपये प्रति मास पर दिया गया है ।

(ग) पट्टे की मुख्य शर्ते ये हैं :—

(i) लाइसेंसधारी कार पार्क क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग का विनियमन करेगा तथा हर एक वाहन से हर बार पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 रुपये का पार्किंग शुल्क वसूल करेगा ।

(ii) सरकारी स्टाफ कारें इस शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगी तथा ये लाइसेंसधारी द्वारा संधारित एक विशेष स्थान में रखी जाएंगी ।

(iii) कार पार्क क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग के विनियमन के सभी प्रबंध लाइसेंस धारी अपनी लागत पर करेगा तथा ये प्रबंध हैदराबाद हवाई अड्डे के एयरोड्रोम अफसर की दृष्टि से संतोषजनक होने चाहिएं ।

टर्मिनल भवन से नगर के ओर की भूमि जो कि कार पार्किंग के लिये लाइसेंस पर दी गयी है, नागर विमानन विभाग की है ?

विवरण

	15–4–72 से लागू किया गया शुल्क
	रुपये
अप्रैल 1972 (15–4–1972 से 30–4–72)	9,670
मई	19,670
जून	21,179
जुलाई	20,873
अगस्त . . .	21,598
सितम्बर	21,265
अक्तूबर	19,373

	15–4–72 से लागू लिया गया शुल्क
	रुपये
नवम्बर	18,403
दिसम्बर	23,989
जनवरी, 1973	23,806
फरवरी	18,966
मार्च	20,645
अप्रैल	20,974
मई	21,417
जून	20,424
जुलाई	20,548

Inviting of suggestions from reputed Econmists for improving Economy

5106. Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Govt. propose to invite suggestions from reputed Economists for improving Economy; and

(b) if so, the broad outlines of the proposal?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). Although there is no such proposal under consideration of the Government, yet Government pays due consideration on the ideas and suggestions made by the Economists on economic situation.

Arrears of Sales-tax in Meerut

5107. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a sum of Rupees twenty lakh as arrears of Sales-tax is outstanding against some businessmen in Meerut; and

(b) if so, the action taken by Government to realise this amount?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) and (b). Levy of tax on sales or purchases of goods taking place within a State is a State subject of taxation. The administration of Central sales tax has also been entrusted by law to the sales tax authorities of the States. The informaion sought for in the question is, therefore, being ascertained from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the House as soon as possible.

दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन कक्ष में लोगों के लिये स्थान की कमी

5108. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क तथा अन्य अधिकारियों के कार्यालय को स्थान देने के लिये हवाई अड्डे के आगमन कक्ष में अस्थायी विभाजन दीवार बनाई गई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सार्वजनिक उपयोग के लिये बचा शेष स्थान वहां पर प्रतिदिन आने वाले अनेकों लोगों के लिये अपर्याप्त है और विभाजक के कारण 'रनवे' का दृश्य दिखाई देना रुक जाने के कारण लोगों ने संवृत्ति नीति (क्लास्ट्रोंफोबियां) की शिकायत की हैं ;

(ग) क्या कक्ष में विमानों के आगमन की घोषणाएं करने का कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे यात्रियों को व्यर्थ ही वहां पर घंटों परेशान होना पडता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आगन्तुक यातायात के लिये और अधिक आवास निर्माण की योजनायें तैयार की गयी है । अन्तर्राष्ट्रीय आगमन कक्ष से धावनपथ का दृश्य विभाजक-दीवार के कारण नहीं अपितु विमान यातायात नियंत्रण भवन के कारण अवरूद्ध हुआ है ।

(ग) और (घ) बिजली द्वारा प्रकाशित उडान सूचना-पट्ट तथा सार्वजनिक घोषणा प्रणाली की व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

Rise in price of Commodities of Daily use in Uttar Pradesh

5109. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the reasons for the rise in prices of commodities of daily use every day in Uttar Pradesh particularly in the Eastern Districts?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): The reasons for the price rise in Uttar Pradesh are the same as in other parts of the country, namely, the drought conditions during the last one year which have led to shortfalls in the production of such essential commodities as foodgrains and vegetable oilseeds. The Eastern districts of the State are, perhaps, more susceptible to such pressures on prices because of the high density of population, and inadequate transport and communications, etc. It is also likely that the break in the monsoon in these districts in July this year may have further accentuated inflationary tendencies in this part of the country.

चमड़ा उद्योग विकास तथा निर्यात प्राधिकरण की स्थापना

5110. **श्री राम भगत पासवान :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विकास और वाणिज्य मंत्रालय के बीच मतभेद हो जाने के परिणामस्वरूप चमड़ा उद्योग विकास तथा निर्यात प्राधिकरण की स्थापना का कार्य रूक गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : चमड़ा निर्यात विकास निगम स्थापित किये जाने की एक प्रस्थापना पर सरकार विचार कर रही है । इससे पहले कि कोई विनिश्चय अन्तिम रूप

से किया जा सके, प्रस्थापना के सभी पहलुओं पर विचार करना होगा तथा सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों जिसमें औद्योगिक विकास मंत्रालय भी शामिल है, से विचार विमर्श करना पड़ेगा, जिसमें समय लग जायेगा ।

आर्थिक सहयोग के लिये इराक के साथ करार

5111. **श्री पी० ए० सामिनाथन् :**
श्री वी० मायावन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इराक ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिये करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) क्या इस करार को अभी तक लागू नहीं किया गया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सन्बन्ध में हुए करार की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). करार 26 जुलाई, 1973 को प्रवृत्त हुआ है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम की क्रय-प्रणाली में सुधार

5112. **श्री प्रभु दास पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग के महासंघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह खनिज तथा धातु व्यापार निगम को अपनी क्रय-प्रणाली में सुधार करने के निदेश दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी हां। सुझाव गत सप्ताह मिले थे और उन पर विचार किया जा रहा है ।

Textile Mills which were given Cotton by C.C.I.

5113. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the textile mills which were given cotton by the Cotton Corporation indicating the quantity of the cotton and the price at which cotton was given during the 1st January, 1973 to 31st July, 1973;

(b) the percentage of subsidy given by Government on the cotton purchased by textile mills; and

(c) the intention of Government for giving subsidy to textile mills on cotton?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George):

(a) A statement is attached. [Placed in the Library. See No. LT-5584|73].

(b) No subsidy has been given by Government on purchase of cotton by textile mills.

(c) Does not arise

बंगला देश में रहने भारतमूलक व्यक्तियों, द्वारा बंगलादेश में छोड़ी गई सम्पत्ति के मुग्रावजे के लिये दिये गये आवेदनपत्र

5114. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिकों द्वारा बंगलादेश भूतपूर्व पूर्व बंगाल में छोड़ी गई सम्पति के मुग्रावजे के लिय शत्रु सम्पत्ति के कस्टोडियन को एक वर्ष की अवधि से भी पहले बहुत से आवेदनपत्र दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो आवेदकों को कठिनाइयों से मुक्त करने के लिये इन दावों को शीघ्रता से निपटाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) केवल पश्चिम बंगाल के बारे में ही इस मामले में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सितम्बर, 1965 के संघर्ष के दौरान तथा उसके पश्चात जिन भारतीय राष्ट्रिकों तथा कम्पनियों की सम्पत्तियां जब्त कर ली गई थीं, उन्हें सरकार ने अन्तरिम राहत के रूप में भारतीय संचित निधि से अनुग्रह पूर्वक अनुदान देने का विनिश्चय किया है। दावों की यथासम्भव शीघ्रतापूर्वक जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बड़े पैमाने पर जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिये उठाये गये कदम

5115. **श्री झारखंडे राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश प्रशासन ने राज्य में खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बड़े पैमाने पर जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिये क्या उपाय किए है ;

(ख) राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरान्त कितने जमाखोरों और काला बाजार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या इन उपायों के परिणामस्वरूप राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और सप्लाई की स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया है, जिसमें वनस्पति, खाद्य तेल, टायर तथा टयूब, साबुन चीनी आदि जैसी 21 आवश्यक वस्तुएं आती हैं। उक्त आदेश के अनुसार प्रत्येक थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता को कीमत सूची तथा स्टाक दिखाना पड़ता है, रसीद देनी होती है और यदि उनके पास स्टाक उपलब्ध है तो वे बेचने से इन्कार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश गेंहूं (बेचने की आवश्यकता) आदेश, 1973' नाम से एक और आदेश भी जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता अथवा उपजकर्ता के पास आवश्यकता से अधिक गेहूं का स्टाक है तो उसे उसको प्राधिकृत अभिकर्ताओं को बेचना पड़ेगा। इस आदेश के अन्तर्गत, उपभोक्ता के लिये 5 क्विंटल तथा उपजकर्ता के लिए 20 क्विंटल की सीमा रखो गई है।

(ख) तथा (ग). 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, 105 दुकानों के लाइसेंस रद्द किये गये तथा 75 दुकानों के लाइसेंस निलम्बित किये गये। 148 लाइसेंसों की जमानत की राशि जब्त की गई है ? चार मामले न्यायालय में दर्ज किये गये हैं और 27 मामलों की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई है। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि तथा सप्लाई की स्थिति में सुधार हो रहा है।

Visit of Central Team to U.P. to assess Loss caused due to Floods

5116. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a Central Study team has been sent to Uttar Pradesh to assess the loss caused due to floods there;

(b) whether the said team has submitted its report to Government; and

(c) if so, the recommendations made therein and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

पर्यटकों के आकर्षण योग्य स्मारकों का सुधार

5117. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों के आर्कषण योग्य स्मारकों का सुधार करने हेतु कोई वृहद योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय समन्वय समिति ने, जिसमें शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्री भी सम्मिलित हैं, पांचवीं योजना के दौरान विकसित करने के लिये 10 पुरातत्वीय क्षेत्रों का चयन किया है। इसका मूल उद्देशय इन चुने हुए स्मारकों के वातावरण तथा प्राकृतिक परिवेश को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि इन स्मारकों के आसपास के क्षेत्र अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास से खराब न हों। इन में से कुछ केन्द्रों के लिये मास्टर प्लान तैयार करने होंगे जिन में पर्यटकों के लिये आवास, केफेटेरिया, पेयजल तथा शौचालय, पार्किंग क्षेत्र आदि जैसी सुविधाओं का जिनकी कि इन स्मारकों पर व्यवस्था करना आवश्यक होगा, निरुपण होगा। यद्यपि इन केन्द्रों के विकास की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र निश्चित कर दिये गये है तथापि स्कीमों के ब्यौरे, जिन में लागत भी सम्मिलित है, अभी तैयार करने हैं।

Consumption of Opium in India

5118. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the value of opium consumed by the registered opium addicts and for medical purposes in the country every year at present?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): The required information is as follows:—

Year	Value of opium supplied to States for issue to registered opium addicts on medical grounds	Value of opium supplied to pharmaceutical concerns for manufacture of medicene	Total
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1968-69 .	3,26,923	3,62,284	9,89,207
1969-70 .	2,42,114	6,98,672	9,31,786
1970-71 .	2,62,657	5,26,006	7,88,723
1971-72 .	4,28,615	5,77,844	10,06,459
1972-73 . . .	2,69,233	4,59,455	7,28,688

Financial Assistance sought by Orissa from World Bank for Electricity and Irrigation Facilities

5119. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Finance be pleased to state whether the Orissa Government have demanded about 50 crores of rupees from the World Bank to provide electricity and irrigation facilities in the State?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): A Project Report has been submitted by the Government of Orissa for seeking World Bank assistance for development of minor irrigation including exploitation of ground water resources and related energisation of pumpsets. This is under the consideration of the Government of India.

We have recently concluded an agreement with IDA for a Third Power Transmission Project in which Orissa is a beneficiary.

Setting up of alkaloid manufacturing unit in Jhabua (M.P.)

5120. **Shri Phool Chand Verma:**
Shri G. C. Dixit:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are having talks with Yugoslavia to set up alkaloid manufacturing unit in Jhaoua district in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the gist thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) M/s. Alkaloid Skopje of Yugoslavia have submitted to the Government a proposal for setting up a plant in Madhya Pradesh for extraction of morphine from poppy straw. No specific site for this purpose has been indicated in the proposal.

(b) The proposal envisages a plant with a capacity to pocess 20,000 tons of cut poppy heads. The process is reported to be based on water extraction and guarantees an average recovery of 70—75 per cent of the content of morphine in the raw-material.

महाराष्ट्र के एक मंत्री की तस्करी की गतिविधियों से कथित सम्बद्धता

5121. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के एक मंत्री की तस्करी की गतिविधियों से कथित सम्बद्धता के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि पत्र में इस बात का जिक्र है कि मंत्री के वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी ने एक ऐसे सीमाशुल्क अधिकारी को पीटा जो उस कार की तलाशी लेना चाह रहा था जिसमें मंत्री यात्रा कर रहे थे और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इसके परिणामस्वरूप हुई भाग दौड़ के दौरान यह कार तथा "कानवाय" की अन्य कारें किस प्रकार बिना जांच के आगे निकल गयी ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस घटना को दबा दिया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्व आसूचना तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मिल जुल कर इस जांच को करने का आदेश देने का है ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मुरुद परिमण्डल के सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारियों ने, जो प्राप्त सूचना के आधार पर एक कार की ताक में थे, 5 जून, 1973 की रात्रि को एक कार रोक दी थी। न तो इस कार की छत पर कोई सिगलन–लाईट थी और न ही उसके पीछे पीछे जाने वाली कार की छत पर। इसलिये, सीमाशुल्क कर्मचारियों को उसमें बैठे लोगों के बारे में कोई संकेत नहीं मिला और इसलिये कार को रोक लिया। लेकिन उन कारों को यह बात पता लगने पर जाने दिया कि उन दो कारो के नम्बर संदिग्ध गाड़ी के नम्बर से भिन्न थे। महाराष्ट्र राज्य के विधि और न्याय मंत्री आगे वाली कार में सफर कर रहे थे और उनके सुरक्षा कर्मचारी पीछे की कार में थे ?

(ख) सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारक) बम्बई, से प्राप्त रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिन सीमाशुल्क अधिकारियों ने कार को रोका, उन्हें मंत्री के सुरक्षा कर्मचारियों ने अपना पहचान-पत्र प्रस्तुत करने को कहा। दुर्भाग्यवश, उन दो अधिकारियों के पास उस समय पहचान पत्र नहीं थे। उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों को यह बताया कि सीमाशुल्क विभाग की जीप पास ही में खड़ी की गयी थी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी पूरी वर्दी में हथियार के साथ वहां ड्यूटी पर था जो उनकी पहचान की शिनाख्त करने के लिये पर्याप्त था। लेकिन, इस स्पष्टीकरण के बावजूद भी दोनों सीमाशुल्क अधिकारियों को मंत्री के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा निकटतम पुलिस थाने में शिनाख्त के लिये ले जाया गया। समाहर्ता ने यह भी रिपोर्ट दी है कि सुरक्षा अधिकारियों पर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया गया है और उन्होंने सीमाशुल्क अधिकारी को थप्पड़ मारने की कोशिश की। लेकिन पुलिस थाने पर उनकी शिनाख्त हो जाने के बाद सीमाशुल्क अधिकारियों को जाने दिया गया।

जिस समय, सीमाशुल्क अधिकारी पुलिस थाने में थे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्यूटी पर ही रहे और उन्होंने नाके पर अपनी निगरानी रखी। उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि सीमाशुल्क अधिकारियों के चले जाने के बाद पांच से सात मिनट के अन्दर एक कार, ड्यूटी पर खड़े चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों दवारा

उसे रोकने की पूरी कोशिश करने के बावजूद तेज रफ्तार से निकल गयी। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मंत्री की कार अथवा भाग निकलने वाली कार कानवाइ का ही एक भाग थी ?

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसमें यह सुझाव दिया गया हो कि इस घटना को राज्य सरकार द्वारा दवा लिया गया है।

(घ) तथा (ङ). राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय को, ऊपर (ख) में उल्लिखित मामले में जांच पड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रश्न के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को लिखा गया है कि क्या इस मामले को जांच पड़ताल के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाय या नहीं।

जापान में सूखी चाय को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी आन्दोलन तेज करना

5122. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का जापान में सूखी चाय को प्रोत्साहन देने संबंधी आन्दोलन तेज करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). बढ़िया भारतीय चाय-पैकों का प्रचलन करने के लिये तीन जापानी आयातकों/पैकरों के सहयोग से संवर्धन कार्य आरंभ किया गया है। वे फर्में हैं—मित्सुई नोरिन क०, निशोकू एण्ड कं० लिमिटेड तथा ताकानोस लि०। वर्ष 1973 के दौरान मित्सुई नोरिन कं० के साथ संवर्धन संबंधी योजना में बोर्ड को अपने भाग के रूप में 1.90 रुपये देने होंगे। इस योजना में चलचित्र विज्ञापनों और मासिक पत्रिकाओं में विज्ञापनों के माध्यम से तथा उपहार की वस्तुएं भेंट करके संवर्धन कार्य करने का विचार है। निशोकू कं० के साथ प्रचार सहयोग की योजना में बोर्ड द्वारा 25,000 रुपये मूल्य की भारतीय उपहार सामग्री की, जैसे कि संदल की लकड़ी के हाथी आदि की व्यवस्था की गई है। दो महिला सहायक पहले ही जापान जा चुकी हैं और एक जाने वाली है। वे इन फर्मों द्वारा प्रचलित भारतीय चाय तथा चाय के पैकों को लोक-प्रिय बनाने हेतु स्टोर प्रदर्शन का कार्य करती है।

नेपाल को उत्पादशुल्क का वापस किया जाना

5123. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा नेपाल को 2 करोड़ की राशि का उत्पादशुल्क वापस किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो अदायगी कब तक की जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या भारत ने नेपाल सरकार को उत्पादशुल्क वापस करने संबंधी आश्वासन दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग). भारत में निर्मित माल पर वसूल किया गया उत्पादनशुल्क, ऐसे माल के नेपाल को निर्यात किये जाने पर, नेपाल के महामहिम की सरकार को वापस किया जाता है। नेपाल के महामहिम की सरकार ने जनवरी, 1964 तक लागू पुरानी कार्यविधि के अधीन निर्यात किये गये माल पर विशेष तथा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में 2.1 करोड़ रुपये की वापसी का दावा भी किया है।

भारत ने इस रकम की अदायगी तदर्थ आधार पर करना स्वीकार कर लिया था वशर्ते कि नेपाल भारतीय माल के विरुद्ध सीमाशुल्क टैरिफ विभेद को हटा ले। नेपाल द्वारा यह केवल जुलाई, 1972 से किया गया था। दावे की जांच अब की जा रही है। लेकिन चूंकि नेपाल संगत माल के विवरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता है इसलिये दावे की जांच में समय लग रहा है।

खान तथा धातु व्यापार निगम द्वारा रूस के अभ्रक का निर्यात करने सम्बन्धी किया गया करार

5124. श्री प्रभुदास पटेल :
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान तथा धातु व्यापार निगम ने 5.3 करोड़ रुपये की लागत के अभ्रक का रूस को निर्यात करने संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या 1973 पूर्वार्ध के दौरान गत वर्ष को इसी अवधि की तुलना में अभ्रक के निर्यात में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने सोवियत संघ को 1.2 करोड़ रु० के मूल्य का साधित अभ्रक निर्यात करने के लिये एक संविदा सम्पन्न की है। संविदा सरकार द्वारा निर्धारित किये गये निम्नतम मूल्य पर सम्पन्न की गई है। सुपुर्दगी दिसम्बर, 1973 के अन्त तक पूरी हो जाएगी।

(ख) इस वर्ष के पूर्वार्ध में अभ्रक के उत्पादन तथा निर्यातों में कुछ कमी आई थी, परन्तु खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस बीच विदेशी खरीदारों के साथ काफी संविदाएं की हैं, जिससे अभ्रक के उत्पादन तथा निर्यातों में गिरावट आना रुक जायेगा।

एच० एम० टी० घड़ियों की भारत से तस्करी

5125. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० घड़ियों की भारत में तस्करी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) घड़ियों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). एच० एम० टी० घड़ियों के भारत से बाहर तस्कर-निर्यात का कोई मामला वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) माल के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए, जिसमें घड़ियां भी शामिल हैं, निम्नलिखित उपाय किए गये हैं:––

व्यवस्थित ढ़ंग से सूचना एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर संदेह हों उनकी तलाशी लेना और समुद्रतट तथा भूसीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना। प्रभावी रूप से मार्ग में रोकने, रोकथाम आदि के लिए समय समय पर अतिरिक्त लांच नौकाओं और वाहनों

योरूपीय सांझा बाजार द्वारा जारी की जा रही नई मुद्रा के साथ भारत के रुपये का सम्बन्ध

5126. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योरूपीय सांझा बाजार द्वारा जारी की जा रही नई मुद्रा के साथ यदि भारत के रुपये का कोई सम्बन्ध होगा तो वह क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): अपनी मुद्रा को विनिमय दर से मुक्त करने के सयुक्त प्रबन्धों के अधीन जिनमें मार्च, 1973 से योरूपीय सांझा बाजार के 6 सदस्य भाग ले रहे हैं, सदस्य देश 2.25 प्रतिशत के अधिकतम मार्जिन के साथ, अपनी मुद्राओं के बीच निश्चित सम्दन्ध बनाये रखेंगे। सदस्य देशों की मुद्राएं, अमरीकी डालर और विश्व की अन्य मुद्राओं की तुलना में संयुक्त रूप से विनिमय दर से मुक्त है, पौण्ड स्टर्लिग, जिसके अनुसार भारतीय रुपये की केन्द्रीय पर निर्धारित की जाती है, इस समय स्वतन्त्र रूप से विनियम दर से मुक्त है। इसके परिणामस्वरूप, युरोपीय सांझा बाजार की संयुक्त रूप से विनिमय दर से मुक्त छः मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये की "क्रोस" दर का निर्धारण पौण्ड स्टर्लिग की तुलना में इन मुद्राओं की विनिमय दर में होने वाली घट-बढ़ के आधार पर किया जाता है। एक प्रस्ताव यह भी है कि आर्थिक तथा मुद्रा सम्बन्धी संयोजनी के एक भाग के रूप में युरोपीय सांझा बाजार के सदस्यों की, अन्ततः एक मुद्रा होनी चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव का ठोस रूप क्या होगा इसका अनुमान इस समय नहीं लगाया जा सकता। इस स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि अन्ततः जब कभी यह नई मुद्रा जारी की जाएगी अन्त में तब उसका भारतीय रूपये से क्या सम्बन्ध होगा।

विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने के लिये खाद्य तथा कृषि और वित्त मंत्रालय के बीच तालमेल

5127. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने के लिए खाद्य कृषि और वित्त मंत्रालय के बीच क्या तालमेल है;

(ख) इस प्रकार का मापदण्ड निर्धारित करने के क्या आधार हैं; और

(ग) सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मूल्य कम निश्चित तथा पुनः निश्चित किए जाते हैं और इस मूल्यों को सरकार द्वारा अधिकारपूर्वक लागू न करने के क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) यद्यपि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धी प्रशासनिक मंत्रालय की होती है फिर भी, वित्त मंत्रालय सहित सम्बन्धित विभागों के विचार जानने के बाद ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाती है।

(ख) कृषि-अन्य वस्तुओं के मूल्य कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्टों के आधार पर और खाद्य पदार्थो अर्थात चीनी, वनस्पति के मूल्य टैरिफ आयोग की रिपोर्टों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यों को निर्धारित करने और आवश्यकतानुसार राज्यवार कोटा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य समर्थकारी कानूनों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्रवर्तन के लिए आवश्यक अधिकार दिये गये हैं।

आस्ट्रेलिया को भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर आयात शुल्क में की गई कमी का प्रभाव

5128. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया द्वारा भारत आयात शुल्क में की गयी 25 प्रतिशत कमी का आस्ट्रेलिया को भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है।

(ख) क्या आस्ट्रेलिया को परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जुलाई, 1973 के दूसरे पखवाडे में आस्ट्रेलिया द्वारा शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी करने सम्बन्धी सूचना का व्यापक प्रचार किया गया है। तथापि, अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आस्ट्रेलिया को किए जाने वाले भारतीय सामान के निर्यातों पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या पडेगा।

परम्परागत और साथ ही अपरम्परागत उत्पादों के अनुवरत आधार पर निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार सभी सम्भव प्रयास कर रही हैं।

आस्ट्रेलिया को किए जाने वाले परम्परागत निर्यातों की प्रमुख मदें पटसन निर्मित माल, चाय व सूती वस्त्र हैं। सामान्य निर्यात सम्बर्धन उपायों के अतिरिक्त लागतों में कमी करके पटसन निर्मित माल की प्रतियोगी स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर हाल ही में कालीन अस्तर तथा हैसियत पर निर्यात शुल्क को 400 रुपये प्रति मे० टन कम कर दिया गया है और टाट पर लगे शुल्क को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। जो गवेषणा तथा विकास कार्य किया जा रहा है उसका उद्देश्य केवल लागत में कमी करना ही नहीं अपितु पटसन के नए उपयोगों व नए उत्पादों का विकास करना भी है। चाय के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से आस्ट्रेलिया में दो केन्द्र खोले गए हैं, नियमित आधार पर प्रदर्शन किए जाते हैं, आधुनिक साधनों से व्यापक प्रचार किया जाता है, प्रदर्शनियों में भाग लिया जाता है और मेलों का आयोजन किया जाता है तथा आस्ट्रेलिया में निदेशक की देखरेख में चाय बोर्ड के एक कार्यालय की स्थापना की गई है। सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में जहां एक ओर उत्पादन बढ़ाने और उत्पादो का निर्यात योग्य अतिरिक्त फालतु माल का, जिनकी आस्ट्रेलिया सहित गुरूचिपूर्ण बाजारों में मांग है, सृजन करने के प्रयास किए जा रहे है वहां दूसरी ओर संवर्धनात्मक उपायों जैसे प्रदर्शनियों मेलों, फैशन शों आदि के माध्यम से भारतीय टैक्सटाइल की प्रसिद्धि को बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सिले सिलाए परिधानों, जो एक अपरम्परागत मद है, के निर्यात भी बढ़ रहे हैं और सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् अक्तूबर, 1973 में इंगलेड की महारानी के आस्ट्रेलियाई दौरे के अवसर पर फैसन परिधानों तथा फैब्रिक्स का प्रदर्शन करने का विचार कर रही है।

Nationalised Banks functioning in Patna

5129. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the nationalised banks functioning in Patna;

(b) the number of Officers and employees working in each bank as on the 30th June, 1973, separately; and

(c) the bank-wise number of Harijan and Adivasi officers and employees out of them working therein?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): (a) to (c) Information as furnished by the 10 nationalised banks having branches in Patna, as on 30-6-1973, is given below:—

Name of Bank	Officers		Clerks		Subordinate	
	Total	SC/ST	Total	SC/ST	Total	SC/ST
Central Bank of India .	90	—	176	3	103	9
Bank of India .	25	—	52	—	18	2
Punjab National Bank .	7	—	66	—	26	2
Bank of Baroda . .	2	—	6	—	6	1
United Commercial Bank	12	—	36	1	17	3
Canara Bank . .	5	—	24	—	5	—
United Bank of India	11	—	30	—	13	2
Dena Bank . .	5	—	13	—	12	—
Union Bank of India .	4	—	14	—	7	2
Allahabad Bank . .	18	—	65	2	30	2

Reinstating of Class IV Employees of Reserve Bank of India in Patna

5130. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether favouritism and discrimination have been practised in reinstating class IV employees in the Patna Branch of the Reserve Bank of India;

(b) whether the affected persons have sent a memorandum to him in this regard; and

(c) if so, the contents of the memorandum and the reaction of Government thereto?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): (a) to (c) No representation about favouritism and discrimination practised in reinstating class IV employees in Reserve Bank of India, Patna appears to have been received. However, a representation dated 6th June, 1973 addressed to the Finance Minister has been received in which it has been alleged that waiting list drawn by Reserve Bank of India, Patna Branch in the year 1969 for recruitment of Mazdoors has been cancelled after it remained alive for more than four years. The request in the representation was that the Reserve Bank should not prepare a fresh list till all the persons on the old list have been appointed.

The Reserve Bank of India have informed that waiting list of Mazdoors was prepared on 27th December, 1969 having a normal currency of one year. Currency of this list was extended first upto 25-6-1972 and then upto June, 1973. The Reserve Bank of India has informally advised the Local Class IV Workers Union that the candidates whose names were on the waiting list could also apply again and their case would be considered by the bank sympathetically.

सैन्ट्रल बैंक अंशकालिक पास बुक लेखकों को कार्यकारी समिति के चेयरमैन की ओर से ज्ञापन का प्रस्तुत किया जाना

5131. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या 30 जुलाई, 1973 को सैन्ट्रल बैंक अंशकालिक पास बुक लेखकों को कार्यकारी समिति दिल्ली क्षेत्र के चेयरमैन की ओर से प्रधान मंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसकी एक प्रति उन्हें तथा श्रम मंत्री को भी दी गयी :

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का पाठ क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस पर में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) सैन्ट्रल बैंक के अंशकालिक पास बुक लेखकों के अध्यक्ष से 30 जुलाई, 1973 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन में निम्नलिखित मांगे की गई है ;

(i) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के दिल्ली क्षेत्र के अंशकालिक पास बुक लेखकों को पूर्णकालिक पास बुक लेखकों अथवा लिपिकों के रुप में खपाया जाये।

(ii) सभी निकाले गए अंशकालिक पास बुक लेखकों को फिर से काम पर लिया जाए।

(iii) नियुक्ति की मूल तिथि से उनके लिए वेतन वृद्धि, चिकित्सा सहायता, अवकास की सुविधाए दी जाए।

(ग) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अंशकालिक पास-बुक लेखकों को बैंक की सेवा में लेने के लिए विशेष अपवाद के रुप में कुछ सुविधाएं प्रदान की है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवालागत (सर्विस कास्ट)

5132. चौधरी रामप्रकाश – क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवा लागत (सर्विस कास्ट) में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराय चव्हाण): **(क) और (ख)** : शायद माननीय सदस्य के मन में ग्राहको से कमीशन विनिमय, बट्टे आदि के रूप में लिये जाने वाले सेवा प्रभारों की बात है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए, लिए जाने वाले शुल्कों की अनुसूची में कोई सामान्य वृद्धि नहीं की गई है।

स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन, दिल्ली सर्कल, के निलम्बित कर्मचारियों के विरूद्ध जांच के निष्कर्ष

5133. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या वित्त मंत्री 27 जुलाई 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 878 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक कर्मचारी एसोसिएशन, दिल्ली सर्किल, के निलम्बित कर्मचारियों के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है कि 24 अप्रैल 1973 को निलम्बित कर्मचारियों को आरोप पत्र दे दिये गए थे और उनसे उनका उत्तर मांगा गया था। जांज अभी पुरी नहीं हुई है क्योकि कर्मचारियों ने बैंक से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं और अभी तक लगाए गये आरोपों के उत्तर नहीं दिये हैं।

दिल्ली हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के ग्लाइड-पाथ का अनियमित रूप से कार्य करना

5134. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की पूरी तरह से जांच की गयी है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर लगे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के ग्लाईड-पाथ के अनियमित रूप से कार्य करने का वास्तविक कारण क्या हैं; और

(ख) यदि हां तो उसका निष्कर्ष क्या है और इस सम्बन्ध में क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थापित समस्त यांत्रिक अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस०) को, जिस में ग्लाईड-पाथ भी शामिल है, पूर्ण रूप से जांच-पड़ताल की गयी है तथा यह पाया गया है कि वह अनुमत सीमाओं के अंतर्गत सामान्य रुप से कार्य कर रही है।

राज्य व्यापार निगम का आयात-निर्यात बजट बनाने के बारे में निर्णय

5135. **श्री रामभगत पासवान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने अपना निर्यात-आयात बजट वार्षिक बनाने की अपेक्षा, जैसा कि अब किया जा रहा है, दो या तीन वर्षों के लिये इकट्ठा बनाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसके लाभ क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पहले से ही दो अथवा तीन वर्षों के आधार पर निर्यात/आयात की योजना बनाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ख) ऐसा करने के कारण और लाभ ये है :—

(1) आयातों के मामले में, इससे विनियमित और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कीमतों पर उद्योग को सप्लाइयां जारी रखना सुनिश्चित हो सकता है।

(2) निर्यातों के मामले में, निर्यात अभिमुख एककों को पहले से ही निर्यात वचनबद्धताओं की जानकारी मिल जाएगी जिससे बेहतर योजना की व्यवस्था होगी। इससे सुस्थिर निर्यात बाजार सुनिश्चित हो सकेगा और नये बाजारों में प्रवेश के बेहतर अवसर मिलेगे।

(3) इससे पहले से ही आयातों के लिये विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं का पता लगाने और विदेशी मुद्रा साधनों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य भी पूरे किये जा सकते हैं।

लैटिन अमरीका में संयुक्त उद्यमों को स्थापना

5136. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लैटिन अमरीका में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर किये है जिसके परिणामस्वरुप करोड़ों रुपये की भारतीय पूंजी देश से बाहर चली जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काहिरा में काम कर रहे चाय बोर्ड कर्मचारी

5137. **श्री एम० एस० संजीवी राव**: क्या **वाणिज्य मंत्री** 3 अगस्त, 1973 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 1813 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यकाल अवधि के नियमों के विरुद्ध काहिरा स्थित चाय बोर्ड के कार्यालय में एक निरीक्षक को, जो गत 9 वर्षों से वहां है, वहीं बनाए रखने के क्या कारण हैं;

(ख) उत्तर के अनुसार इस निरीक्षक विशेष से बोर्ड का क्या विशेष हित सिद्ध हो रहा है जिसके लिए उसे 9 वर्षों से वहा रखा हुआ है; और

(ग) इस मामले में सेवा की अवधि में वृद्धि करने की तरह की अन्य कौन-कौन सी सुविधायें देने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) विदेश स्थित चाय बोर्ड के कार्यालयों में भारत आधारित स्टाफ के सामान्य कार्यकाल के संबंध में छूट दिये जाने से एक निरीक्षक जनवरी, 1964 से प्रतिनियुक्ति पर कार्य करता चला आ रहा है। यह व्यवस्था चाय बोर्ड के कार्य के हित में आवश्यक समझी गई है। इस निरीक्षक को उसकी प्रतिनियुक्त की अवधि में, जिसमें बढ़ाई गई अवधि शामिल है, नियमों के अन्तर्गत सामान्य हक दिये जाते हैं।

Expansion of Share Capital by Maruti Limited, Haryana

5138. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 661 on the 23rd February, 1973 and state:

(a) the extent to which Government have allowed Maruti Limited, Haryana to expand its share capital; and

(b) the number of shares sold by the said Company to different persons, or firms from February, 1973 to June, 1973 indicating the names?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) M/s. Maruti Ltd., Haryana had been allowed by the Controller of Capital Issues to issue further equity share capital of Rs. 160 lakhs in addition to equity capital of Rs. 24.61 lakhs raised by the Company under the Capital Issues (Exemption) Order, 1969.

(b) 1,40,500 equity shares of Rs. 10|- each were allotted by the said company to different persons|firms|companies during the period February to June, 1973 as shown in the Annexure. [Placed in the Library. *See* No. LT-585|73].

Violation of agreement about flights entered into between the Management of Air India and Indian Pilots Guild in 1960

5139. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether an agreement about flights was entered into by the Management of Air India with the Indian Pilots Guild in 1960;

(b) whether the Air India Management has violated the agreement; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c) Air-India's Management did not enter into any agreement in 1960 with the Indian Pilots' Guild regarding flights. An agreement was, however, made regarding emoluments and other conditions of service, including Flight and Duty Time limitations. Air-India's Management reports that it has not violated the agreement.

Dissatisfaction of All India Railway Guards Council over the Recommendations of Third Pay Commission

5140. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the All-India Railway Guards Council has expressed its dissatisfaction over the recommendations of the Third Pay Commission and have submitted a memorandum to the Prime Minister in this regard; and

(b) if so, the main points thereof and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir.

(b) The following are the main points mentioned in the memorandum:—

(i) The Third Pay Commission has recommended revised pay scales for Guards Grades A, B & C on the assumption that a percentage of running allowance allowed to them is counted as pay. This assumption is incorrect.

(ii) The grades of Guards A & B should be merged as their nature of duties and responsibilities are similar.

(iii) The Guards should be given revised pay scales as indicated below:

	Existing scale	Proposed scale
	Rs.	Rs.
Guards Gr. A .	205—280	550—750
Guards Gr. B .	150—240	
Guards Gr. C .	130—225	425—640
Brakesmen	110—130	280—480

The points raised in the memorandum would be given due consideration by the Ministry of Railways while examining the recommendations of the Third Pay Commission in regard to this category.

अशोक होटल के वातानुकूलन विभाग से गुम हुए/चुराये गये उपकरण

5141. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल के वातानुकूलन विभाग से लगभग 40 हजार रुपए के उपकरण गुम हो गए/चोरी चले गए ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गुम हुए/चोरी चले गए सामान का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अशोक होटल के वातानुकूलन अनुभाग से लगभग 9,600 रुपए के मूल्य का सामान गुम हुआ बताया जाता है।

(ख) प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के आधार पर प्रत्यक्षतया तीन कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार प्रतीत होते हैं और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

(ग) तथाकथित गुम हुए सामान का विवरण इस प्रकार है :—

एग्जास्ट फैन	1
सिलेक्टो फ्लो वाल्व	300
कूलिंग टावर नाजल	700

गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

5142. **श्री झारखंडे राय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षमताओं को बढ़ा कर आगामी छः वर्षों में कई गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात योग्य फालतू माल बनाने की एक योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना और उसके बाद के लिए एक दीर्घकालिक निर्यात नीति की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर एस० चक्रवर्ती, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक दल हाल ही में स्थापित किया गया है और इसनें अपने विचार-विमर्श शुरू कर दिए हैं । दल के विचारार्थ विषयों में से एक समुचित उत्पादन आधार तथा निर्यातों हेतु फालतू माल का सृजन करने के लिए अपेक्षित उपायों की सिफारिश करना है ।

पालम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क विभाग के गोदाम और राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों का तस्करी काण्ड में कथित हाथ

5143. श्री विक्रम महाजन :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पालम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क विभाग के गोदाम और राजस्व आसूचना निदेशालय के कुछ अधिकारी तस्करी करने वाले व्यापार गृहों और व्यक्तियों से मिले हुए बताये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ;

(ग) इस में अन्तर्ग्रस्त फर्मों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ; और

(घ) क्या इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) एक शिकायत की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पालम स्थित सीमाशुल्क विभाग के गोदाम तथा राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के कुछ कर्मचारियों के साथ षडयंत्र करके एक अज्ञात बाहरी आदमी ने 24-7-73 को शाम को पालम स्थित सीमाशुल्क विभाग के गोदाम से एक थैले को हटाने का प्रयास किया जिसमें कुछ माल था ।

(ख) जिन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं वे दो अधिक्षक, दो निरीक्षक तथा एक उपनिरीक्षक है । एक अधीक्षक और उप-निरीक्षक को मुअत्तिल कर दिया गया है ; दो निरीक्षकों को पालम स्थित सीमाशुल्क विभाग के गोदाम से स्थानान्तरित किया गया है और राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधीक्षक को फिलहाल ऐसे कार्य पर लगा दिया गया है जिसमें उसे पालम स्थित सीमाशुल्क विभाग के गोदाम अथवा हवाई अडडे पर जाना नहीं पड़गा । जो भी साक्ष्य सामने आयेगा उसी के आधार पर आगे कार्यवाही पर विचार किया जायगा ।

(ग) बाहरी आदमी की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है ।

(घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता-कार्यालय, दिल्ली और राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रारम्भिक जांच के बाद मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच-पड़ताल के लिए भेजा गया था । लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सलाह दी कि इसे जांच के लिए स्थानीय

पुलिस को दे दिया जाये। एतदनुसार, मामला स्थानीय पुलीस को सौंप दिया गया है। फिर भी, केन्द्रीय जांच ब्यरो से कहा गया है कि वे इस षडयंत्र के और अधिक विस्तार के बारे में जांच करें जो इस मामले में सामने आएं।

देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों को अपने महलों को फाइव-स्टार होटलों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में दी गई अनुमति

5144. श्री विक्रम महाजन :
श्री एम० एस० जोजफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 15 अगस्त, 1973 तक देशी राज्यों के कितने और कौन-कौन से भूतपूर्व नरेशों को अपने महलों को फाइवस्टार होटलों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई ;

(ख) अनुमति किन शर्तों पर दी गई ; और

(ग) ये होटल कहां स्थापित हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से किसी विशेष अनुमति की आवयश्कता नही है।

Reservation of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Narcotics Department

5145. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Class III posts in Narcotics Division have been reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, the number thereof;

(c) whether Kothi Muharars and Sub-Inspectors have not been confirmed against the reserved posts in Madhya Pradesh on due dates and Government have received complaints in this regard; and

(d) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (d) The general orders of the Government regarding reservation of Class III posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are applicable to the Narcotics Department also. Representations have been received to the effect that the communal roster has not been followed correctly in making confirmations in the cadre of Kothi Moharrirs and Sub-Inspectors in the Narcotics Department. The matter is being examined and information will be laid on the Table of the House as soon as possible.

काफी बोर्ड में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए काफी बोर्ड अधिनियम और नियमों में संशोधन

5146. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में काफी बागानों की क्षमता और विशिष्ट प्रगति

को दृष्टिगत रखते हुए काफी बोर्ड में प्रतिनिधित्व या उसकी पूर्ण सदस्यता के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) क्या काफी बोर्ड में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए काफी बोर्ड अधिनियम और नियमों में संशोधन करना पड़ेगा ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . जी हां।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हवाई अड्डे बनाना

5147. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन किन स्थानों पर हवाई अड्डे बनाये जायेंगे ;

(ख) उन पर कितना खर्च होगा; और

(ग) क्या नये हवाई अड्डों के लिए स्थानों का चयन करते समय परिवहन के परमपरागत साधानों की अभ्यता को भी दृष्टिगत रखा जायेगा ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये विमान क्षेत्रों के निर्माण के प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) सभी सबंधित पक्षों पर विचार किया जायेगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कास्टोडियनों का स्थानांतरण

5148. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियनों का स्थानांतरण किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी कस्टोडियन को एक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . शायद माननीय सदस्य के मन में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध, और विविध उपबन्ध) योजना, 1970 के उपबंधों के अनुसार की गयी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध-निदेशकों की नियुक्ति की बात है । राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध निदेशों की बदली एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं की जाती । फिर भी, उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यक्ति की जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करता रहा हो उसके द्वारा पहला, बैंक छोड़ दिए जाने पर किसी दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी अभी तक एसा कोई मामला नहीं हुआ हैं ।

मछुओं या उनके संगठनों द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए आयात हकदारी

5149. श्री बी०वी० नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मछुओं या मछुओं की सहकारी समितियां या मछुओं के संगठनों को उनके द्वारा पकड़ी गयी मछलियों के समुद्री उत्पादों के निर्यात के इवज में आयात हकदारी दी गई हैं ;

(ख) उसका मूल्य क्या है ; और

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यात व्यापार से बिचौलियों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जिन मछुओं अथवा मछुओं की सहकारी समितियों अथवा मछुओं के संगठनों को उनके समुद्री उत्पादों के निर्यातों के आधार पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनकी संख्या के संबंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ख) 1972–73 के दौरान मछली तथा मछली उत्पादों के निर्यातों के आधार पर विनिर्माता-निर्यातकों को 5.16 करोड़ रु० (लागत, बीमा, भाड़ा) के आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ग) निर्यात संवर्धन के हित में, व्यापारी निर्यातक तथा पात्र निर्यात सदन भी मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं परन्तु उन्हें पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही आयात प्रतिपूर्ति हकदारियों का उपयोग करने की अनुमति है।

मैसूर राज्य में यान में शैल समूह (राक फारमेशन) के लिये प्रचार

5150. श्री बी० बी नायक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में यान में शैल समूह का उनके मंत्रालय ने फोल्डरों के रूप में प्रचार किया है और यदि हां, तो कब ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या अब ऐसा प्रचार करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) पर्यटन विभाग ने मैसूर राज्य में यान नामक स्थान पर शैल समूह (राक फारमेशन) पर कोई विवरणिका (फोल्डर) प्रकाशित नहीं की है क्योंकि इस स्थान तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है और वहां पर्यटन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) फिलहाल इस क्षेत्र के लिए पर्यटन विकास की कोई योजनायें नहीं हैं।

वर्ष 1973 के दौरान पालम हवाई अड्डे पर विमानों को ध्वस्त कर देने के बारे में टेलीफोन पर दी गई धमकियों की संख्या

5151. श्री शशि भूषण : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में अब तक पालम हवाई अड्डे पर विमानों को ध्वस्त कर देने के बारे में टेलीफोन पर दी गई धमकियों की संख्या क्या है ;

(ख) इनमें से कितनी धमकियां में सही निकलीं और कितने अपराधियों का पता लगा ;

(ग) क्या इन टेलीफोन कालों के स्रोत का पत लगाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके स्रोतों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सात ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) पालन एयर पोर्ट के टलीफोन एक्सचेंज तथा स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया गया है ।

"वेस्ट आफ एक्सपोर्ट प्रोमोशेन फंडस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

5152. **श्री शशि भूषण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अगस्त, 1973 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में 'वेस्ट आफएक्सपोर्ट प्रोमोशन फंड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जाज) : (क) सरकार ने निर्दिष्ट समाचार को देखा लिया है ।

(ख) इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा निर्यात सवंर्धन निधियों के किसी अपव्यय की जानकारी सरकार को नहीं मिली है । जो राशियां निर्यात संवर्धन निधि के लिए अब तक एकत्र की गई हैं उसके बारे में सूचना मिली है कि उसे वस्त्र निर्यातों पर नकद सहायता के रूप में पहले ही व्यय किया जा चुका है, सिवाय शेष 2.6 करोड़ रु० के जो कि अभीव्यय किया जाना है ।

प्रत्यक्ष करों की वसूली में हेरा फेरी

5153. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 1973 के 'न्यू एज' में प्रकाशित शीर्षक 'बंगलिंग इन कलेक्शन आफ डायरेक्ट टैक्सिज' (प्रत्यक्ष करों की वसूली में हेरा फेरी) की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गनेश) : (क) जी, हां ।

(ख) स्थिति स्पष्टीकरण इस प्रकार है :—

(i) बिड़लाओं के कर संबंधी मामलों के संचालन के बारे में श्री कल्याणराय के संदर्भ के विषय में श्री कल्याणाराय द्वारा 15 मई, 1973 को रज्य सभा में पूछे गये

तारांकित प्रश्न सं० 296 और उसके उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, देखिए संलग्न प्रति (अनुबंध) [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-5386/73]

(ii) दोनों करों अर्थात् प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप भिन्न है और इसलिए दोनों के बीच तुलना करना उचित नहीं है।

(iii) सरकारी लेखा समिति (1972-73) की 88वीं रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और की गई टिप्पणियों की जांच पड़ताल की जाएगी और समुचित कार्यवाही की जायेगी तथा की गयी कार्यवाही की इत्तला समितिको दे दी जाएगी।

(IV) जहां तक प्रत्यक्ष कर प्रशासन के संचालन का संबंध है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कार्यप्रणाली को उन मामलों के बारे में पुनर्गठित कर दिया गया है जो सरकारी लेखा समिति के सामने आ सकते हैं और जिसका संबंध लेखा-परीक्षा से है।

आय-कर विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन को, अधिक कारगर बनाने के लिए सुदृढ़ और सुव्यवस्थित किया गया है। लेकिन वांचू समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन में, और वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में बोर्ड के ढांचे में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है।

केन्द्रीय विक्रय-कर की मैसूर में बकाया राशि

5154. **श्री धर्मराव अफजल पुरकर:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) वर्ष 1969-71 और 1971-72 में मैसूर राज्य में केन्द्रीय विक्रय कर की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसूर राज्य में तीन वर्षों के संबंध में केन्द्रीय बिक्री-कर की बकाया रकम नीचे दिए अनुसार है :—

1969-70	2,13,73,092.91
1970-71	2,42,82,575.41
1971-72	2,39,37,710.21

(ख) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 9(2) के अंतर्गत अधिनियम का प्रशासन राज्यों के बिक्री-कर प्राधिकारियों के सुपुर्द है, जो संबंधित राज्य के सामान्य बिक्री-कर कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन देय कर का निर्धारण, पुनर्धारण, वसूली तथा वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही करते हैं। 31 मार्च, 1972 को मैसूर राज्य में केन्द्रीय बिक्री-कर की बकाया रकमों को वसूल करने के लिए की गयी कार्यवाही के कारण वसूली की विभिन्न स्थितियां निम्नलिखित विवरण से जाहिर होती हैं :—

	(लाख रूपयों में)
1. रकमें जो अभी देय नहीं बनी।	5.17
2. स्थगन आदेशों के अधीन रकमें	73.66

3.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के अधीन रकमें . . .	74.78
4.	न्यायालयों में दायर की गयी दरख्वास्तों के अंतर्गत आने वाली रकमें .	15.28
5.	बट्टे खाते डाली जाने वाली रकमें	1.90
6.	तृतीय पक्ष को जारी किए गए नोटिसों के अधीन रकमें . .	0.67
7.	रकमें जिनके लिए किस्तों में अदायगी की सुविधा दी गई है .	7.45
8.	'कारण बताओ' नोटिस के अधीन रकमें	60.44
9.	दिवालियापन की याचिकाओं के अधीन रकमें	0.03
	जोड़ :	239.38

Export of Liquor to other Countries during last two years

5155. Shri Dharamrao Sharnnappa Afzalpurkar:
Shri Dhan Shah Pradhan:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether liquor is exported to foreign countries by India; and if so, the amount of foreign exchange earned by India from each of the countries to which export was made during the last two years indicating the names of those countries; and

(b) whether Government have formulated a scheme for increasing the export of liquor to foreign countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Yes, Sir. Exports of liquors during the last two years were as follows:—

S. No.	Country	Value of liqior exports 1971-72	Apr.-Dec. 1972
		Rs.	Rs.
1.	Behrein Is	10,629	6,556
2.	Bangladesh	—	18,20?
	Dubai	—	5,445
4.	Fr	11,890	472
5.	Fiji Island	2,183	—
6.	Japan	700	—
7.	Kuwait .	1 250	1,086
8.	Nepal .	46,380	13,21,502
9.	Qatar	7,425	2,475
10.	Sudan .	2,500	—
11.	U. K.	86,541	46,515
	Total :	1,69,498	14,02,258

(b) A Standing Committee has been set up in the Ministry of Commerce to consider the ways and means or increasing exports of liquors.

वित्त मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध मामले को समाप्त करने का प्रस्ताव

5156. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या वित्त मन्त्री 30 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध मामले को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो मामले में आगे कार्यवाही करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क). और (ख) इस मामले पर अन्तिम निर्णय करने से पहले भारत सरकार के दो अन्य विभागों से सलाह मशिवरा करना जरूरी है ।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही

5157. **श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट:** क्या वित्त मन्त्री 30 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5472 के तथा 6 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6318 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्रालय के हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : प्रश्न में दिल्ली-उच्च-न्यायालय के जिस निर्णय का उल्लेख किया गया है उसकी परीक्षा विधि मन्त्रालय से परामर्श करते हुए फिर से की गयी है। यह पाया गया कि जो बात न्यायालय का मन्तव्य प्रकट हो रही थी वह अभ्यर्थी के अभिवक्ता द्वारा प्रकट किये गये मन्तव्यों का न्यायालय द्वारा संक्षेपीकरण था ।

चूंकि न्यायालय ने कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की हैं इसलिये इन टिप्पणियों के आधार पर हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होगा ।

Circulation of Fake Currency

5158. Shri Rana Bahadur Singh: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have recently collected, State-wise, statistics in xregard to the circulation of fake currency;

(b) if so, the names of the States in which there was comparatively excessive circulation of fake currency; and

(c) the efforts made by Government to check its circulation?

Nhe Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) The Central Bureau of Investigation compile Stateffi-wise statistics of the appearance of counterfeit currency notes.

(b) From information received by Central Bureau of Investigation till now, it appears that maximum number of forged notes were noticed in West Bengal followed by Uttar Pradesh and Tamil Nadu in 1973.

(c) The offences relating to counterfeit currency come under the Indian Penal Code, which provides for deterrent punishment. The offences of counterfeiting and forgery are dealt with by the State Police authorities, who keep a watch in this behalf and organise raids on information of counterfeiting being done by any person. The Central Bureau of Investigation also keeps the problem of counterfeiting of currency under continuous study by keeping records of different techniques adopted and by reviewing periodically the appearance of counterfeit currency. They have also created a 'cell' in their Economic Offences Wing to undertake investigations of serious offences of counterfeit currency and coordinate the investigations in the States.

Britain's Entry into ECM

5159. Shri Rana Bahadur Singh:
Shri M. S. Purti:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the request made by India to Britain for making no changes in her policy towards India for a period of one year consequent upon her entry into European Common Market has been rejected;

(b) if so, the estimated loss likely to be suffered by India as a result thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. G. George): (a) The British Government have already agreed that there would not be any change in the import regime in regard to the imports of Indian products during the first year after her accession to EEC.

(b) and (c). Do not arise.

फर्नीचर का निर्यात

5160. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में निर्मित फर्नीचर का कितनी मात्रा में निर्यात हुआ; और

(ख) भारतीय फर्नीचर किन देशों में लोकप्रिय हो रहा है और यदि हां, तो इस अवधि में इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से फर्नीचर का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा :

(मूल्य लाख रु० में)

1969–70	45
1970–71	65
1971–72	67
1972–73 (अप्रैल–दिसम्बर, 72)	51

भारत से फर्नीचर का आयात करने वाले प्रमुख देश ये हैं: कुवैत, मलयेशिया, मशकत, नेपाल जाम्बिया, सऊदी अरब, सियरा लिओना तथा कीनिया।

1970, 1971 और 1972 के वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित ऐल्किल बेंजीन/डोडोसिल बेंजीन की मात्रा

5161. **श्री एस० बी० धामनकर :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970, 1971, 1972 और 30 जून, 1973 में राज्य व्यापार निगम द्वारा कितना ऐल्किल/वजीन/डोडोसियल बेंजीन आयात किया गया और ओरोनाइट 56 तथा ओरोनाइट 60 के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं; और

(ख) इसी अवधि के दौरान बड़े उद्योगों तथा लघ क्षेत्रों को यह कितना-कितना वितरित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क)

वर्ष	कुल आयात (मे० टन)	आयातित ग्रेड	
	डोडेसियल बेंजीन	ओरोनाइट—56	ओरोनाइट—60
1970. . .	5300	3700	1600
1971. . .	9878	6110	3762
1972. . .	15031	10637	4394
1973 (30–6–73 तक)	3799	28 25	97 4

(ख)

वर्ष	बड़े उद्योग	लघु उद्योग एकक
1970. . .	4869	431
1971. . .	7696	2176
1972. . .	9639	5392
1973 (जून 73 तक) .	2110	1689

राजस्थान के बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय मरुस्थलीय पार्क बनाने का प्रस्ताव

5162. **श्री बनमाली पटनायक :**
डा० कर्ण सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर-जैसलमेर-वाडमेर क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय मरुस्थलीय पार्क बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समय मामले की स्थिति क्या है ?

1942 LS—6.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) से (ग). साधनों की सख्त कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में कोई नयी प्रायोजना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ली जाने वाली वन्य जीव पर्यटन प्रायोजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

गत तीन वर्षों में सुधारे गये हवाई अड्डों की संख्या

5163. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में पर्यटकों की ओर सामान्य रूप से जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के कितने हवाई अड्डों में सुधार किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : बारह ।(दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बेगमपत, जामनगर, आगरा, अहमदाबाद, वाराणसी, गौहाटी, लखनऊ, उदयपुर)। इनके अतिरिक्त, कई अन्य हवाई अड्डों के टर्मिनल भवनों के सुधार का कार्य चल रहा है ।

देश में होटलों में शयन कक्षों की उपलब्धता

5164. **श्री बनमाली पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय होटलों में शयन-कक्षों की उपलब्धता की स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जिन 185 होटलों का पर्यटन विभाग ने विदेशी यात्रियों के लिये उनकी उपयक्तता की दृष्टि से अनुमोदन किया है उनकी वर्तमान समस्त-उपलब्ध क्षमता 11,714 कमरे है ।

परम्परागत विमानों के स्थान पर कोई अन्य विमान प्राप्त करने के लिए की जा रही कार्यवाही

5165. **श्री बनमाली पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत विमानों के स्थान पर कोई अन्य विमान प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते

ब्रिटेन से (ऋण के लिए समझौता

5166. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ब्रिटेन से 26.56 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चाव्हाण) : (क) जी, हां। भारत सरकार और ब्रिटेन की सरकार के बीच 24 मई, 1973 को 26.56 करोड़ रुपये (140 लाख पौण्ड) के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) यह ऋण सभी प्रकार के ब्याज और प्रभारों में मुक्त है तथा इसकी वापसी अदायगी 7 वर्ष की प्रारम्भिक रियायती अवधि सहित 25 वर्षों में की जानी है।

(ग) "ब्रिटेन भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973" ब्रिटेन में बनी उन पूंजीगत वस्तुएं खरीदने के लिए है जिसकी आवश्यकता भारत के आर्थिक विकास के लिए है। इस ऋण का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा।

(क) भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा पूंजीगत उपकरणों के लिए 10.43 करोड़ रुपये (55 लाख पौण्ड) ;

(ख) भारत के सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए 10.43 करोड़ रुपये (55 लाख पौण्ड) ;

(ग) उन फर्मों द्वारा, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम से ऋण लेती हैं, ब्रिटेन से पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 2.85 करोड़ रुपये (15 लाख पौण्डा) और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड को 2.85 करोड़ रूपये (15 लाख पौंड)।

भारत, युगोस्लाविया और मिश्र के बीच त्रिपक्षीय करार

5167. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, युगोस्लाविया और मिश्र के बीच त्रिपक्षीय करार की अवधि और पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल विशिष्ट वस्तुओं पर अधिमान्य प्रशुल्क लगाया जाएगा अथवा किसी भी वर्ग की वस्तुओं पर है ,और

(ग) यदि केवल विशिष्ट वस्तुओं पर अधिमान्य प्रशुल्क लगाया जाएगा, तो उन वस्तुओं की परिभाषा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। 31 मार्च, 1978 तक)।

(ख) तथा (ग). करार के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अधिमान युक्त प्रशुल्क केवल उन 134 प्रशुल्क शीर्षकों पर लागू हैं जो 23 दिसम्बर, 1967 को हस्ताक्षरित मूल करार तथा उसके बाद 16 जुलाई, 1969 के हस्ताक्षरित संलेख के साथ संलग्न अधिमान युक्त वस्तुओं की "सामान्य सूचियों" में शामिल हैं।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पड़ौसी देशों को वित्तीय सहायता

5168. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अपने पड़ौसी देशों को वित्तीय सहायता देने की हमारी प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 और 1972-73 में हमने अपने पढ़ौसी देशों को कितनी कितनी सहायता दी ;

(ग) क्या विभिन्न भागों अथवा एक मुश्त में दी गई उक्त सहायता किसी वस्तु के रूप में अथवा नकद या सेवाओं के रूप में दी गई ; और

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें हम कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता देने के लिये बाध्य हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण):(क) और (ख): भारत नेपाल और भूटान को छोड़कर, जिन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है, मुख्यतः कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता प्रदान करता है । 1971-72 और 1972-73 में, इन दोनों देशों के लिए बचतबद्ध वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

देश	1971-72	1972-73
नेपाल	9.12	7.50
भूतान	8.00	9.90

इन आंकड़ों को देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि सहायता की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है ।

(ग) वचनबद्ध सहायता, आर्थिक तथा परियोजनागत सहायता और सेवाओं के रूप में होती है ।

(घ) कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत, किसी विशेष देश के लिए दूसरे सदस्य देश की सहायता करना अनिवार्य नहीं है । इस आयोजना में एक सदस्य देश द्वारा दूसरे सदस्य देश को स्वेच्छा से द्वि-पक्षीय बातचीत के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यापक व्यवस्था है ।

वेक्यूम (निर्वात) फ्लास्कों का निर्यात

5169. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेक्यूम फ्लास्क के अत्यधिक पुराने बाजार जापान की मण्डी में भारत-निर्मित फ्लास्कों की मांग काफी बढ़ रही है ;

(ख) क्या अन्य देश भी हमारे फ्लास्कों की मांग कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहित करने का विचार कर रही है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में अथवा कम से कम विकासशील देशों में इसकी मांग और बढ़े ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) ऐसा समाचार मिला है कि एक भारतीय कम्पनी ने हाल ही में वेक्यूम फ्लास्कों के निर्यात के लिए जापान से एक बड़ा क्रयादेश प्राप्त किया है।

(ख) जी हां।

(ग) आयात-प्रतिपूर्ति का दिया जाना, नकद प्रतिपूरक समर्थन शुल्क वापसी आदि कुछ मुख्य प्रोत्साहन हैं, जो वेक्यूम फ्लास्कों के निर्यात बढ़ाने के लिए दिये जाते हैं। प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना, बिक्री सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, विदेशी आयातकों को आमन्त्रित करना आदि कुछ ऐसे अन्य उपाय हैं जो निर्यात संवर्धन के लिए किये जाते हैं।

सूती कपड़ों, टुकड़ों और सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

5170. **श्री राजदेव सिंह : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती वस्त्रों, टुकड़ों और सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात गत वर्ष सबसे अधिक था ;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का सर्वाधिक आयात करने वाला देश कौन सा हैं ;

(ग) क्या विकासशील देशों में इन वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 1972 में भारत के इन वस्तुओं का सबसे बड़ा आयातक सोवियत संघ था।

(ग) तथा (घ) : विकासशील देशों को टैक्सटाइल के निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किए जा रहे कुछ उपाय ये हैं :

(1) मिश्र, श्रीलंका, बर्मा, बंगलादेश आदि जैसे देशों को जिनमें केन्द्रित आधार पर खरीदारियां की जाती हैं एकीकृत आफर देना ;

(2) विकासशील देशों से प्राप्त निविदाओं तथा पूछताछों में भाग लेना ; तथा

(3) महत्वपूर्ण विकासशील देशों में आयोजित टैक्सटाइल प्रदर्शनियों में भाग लेना।

बैंकों द्वारा ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण शाखाओं से धन निकालकर नगरों और शहरों की शाखाओं में डालना

5171. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के अनुसार जून, 1972 के अन्त तक बैंकों ने 500 करोड़ रुपया ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण शाखाओं से निकालकर टाउन और शहरों की शाखाओं में डाल दिया था। और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने गत व्यस्त काल में बैंकों को वर्ष 1971–72 में 355 करोड़ रुपये के ऋण की तुलना में अक्तूबर, 1972 से अप्रैल 1973 के दौरान 884 करोड़ रुपये के रिकार्ड ऋण देने की अनुमति दी थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जून, 1972 को, विभिन्न श्रेणियों के कार्यालयों की जमा राशियों और ऋणों से सम्बन्धित आंकड़ों से, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रकाशित किये हैं, यह संकेत नहीं मिलता है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं से 500 करोड़ रुपया कस्बों और शहरों को भेजा गया है। आंकड़ों से केवल यही पता लगता है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में संग्रहीत जमा की रकमों और दिये गये ऋणों में शहरी और महानगरीय शाखाओं की अपेक्षा अन्तर है। फिर भी शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में भी दिये गये ऋण की राशि संग्रहीत जमा की रकमों से कम है। अतः जमा की रकमों का ग्रामीण केन्द्रों से शहरी केन्द्रों को ले जाने का कोई प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण केन्द्रों को न केवल अग्रिमों से लाभ होता है बल्कि बैंकों द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सम्बन्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों में किये गये पूंजीनिवेश से भी लाभ होता है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि, महानगरीय और नगरीय बैंक शाखाओं की लेखा पुस्तकों में जो ऋण दिया गया हैं और बकाया है वह अनिवार्यतः उन केन्द्रों में ही उपयोग में नहीं लाया जाता। ऋण के एक-एक भाग का प्रयोग वस्तुतः ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थापित एककों द्वारा किया जा सकता है।

(ख) 1972–73 के कामकाज के मौसम में ऋण में 885 करोड़ रुपये तक का विस्तार हुआ जबकि पिछले कामकाज के मौसम में 355 करोड़ रुपये तक ऋण विस्तार हुआ था। परन्तु यह विस्तार लगभग सम्पूर्णतः बैंक की जमा रकमों के विस्तार के साथ-साथ हुआ जिनमें इसी अवधि में 796 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ऋण में कामकाज के मौसम में केवल 17.6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

आखेट पक्षियों की बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद देश के होटलों में उनकी बिक्री

5172. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री श्रीकिशन मोदी

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आखेट पक्षियों की बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद देश के होटलों में उनकी बिक्री हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (1972) को लागू करना मुख्यतया राज्य सरकारों का विषय है । जहां तक भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित होटलों का सम्बन्ध है, उक्त प्रतिबन्ध के कोई उल्लंघन देखने में नहीं आये ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध की गतिविधियों के सम्बन्ध में लेख

5173 **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1973 की साप्ताहिक पत्रिका 'स्टार' में भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों की गतिविधियों के बारे में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां । सरकार का विचार है कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त अनुच्छेद में तथ्यों के मिथ्या निरूपण तथा अस्पष्ट दोषारोपण किये गये हैं ।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई में ड्यूटी-फ्री शाप के मैनेजर को अवैध रूप से विदेशी मुद्रा तथा अन्य ड्यूटी-फ्री सामान रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाना

5174. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई में ड्यूटी-फ्री शाप के मैनेजर तथा उनके एक साथी को अवैध रूप से विदेशी मुद्रा तथा अन्य ड्यूटी फ्री सामान रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वे बम्बई स्थित ड्यूटी फ्री शाप में दाखिल नहीं हो सकते ; और

(ग) प्रबन्धकों ने अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) बम्बई स्थित शुल्कमुक्त दुकान के मैनेजर तथा बिक्री सहायक को बम्बई के पुलिस अधिकारियों ने मई 1973 में गिरफ्तार किया था। मैनेजर को एक समाप्तावधि मदिरा परमिट को रखने तथा बिक्री सहायक को सीमाशुल्क अपराधों के लिए पकड़ा गया था। दोनों की जमानतें हो चुकी हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मैनेजर के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा अपनी जांच पड़ताल पूरी कर लेने के बाद विचार किया जाएगा। बिक्री सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक की वेतन-वृद्धि के लिये पुनरीक्षण

5175. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक, जो कि निःशुल्क सुसज्जित बंगला, कार, बिजली, टेलीफोन आदि सहित अनेक अन्य छोटे-मोटे लाभों के अतिरिक्त 50,000 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, के वेतनमान को बढ़ाया जा रहा है जबकि वे कर्मचारियों की उचित वित्तीय मांगों को पूरा करने में अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं और सरकारी नीतियों की घोषणाओं के अनुसार मितव्ययता करने को कह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). आई०टी०डी०सी० के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डाइरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे वर्तमान अधिकारी 2500–3000 रुपए के वेतनमान में हैं जो कि सरकारी उद्यमों के सर्वोच्च प्रबन्धक वर्ग की अनुसूची 'सी' के अन्तर्गत पदों के लिए लागू होता है। उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार हैं। वह निःशुल्क फर्निश्ड बंगले, कार तथा बिजली के प्रयोग के हकदार नहीं हैं ?

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी संघ की मांगों का निपटारा

5176. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**
श्री ईश्वर चौधरी :

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी संघ ने अपनी शिकायत को दूर करने हेतु अपने मुख्यालय और चेयरमैन और प्रबन्धनिदेशक के निवास स्थान पर कई बार प्रदर्शन किया और धरना दिया ;

(ख) क्या प्रदर्शन और धरना इस आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया था कि उनकी मांगों को बातचीत द्वारा निपटाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और किस सीमा तक उनकी बातचीत द्वारा पूरा किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ द्वारा अपने आन्दोलनकारी क्रियाकलापों पर खेद व्यक्त कर देने के पश्चात् उनकी मांगों पर पुनः वार्ता आरम्भ की गयी थी।

(ग) संघ की मुख्य मांगें ये हैं :—

(i) सरकार द्वारा यथास्वीकृत अन्तरिम सहायता का भुगतान ; तथा

(ii) 6 कर्मचारियों को दिये गये निलम्बन आदेशों की वापसी।

जहां तक (i) का सम्बन्ध है, जितनी राशि सरकार ने मंहगाई भत्ते के रूप में अपने कर्मचारियों को दी है उतनी ही राशि आई०टी०डी०सी० कर्मचारियों को दी जा चुकी है, तथा उनके मंहगाई भत्ते को एक फार्मूले के आधार पर जीवनयापन सूचकांक (लिविंग इंडक्स) के साथ भी जोड़ दिया गया है। कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त राशि की पेशकश की गयी है परन्तु इस प्रस्ताव पर उनकी स्वीकृति लिखित रूप में अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जहां तक उपरोक्त (ii) का सम्बन्ध है, प्रबन्धकवर्ग ने औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने की दृष्टि से छः निलम्बित कर्मचारियों में से एक को वापस ड्यूटी पर ले लिया है। एक अन्य कर्मचारी का मामला भी विचाराधीन है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी के विरुद्ध आरोप.

5177. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 जून, 1973 की साप्ताहिक पत्रिका 'स्टार' में प्रकाशित हुए लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय पर्यटन विकास निगम की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी, जो ड्यूटी फ्री सेल्स की भार साधक है, के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध आरोप निराधार हैं।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की शर्तें

5178. श्री भागीरथ भंवर : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1970 के 'कांन्सेंट एवार्ड' में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की शर्तें निर्धारित की गई थीं और यदि हां, तो समझौते एवार्ड के सम्बन्ध पैराग्राफ का पाठ क्या है ;

(ख) क्या जब सूचकांक 4 अंकों तक कम न होकर केवल 2.33 अंकों से कम हो गया तो तीन महीने का महंगाई भत्ता कम कर दिया गया था ;

(ग) क्या कलकत्ता श्रम न्यायालय ने समझौते/एवार्ड की व्याख्या के प्रश्न का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में किया था परन्तु फिर भी जीवन बीमा निगम ने इस निर्णय को लागू करने से इन्कार कर दिया ;

(घ) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम ने इस मुकदमेबाजी पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की है ; और

(ङ) क्या जीवन बीमा निगम का विचार इस विवाद का हल कर्मचारियों से सीधे बातचीत करके सौहार्दपूर्ण ढंग से करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। पंचाट के संगत पैराग्राफ का पाठ संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–5587/73]

(ख) जी, हां। यह पूर्णतः पंचाट की शर्तों के अनुसार है।

(ग) जी, हां परन्तु फैसले को रद्द करने के लिए निगम ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। सैण्ट्रल गवर्नमेंट लेबर कोर्ट, बम्बई ने एक ऐसी ही दरख्वास्त की सुनवाई की थी जिसपर निगम के पक्ष में फैसला दिया गया था।

(घ) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) पंचाट के संगत उपबन्धों की व्याख्या के लिए मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण बम्बई को भेजा गया है, इसलिये कर्मचारियों के साथ समझौते से विवाद तय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विशेषतः जब कि समझौते पंचाट से सम्बन्धित चार कर्मचारी संघों में से तीन ने पंचाट के संगत खण्ड की, निगम द्वारा की गयी व्याख्या को स्वीकार किया है।

Mehta Printing Press, Ujjain

5179. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1809, dated 3rd August, 1973, and state the date on which Mehta Printing Press was given a loan of Rs. 1,500 indicating the times and conditions of the loan, the amount of loan repaid so far, the amount outstanding to be paid and the time by which it would be paid?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): The information is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

Calcutta-Agartala Flights of Indian Airlines cancelled during May, 1973

5180. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether all the flights of Indian Airlines on Calcutta-Agartala route were cancelled for some time during May, 1973; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b) Eighteen Indian Airlines flights between Calcutta and Agartala were cancelled during the month of May for reasons such as the Agartala runway being flooded, bad weather and non-availability of aircraft.

Arrest of Persons in connection with possession of Fake Indian Currency Notes

5181. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether some persons were arrested in May, 1973 in Raipur District of Madhya Pradesh on the charge of passing on fake Indian currency notes;

(b) whether a large number of fake currency notes were seized from them; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) and (b) On 5th May, 1973, the Madhya Pradesh Police arrested seven persons and seized 13,239 imitation notes resembling Rs. 5/- denomination notes along with 86 genuine notes of Rs. 5/- denomination. The imitation notes were without numbers.

(c) A criminal case under Section 420, 511 and 120(B) Indian Penal Code was registered at Kotwali Police Station, Raipur and is under investigation.
(c) The imitation notes have been sent to the Currency Note Press, Nasik Road for export opinion.

आय-कर खुफिया तथा जांच विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना

5182. **श्री सी० के० जाफ़र शरीफ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर खुफिया तथा जांच विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) आयकर विभाग के गुप्त सूचना तथा जांच पड़ताल पक्ष को सुदृढ़ बनाने के विभिन्न प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इस समय, निरीक्षण निदेशालय (जांच पड़ताल) के अधीन बड़े बड़े औद्योगिक गृहों पर निगरानी रखने के लिए, जो विशेष सेल कार्य कर रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है।

मैसूर द्वारा सहकारी क्षेत्र में विद्युत् करघों का आवंटन

5183. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मैसूर राज्य को आवंटित किये गये विद्युत करघों की संख्या क्या है तथा मैसूर सरकार द्वारा कितनी सहकारी समितियों को विद्युत करघे आवंटित किए गए ; और

(ख) योजना के क्रियान्वयन में केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय की गई कुल राशि की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित शक्तिचालित करघों का आवटन सहकारी संस्थाओं तथा

अन्य क्षेत्रों को स्वयं जानकारी के राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता हैं । मैसूर राज्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उनके द्वारा 225 सहकारी सोसाइटियों को 2400 शक्तिचालित [illegible] किए गए हैं । राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई कुल राशि 77.15 लाख रु० है।

वर्ष 1973-74 में टकसालों द्वारा छोटे सिक्कों का निर्माण

5184. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान टकसालों द्वारा कितने छोटे सिक्के बनाए जाएंगे और उक्त अवधि में कितने मूल्य के सिक्के जारी करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : 1973-74 के दौरान 31.48 करोड़ रुपये के मूल्य के लगभग 216.50 करोड़ सिक्के बनाए जाने का प्रस्ताव है । भारतीय रिजर्व बैंक को आशा है कि 1973-74 के दौरान बैंक के कार्यालयों और छोटे सिक्कों के डिपुओं को जनता को देने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये के सिक्के सप्लाई किये जायेंगे ।

धागे की वर्तमान वितरण प्रणाली के कारण बुनकरों को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयां

5185. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे की वर्तमान वितरण प्रणाली के कारण बुनकरों को वित्तीय कठिनाइयां पेश आ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश बुनकर अपने कोटे का धागा खरीदने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इस बारे में रिपोर्टें आई हैं । कठिननाइयां धागा वितरण के परम्परागत माध्यमों के प्रतिस्थापन के कारण आई जो वित्त की व्यवस्था करने वालों के रूप में भी कार्य करते थे । नियंत्रण योजना के अन्तर्गत 41 तथा ऊपर के काउण्टों के धागे का वितरण राज्य सरकारों के नामितों के माध्यम से किया जाता है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बुनकरों को आवश्यक ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करें ।

पश्चिम बंगाल में ध्वनि और प्रकाश परियोजना शुरू करने के लिये उपयुक्त स्थान का चुनाव

5186. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में ध्वनि और प्रकाश परियोजना शुरू करने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव कर लिया है और

(ख) यदि हां, तो किस स्थान का चुनाव किया गया है और यह परियोजना कब से शुरू हो जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) मामले पर अभी विशेषज्ञों के एक दल द्वारा विचार किया जा रहा है ।

विदेशी पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान

5187. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से भारत आने वाले पर्यटकों को सभी भुगतान विदेशी मुद्रा में करने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इसकी सूचना भारत पहुंचने से पहले दे दी जाती है ; और

(ग) यह विनियम बनाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) अधिकाधिक विदेशी-मुद्रा के अर्जन की दृष्टि से 1 नवम्बर, 1972 से सभी गैर-निवासियों (नान-रेजिडेंटस को (छूट प्राप्त वर्गों को छोड़ कर) अपने होटल बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है । इन अनुदेशों का प्रकाशन विदेश स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों एवं दूतावासों के तथा यात्रा-अधिकर्त्ताओं, यात्रा-परिचालकों, विमान-कम्पनियों और होटलों के माध्यम से किया जा चुका है ।

नायलन की कताई करने वालों को केपरोलेक्टम उपलब्ध कराने में राज्य व्यापार निगम की असफलता

5188. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राज्य व्यापार निगम, जो केपरोलेक्टम का आयात करता है, नायलन की कताई करने वालों को कच्चा माल उपलब्ध कराने में असफल रहा है हालांकि इस निगम को उनकी आवश्यकताएं बहुत पहले से पता थी ; और

(ख) यदि हां, तो इन कताई करने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केपरोलेक्टम की विश्वव्यापी कमी रही है और इसके परिणामस्वरूप पूर्ति में कमी आ गई है । पूर्तियों के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगने और आयातों का प्रबन्ध करने के लिये तीव्र प्रयास किये जा रहे हैं ।

सोने के मूल्य में वृद्धि

5189. **श्री शंकर राव सावंत :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने के मूल्य में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और हो रही है ;

(ख) इस तेजी से वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) देश तथा विदेश में भारतीय मुद्रा पर इस वृद्धि के क्या प्रभाव पड़े हैं ; और

(घ) गत तीन मासों में सोने के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई और वर्ष 1973 के दौरान सोने के मूल्य में माहवार कितना उतार-चढ़ाव हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सोने के भावों ने हाल ही में सामान्यतः वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई है । देश में सोने के भाव अन्तर्राष्ट्रीय मार्किटों में सोने के खुले बाजार भावों की प्रवृत्ति के अनुसरण में ही बढ़े हैं; अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में भाव बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण ये थे :—

पिछले कुछ वर्षों में स्वर्ण का बंधा हुआ उत्पादन डालर की सतत कमजोर हालत के कारण सोने के प्रति सटोरियों की जबरदस्त मांग, सोने के आधिकारिक भावों में ऊर्ध्वगामी संशोधन की संभावना प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में विश्वास की कमी तथा विनिमय बाजारों में अनिश्चित परिस्थितियां । इसके अलावा अगस्त 1973 में, अन्य कारणों के साथ साथ विमुद्रीकरण की अफवाहों के कारण भाव अतिरिक्त रूप में बढ़ गये परन्तु बाद में गिर गये ।

(ग) देश में सोने के भावों का रुपये के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि (i) सरकारी मूल्य सूचकांक में सोना एक जिन्स के रूप में नहीं रखा गया है, और (ii) भारत में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए सोने का बहुत कम प्रयोग होता है । इसके विपरीत, विदेशी मार्केटों में इसके भाव बढ़ने से देशी और अन्तर्राष्ट्रीय भावों के बीच का फर्क कम होने लगा है, जिससे खुले बाजार में भारतीय रुपये की अनधिकारिक विनिमय दर मजबूत बनी है ।

(घ) गत तीन वर्षों में मानक सोने के प्रति दस ग्राम के अधिकतम और न्यूनतम भाव नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	अधिकतम	न्यूनतम
1970	184.00	176.00
1971	205.00	183.00
1972	249.00	203.00

वर्ष 1973 में 25 अगस्त तक मानक सोने की दस ग्राम की छड़ के भावों में मासिक उतार चढ़ाव नीचे लिखे अनुसार था :—

मास	अधिकतम	न्यूनतम
जनवरी	261.50	241.50
फरवरी	295.00	252.00
मार्च	290.50	266.00
अप्रैल	340.00	279.00
मई	348.50	321.00
जून	340.00	321.00
जुलाई	354.50	323.50
अगस्त (25 तारीख तक)	405.00	340.00

गांवों और नगरों में नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिय दुकानों का खोला जाना

5190. श्री नवल किशोर सिह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिए, दूकानें खोलने हेतु क्या कसौटी अपनाई गई है;

(ख) विभिन्न राज्यों में नियंत्रित कपड़े की बिक्री करने वाली कितनी दूकानें हैं और उनका गांव या नगरवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या गैरअसरकारी कम्पनियों को भी नियंत्रित कपड़ा बेचने की अनुमति दी जाती और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिए दूकानें खोलने के लिए कोई मापदंड नहीं है। विभिन्न राज्य, जिन्हें वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा नियंत्रित कपड़े के आवंटन किए जाते हैं, इस प्रयोजनार्थ अपने स्वयं के मापदंड अपनाते हैं। नियंत्रित कपड़े की बिक्री पांच स्वीकृत माध्यमों के मारफत करनी होती है अर्थात् :—

(क) मिलों की अपनी खुदरा दुकानें ;

(ख) सहकारी क्षेत्र में स्थित सुपर बाजार ;

(ग) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन और उन से सम्बद्ध सहकारी संस्थाओं को श्रंखला;

(घ) राज्य सरकार के तत्वावधान में चल रहीं उचित मूल्य की दूकानें ; और

(ङ) सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सहकारी क्षेत्र में कोई अन्य अभिकरण।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित या स्वीकृत दुकानों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह काम राज्य सरकारों का है।

(ग) एक प्राइवेट व्यक्ति नियंत्रित कपड़े में व्यापार कर सकता है बशर्ते उसकी दुकान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उचित मूल्य की दूकान है।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा गत तीन वर्षों में निलम्बित की गई सेवाओं से प्रभावित मार्ग

5191. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स ने देश में 31 जुलाई, 1973 तक के पिछले थीन वर्षों में किन-किन मार्गों पर अपनी सेवाएं निलम्बित कीं; उसके कारण क्या थे और कितनी अवधि के लिए ये सेवाएं निलम्बित रहीं;

(ख) उपरोक्त अवधि में इण्डियन एयर लाइन्स के मानचित्र में कौन-कौन से नए मार्ग जोड़े गये; और

(ग) क्या पहले ही से निलम्बित सेवाओं को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव हैं और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [मन्त्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—5588/73]

(ग) विमान बेड़े की स्थिति में सुधार होने पर इण्डियन एयर लाइन्स अपनी सेवाओं को पुनः परिचालित करने का प्रयत्न करेगी। जैसे ही औरंगाबाद के हवाई-क्षेत्र की मरम्मत हो जाती है तथा वह परिचालन योग्य हो जाता है वहां के लिए विमान सेवा पुनः परिचालित कर दी जायेगी।

लातीनी अमरीकी देशों में एयर इण्डिया के एजेंटों के विरुद्ध शिकायत

5192. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेंकारया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लातीनी अमरीकी देशों में एयर इण्डिया के एजेंटों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायतें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लातीनी अमरीकी देशों में एयर इण्डिया के कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

5193. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातीनी अमरीकी देशों में एयर इण्डिया के कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय कहां कहां खोले जाएंगे तथा कब खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग) जी नहीं। लेटिन अमेरिका में कार्यालयों का व्यापारिक दृष्टि से अभी औचित्य प्रतीत नहीं होता, परन्तु इस मामले पर पूरा ध्यान रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों के लिये कच्चे पटसन का लाभप्रद मूल्य

5194. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जूट मिल संघ को किसानों को सहायता देने के स्तर पर अपने रेशे की खरीद करने के लिए कथित निदेश के समय कच्चे पटसन का क्या लाभप्रद मूल्य देने का उनका अभिप्राय था;

(ख) क्या उन्होंने भारतीय जूट मिल संघ को चेतावनी दी है कि उनके कम मूल्य देने पर कच्चे पटसन के व्यापार को नया मोड़ प्रदान किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या पटसन निगम की चालू मौसम में केवल 10 से 15 लाख गांठ खरीदने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए यह केवल एक धमकी मात्र है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय पटसन निगम को सुझाव दिया है कि वे उद्योग के साथ मिलकर कच्ची पटसन की अपनी खरीदारियां ऐसे तरीके से करें जिससे वर्ष के दौरान प्रति क्विटल औसतन 157.68 रुपये कीमत रहे।

(ख) जी नहीं। विशिष्ट रूप से भारतीय पटसन मिल्स एसोसिएशन को ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, किन्तु उन्हें बताया गया था कि यदि वे पटसन उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें दिलाने में सरकार को सहयोग नहीं देंगे तो सरकार एक मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी।

(ग) चालू वर्ष के दौरान आपने वाणिज्यिक कार्यों के एक भाग के रूप में कच्ची पटसन की 12.15 लाख गांठें खरीदने की भारतीय पटसन निगम की योजना है। इसके अतिरिक्त, एक समीकरण भंडार बनाने के लिए लगभग 5 लाख गांठें खरीदने की प्रस्थापना है। अनुमान है कि कुछ समयावधि में भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन के अधिकांश व्यापार को अपने हाथ में लेने की स्थिति में हो जायेगा।

1942 LS—7.

बंगला देश से कच्चा पटसन आयात करने की दीर्घावधि योजना

5195. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश से कच्चे पटसन के आयात में वृद्धि करने की कोई दीर्घावधि योजना पर विचार किया है जिससे अनाज की कमी को दूर करने के लिए भारत में प्रति एकड़ पटसन के उत्पादन के स्थान पर उत्तरोत्तर धान और गेहूं का उत्पादन किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या बंगला देश के वाणिज्य मन्त्री से हाल ही में की गई वार्ता में ऐसा कोई विचार प्रकट किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बंगला देश से कच्ची पटसन के आयात के लिए एक दीर्घकालिक प्रबन्ध तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन है। तथापि, इसके परिणाम-स्वरूप ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि पटसन वाली भूमि पर खाद्य फसलें उगाई जाएंगी।

(ख) इस विचार पर द्विपक्षीय सहयोग के भाग के रूप में विचार विमर्श किया गया था।

मैसर्स एक्सपेरीमेंट इन इन्टरनेशनल लिविंग द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा के सौदों की जांच

5196. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स एक्सपेरीमेंट इण्टरनेशनल लिविंग तथा उसके सेक्रेटरी जनरल द्वारा किए गए तथा कथित विदेशी मुद्रा के अवैध सौदों के बारे में पता है;

(ख) क्या संगठन को सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से यह निदेश दिए गए थे कि वह भारत तथा अन्य देशों के बीच एक्सपैरीमेंट्रज का लेन-देन पूर्णतया आतिथ्य भाव के आधार पर करें;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एक्सपैरीमेंट के अन्तर्गत भारत का दौरा करने वाले अमरीकी राष्ट्रिकों को कई वर्षों से भारी मात्रा में धनराशि दी जाती रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क), (ग) तथा (घ) एक्सपैरीमेंट इन इण्टर-नेशनल लिविंग के अधिकारियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

(ख) इस कार्यक्रम की स्वीकृति इस शर्त पर दी गयी थी कि स्थानीय आतिथ्य की व्यवस्था मेजवान देशों के परिवारों द्वारा की जायगी।

उद्योग के निर्यात उत्तरदायित्वों सम्बन्धी वर्तमान नीति में परिवर्तन

5197. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग के निर्यात उत्तरदायित्वों सम्बन्धी वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) उत्पादन आधार बढ़ाने की दृष्टि से निर्यात दायित्व सम्बन्धी नीति को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार द्वारा पहले ही निम्नांकत कदम उठाए गए हैं :—

(1) बहुत गृहों, विदेशी बहुमत वाली कम्पनियों और प्रमुख उपक्रमों को उद्योग के उन क्षेत्रों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है जिनमें भाग लेने के वे साधारण तौर पर पात्र नहीं हैं, बशर्ते वे 60 प्रतिशत या उससे अधिक भाग का निर्यात करने के लिए वचन दें। चूंकि लाइसेंसिंग नीति के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण पर अंकुश लगाना है, यह सुविधा, साथ ही साथ अन्य एककों को बिना समाप्त किए, निर्यातों की दृष्टि से उत्पादन आधार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता का संकेतक है।

(2) सांताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना उत्पादन आधार को बढ़ाने की दृष्टि से निर्यात दायित्वों सम्बन्धी वर्तमान नीति के सुव्यवस्थितीकरण की दिशा में एक अन्य प्रमुख कदम है जिसमें स्थित सभी एककों पर अपने सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात करने का उत्तरदायित्व होगा और वे अनेक रियायतों तथा छूटों की पात्र होंगी।

(3) इसके अतिरिक्त इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम यह है कि विकसित देशों से भारत में, काफी निर्यात वचनबद्धताओं के अध्यधीन सम्पूर्ण चालू संयंत्रों का अन्तरण करने सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर विशेष कार्यवाही की जाती है ताकि विकसित देशों द्वारा रिक्त किए गए विदेशी बाजारों और श्रमप्रधान विनिर्माण प्रक्रियाओं को अपने हाथ में लिया जा सके।

2. सरकार इस नीति के सम्बन्ध में सतत आधार पर विचार कर रही है ताकि उसे परिवर्तनशील बाजार/उत्पाद अवस्थाओं के अनुकूल बनाया जा सके।

सरकार द्वारा कच्चे पटसन के औसतन मूल्य के भुगतान के बारे में जूट मिल संघ को सुझाव

5198. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट मिल संघ ने सरकार का पटसन का औसत मूल्य 157 रुपये का भुगतान करने सम्बन्धी सुझाव अभी तक स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रेशा खरीदने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय जूट मिल संघ ने सरकार का सुझाव मान लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम, द्वारा विदेशों में खानों की खरीद

5199. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार नियम ने विदेशों में कुछ खानों की खरीद के लिए कहा है, श्रौर

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अशोक होटल वर्कर एसोसिएशन द्वारा अन्तरिम राहत की राशि के भुगतान की मांग

5200. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : –

(क) क्या अशोका होटल वर्कर एसोसिएशन से प्रबन्धकों से अन्तरिम राहत की राशि के भूगतान की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अशोका होटल वर्कर एसोसिएशन से यह मांग प्राप्त होने से पहले ही अशोक होटल एम्पालाइज यूनियन तथा अशोक होटल कर्मचारी संघ से मागपत्र प्राप्त हुए थे जिन में वेतनों के संशोधन की मांग की गयी थी । इन संघों के साथ वार्ताएं पहले ही चल रही हैं ।

अशोक होटल में काम कर रहे पंजीकृत/मान्यताप्राप्त कार्मिक संघ

5201. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल में काम कर र पंजीकृत मान्यता प्राप्त संघों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या है ;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने एक पंजीकृत संघ को सुविधाएं देकर तथा दूसरे पंजीकृत संघ को उक्त सुविधाएं देने से इन्कार कर दोनों पंजीकृत संघों के बीच भेदभाव से काम लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) तीन पंजीकृत ट्रेड युनियनों के नाम इस प्रकार हैं ।

1. अशोक होटल एम्पालाइज यूनियन (ए० आई० टी० यू० सी० से संबद्ध)

2. अशोक होटल कर्मचारी संघ (आई० एन० टी० यू० सी० से संबद्ध

3. अशोक होटल वर्करज़ एसोसिएशन (भारतीय मज़दूर संघ से संबद्ध)

केवल अशोक होटल एम्पलाइज यूनियन मान्यता प्राप्त है।

(ख) और (ग) तीन पंजीकृत यूनियनों को सुविधाएं प्रदान करने के प्रश्न का निर्णय इन बातों पर निर्भर करेगा कि क्या वे मान्यता प्राप्त हैं तथा कहां तक वे होटल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इत्यादि। अशोक। होटल एम्पलाइज यूनियन को ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान की गई हो जो कि एक मान्यता प्राप्त यूनियन को मिलनी चाहिएं। अशोक होटल कर्यचारी सघ को कर्मचारियों से प्राप्त समर्थन को दृष्टि में रखते हुए इसे भी कार्यालय की लिए स्थान के छोड़ अन्य सभी वैसी ही सुविधाएं प्रदान की गई है। अशोका होटल वर्करज़ एसोसिएशन की कुल सदस्य संख्या 15 के लगभग है और अन्य दो यूनियनों की भांति इसे भी गेट मीटिंग करने, कर्मचारी प्रवेश द्वार के बाहर कर्मचारियों से चन्दा लेने, तथा प्रबंध-वर्ग के साथ बात-चीत करने की सुविधायें प्रदान की गई हैं।

नेशनल कैपिटल रिजन स्कीम

5202. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या नेशनल केपीटल रिजन स्कीम के गठन और क्रियान्वयन के बारे में 4 अगस्त 1973 को उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने इसके पहलूओं का अध्ययन करने के लिये एक महीने का नोटिस मांगा था; और

(ख) यदि हां, तो उनका प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) 4 अगस्त 1973 को हुई बोर्ड की बैंठक में यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये पहले से तैयार की गयी योजना का प्रारूप बोर्ड के सदस्यों में परिचलित किया जाय। इस योजना पर चर्चा बोर्ड की आगामी बैठक में होगी, जो अब 17 सितम्बर 1973 को होने वाली है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा धन का बाहर भेजना

5203. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या यह **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी फर्मों द्वारा अपने ट्रेड मार्क पर अप्रत्यक्ष रायल्टी के बहाने भारत से धन बाहर भेजने के नये तरीकों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक सिगरेट कम्पनी ने केवल एक वर्ष में 68.6 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है और यदि हां, तो उक्त कम्पनी का नाम क्या है।

(ग) क्या उनका मंत्रालय भारत में स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले धन की ओर ध्यान नहीं देता ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) मौजूदा अविनियमों के के **अधीन उन** विदेशी फर्मों के लिए, जो भारत में उनके व्यापारिक चिन्हों के उपयोग के लिए **अप्रत्यक्ष** रूप से रुपयों में रायल्टी लेती हैं, रिजर्व बेंक या सरकार की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता **नहीं** होती तथा इस प्रकार की अप्रत्क्षय रायल्टियों से लाभ में हुई वृद्धि को बाहर भेजा जा सकता **है** । परन्तु इस तरह के मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक के अन्तर्गत जो इस समय **संसद के** सम्मुख है, कार्रवाई की जा सकती है ।

(ख) (ग) और (घ) : एक सिगरेट कम्पनी द्वारा एक ही वर्ष में 68.6 **लाख रुपये** की विदेशी मुद्रा संगृहीत किए जाने के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । 1969-70 **से 1971-72** तक के वर्षों में विदेशी स्वामित्व वाली या विदेशी नियंत्रण वाली सिगरेट, तम्बाकू कम्पनियों ने, **रायल्टी** तकनीकी जानकारी शुल्क या प्रधान कार्यालय के खर्चों के सम्बन्ध में विदेश में कोई रकम **नहीं भेजी ।** इसी अवधि के दौरान, इन्होंने लाभों लाभांशों के रूप में रकमें भेजी हैं जिनका ब्यौरा नीचे **दिया गया है** :–

(लाख रुपयों में)

	1969–70	1970–71	1971–72
इण्डियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड .	148.94	143.61	**76.90**
गोडरे फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड .	0.01	14.59	**29.22**
बजीर सुलतान टोबेको कम्पनी लिमिटेड .	32.01	9.85	**9.91**
इंडियन लीफ टेबेको डवलेपमेंट कम्पनी लि० .	75.10	32.63	—

इस प्रकार की सभी रकमें भारतीय रिर्जव बैंक की पुर्वानूमति से ही बाहर भेजी जाती है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पेटलाड शाखा में चोरी

5204. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री प्रभु दास पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7 मई 1973 को स्टेट बैंक आफ इंडिया की पेटलाड शाखा में 5,000 **रुपये गायब** पाए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो यह हानि किन परिस्थितियों में हुई ; और

(ग) जांच समिति के निष्कर्ष क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) : भारतीय स्टेट बैंक ने **सूचना** दी है कि 18 अप्रैल, 1973 को पेटलाड शाखा के एंजण्ट को समय समय पर की जाने **वाली अपनी** जांच के दौरान, शाखा की तिजोरी (करेंसी चेस्ट) में 5000/-रुपये की कमी का पता लगाए **। नकदी**

के संयुक्त अभि रक्षकों ने कमी को पूरा कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचना भी दी है कि मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस मामले की अभी छान-बीन कर रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में चोरियों और जालसाजी की घटनायें

5205 . **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री प्रभुदास पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, जुलाई और अगस्त 1973 के दौरान देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में चोरी और जालसाजी की बहुत अधिक धटनाएं हुई ;

(ख) यदि हां, तो चोरी और जालसाजी की कुल कितनी घटनाएं हुई ;

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) उक्त चोरियों और जालसाजी की घटनाओं के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेवार हैं; और

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में उक्त चोरियों और जालसाजी की घदनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाहो की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) सभी राष्ट्रीयकृत वैंकों ने अपने यहां चोरी रोकने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध कर रखे है और जाल साजी रोकने के लिए भी अनेक एहतियाती उपाय भी कर रखे हैं। वे इनकी लगातार समीक्षा भी करते रहते हैं। रिर्जव बैंक द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार ज्यूं ही बैंकों को उनके कार्यालयों में हुई किसी जालसाजी का पता चलता है उन सभी जालसाजियों की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को जरूर भेजनी पड़ती है। जालसाजी की कार्यप्रणाली और सामान्य आन्तरिक नियंत्रण की ढ़िलाई, जिसके कारण अधिकाश जालसाजीयां होती हैं, का अध्यन करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैक द्वारा सम्बन्ध बैंकों को ऐसी जाल-साजी की घटना फिर से न घटे इसके लिए सुरक्षा और एहतियात बरतने के बारे में सलाह दी जाती है। जालासाजियों से वचाने के लिए रिजर्व बैंक बैंकों को समय समय पर विभिन्न प्रकार के लेनदेन के सम्बन्ध में रखे जाने वाली सुरक्षा और एहतियात के सम्बन्धी भी हिदायतें देता है।

पिछड़े क्षेत्रों के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया की ऋण सम्बन्धी योजना का कार्य

5206. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के लिये स्टैट बैंक आफ इंडिया की ऋण संबंधी योजना संतोषजनक ढंग से काम कर रही है;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत काम आने वाले मजदूरों को ऋण दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत जुलाई, 1973 तक कुल कितने ऋण दिये गये और किन-किन वर्गों के लोगों को दिये गये और उन पर कितनी दर से ब्याज लिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक केवल पिछड़े क्षेत्रों के लिए ही कोई ऋण योजना नहीं चलाता। छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटे व्यापार को वित्त पोषित करने की बैंक ऋण योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों पर लागू हैं। कम आय वर्ग वाले कर्मचारियों, जो अपने अनुभव/योग्यता/जानकारी के आधार पर नये उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, से ऋण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी बैंक द्वारा छोटे पैमाने के एककों अथवा पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के किसी भाग में छोटे कारोबार की स्थापनाहेतु सहायता देने की अपनी योजना के अन्तर्गत विचार किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों से लिए गये ब्याज की दर नीचे दी गयी है :--

छोटे पैमाने के उद्योग	ब्याज की दर
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित व्यवस्था के अन्तर्गत पिछड़े जिलों में सावधिक ऋण	7 1/2 प्रतिशत
कुल सीमा सहित एककों के लिए (सावधिक ऋणों सहित)	
(1) 10,000 रुपये तक	स्टेट बैंक ऋण दर से 2 प्रतिशत कम न्यूनतम दर 7 प्रतिशत वार्षिक
(2) 10,000 रुपये से 25,000 रुपये से बीच	स्टेट बैंक ऋण दर से 1 प्रतिशत कम न्यूनतम दर 8 प्रतिशत वार्षिक
(3) 25,001 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच	स्टेट बैंक ऋण दर से 1/2 प्रतिशत अधिक न्यूनतम दर 9 1/2 प्रतिशत वार्षिक
(4) 1,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये के बीच	स्टेट बैंक दर से 1 1/2 प्रतिशत अधिक न्यूनतम दर 10 1/2 प्रतिशत वार्षिक
(5) 10 लाख रुपये से अधिक	स्टेट बैंक ऋण दर से 1 3/4 प्रतिशत अधिक न्यूनतम दर 10 3/4 प्रतिशत वार्षिक
(6) उद्यमकर्त्ता योजना के अधीन	स्टेट बैंक ऋण दर से 1/2 प्रतिशत कम न्यूनतम दर 8 1/2 प्रतिशत वार्षिक (पहिले तीन वर्षों के लिए)
छोटा कारोबार	10 1/2 प्रतिशत से 11 1/2 प्रतिशत के बीच

*1-6-1973 से 9 प्रतिशत 1 सितम्बर, 1972 के अन्तिम शुक्रवार, को लघु पैमाने के उद्योगों के लिए कुछ एक पिछड़े राज्यों को स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम इस प्रकार हैं ;

	(करोड़ रुपयों में)
असम	2.57
बिहार	5.46
जम्मू और कश्मीर	1.32
मध्य प्रदेश	7.32
उड़ीसा	1.37
राजस्थान	7.13
उत्तर प्रदेश	21.38

अजन्ता टैक्सटाइल मिल, गाजियाबाद का बन्द होना

5207. **श्री चिरजीव झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि अजन्ता टैक्सटाइल मिल, गाजियाबाद लम्बी अवधि से बन्द पड़ी है;

(ख) क्या उक्त मिल के प्रबन्ध को अधिकार में लेने के लिए कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कार्यकारी पूंजी की कमी की वजह से अजंता टैक्स टाइल मिल गाजियाबाद 17 अप्रैल, 1973 से बन्न पड़ा है ।

(ख) तथा (ग) वस्त्रायुक्त ने, तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं पर मिल का सर्वेक्षण किया है । इस मामले पर और आगे कार्यवाही सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जायगी ।

वर्ष 1973-74 के दौरान सूखे फल आयात करने सम्बन्धी नीति की घोषणा

5208 **श्री चिरंजीव झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान से सूखें फल आयात करने कें बारें में चिर प्रतिक्षित नीति की घोषणा चालू लाइसेंस देंने की अवधि के दौरान कर दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या प्राधिकृत व्यापार को पहले की भांति आयात लाइसेंस दिये जायेंगे ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ईरान से मेवों के आयात की नीति के शीघ्र ही घोषित किए जाने की संभावना है।

(ख) तथा (ग). पात्र आयातकों को लाइसेंस देने की नीति का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

Construction of Tourist Reception Centre Cum-Motel by Central Tourism Department at Patna

5209. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the progress made in regard to the construction of Tourist Reception Centre-cum-Motel in Patna by the Central Department of Tourism?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): The Government of Bihar has transferred 1.5 acres of land to the Department of Tourism and plans have been finalised by the India Tourism Development Corporation for the construction of a Tourist Reception Centre-cum-Motel with a capacity of 50 rooms, of which 25 will be air-conditioned. Tenders for civil and sanitary works have been received and are under scrutiny.

Policy of L.I.C. in regard to providing of Employment to educated Unemployed

5210. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Life Insurance Corporation recruits about 40,000 agents every year and throws out of employment almost the same number of agents every year; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) Agents of the Life Insurance Corporation are not employees; in fact, most of them take up the profession on a part-time basis only. The number of new agents appointed during each of the years 1968-69 to 1971-72, and the number of existing agencies terminated during those years, are given below:—

Year	New agents appointed during the year.	Existing agencies terminated during the year.
1968-69	29613	45110
1969-70	27411	35172
1970-71	28358	28046
1971-72	38496	24120

(b) Government appreciate that a large turn-over of agencies is not desirable, particularly because considerable effort, put in for the recruitment and training of the agents, is thus wasted. With a view to creating a stable and efficient agency force, the LIC framed Agents' Regulations last year which provide, *inter alia*, for (i) method of recruitment of agents, (ii) training, (iii) confirmatory tests, (iv) higher minimum business guarantees and (v) the after-sales services which should be rendered by the agents. The LIC has also started recruitment of Career Agents to strengthen the cadre of whole-time professional agents. It would also be noticed that the number of terminated agencies has come down over the years.

Collection Under Small Saving Schemes through Village and City Post Offices

5211. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the State-wise break up of amount of small savings collected through village and city Post Offices during the financial year 1972-73?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारत को अमरीकी सहायता

5212. **श्री वयालार रवि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 4 अगस्त, 1973 के 'ब्लिटज' में "रिटर्न टू॰ यू॰एस॰ए॰ आन यूअर नीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार इस लेख में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं है।

कृत्रिम रबड़ के मूल्य निर्धारित करना

5213. **श्री सूरज पांडेय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृत्रिम रबड़ के मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) क्या प्रशुल्क आयोग ने इस बारे में कोई सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वानिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए॰ सी॰ जार्ज) : (क) संश्लिष्ट रबड़ की कीमतें 1969 से कानूनी तौर पर नियंत्रित कर दी गई हैं। एक संशोधित अंतरिम कीमत ढांचे के शीघ्र ही निर्धारित किये जाने की प्रस्थापना है।

(ख) जी हां।

(ग) टैरिफ आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) एस॰ बी॰ रबड़ के तीन प्रमुख ग्रेडों अर्थात एस–1500 1502, एस–1712 तथा एस–1958 की फैक्ट्री से निकलते समय के उचित बिक्री कीमतें, जो 31–12–73 तक वैध रहेंगी, नीचे दी गई हैं :—

ग्रेड	विधि–क		विधि–ख	
	जहां पर लिखित मूल्य विधि से ब्लाक मूल्य तथा मूल्यह्रास का आंकलन-किया जाता है।		जहां सामान्य लाइन विधि से ब्लाक मूल्य-तथा मूल्यह्रास का आंकलन किया जाता है।	
	रुपये प्रति मे टन	रुपये प्रति कि. ग्रा	रुपये प्रति मे टन	रुपये प्रति कि. ग्रा
एस–1500/ 1502	4069.93	4.05	4400.10	4.40
एस–1712	3646.47	3.65	3887.04	3.90
एस–1958	4037.20	4.05	4367.37	4.40

(2) उचित कीमत आंकलन करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख अनुमानों के आधार पर कार्यवाही की है :—

(1) कीमत अवधि के दौरान एस० बी० रबड़ का 35,000 मे टन औसत वार्षिक उत्पादन होगा ।

(2) एस० बी० रबड़ बनाने के लिए अल्कोहल की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति स्वदेशी स्रोतों से नियंत्रित कीमतों पर की जायेगी ।

(3) बेंजीन की संपूर्ण आवश्यकता हिन्दुस्तान स्टील द्वारा की गई सप्लाई से पूरी की जायेगी ।

(4) बुटाडाइन की आवश्यकता का कुछ भाग नैशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० द्वारा की गई सप्लाई से पूरा किया जायेगा ।

(3) प्रत्येक वर्ष 19.63 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि विशेष मरम्मतों तथा रख-रखाव के लिए दी जाती है ताकि कम्पनी अपने प्लाट का अनुकूलतम उपयोग कर सके ।

किसान सेवा सहकारी समितियां का जाल बिछाने का प्रयास

5214. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक समस्त देश में किसान सेवा सहकारी समितियों का शीघ्र जाल बिछाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जैसा कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की हैं, कृषक सेवा संस्थाओं का गठन करना और उनका पंजीकरण करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकरों की जिम्मेदारी है । इन संस्थाओं का वित्त पोषण या तो केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जायेगा । सरकारी क्षेत्र के बैंक इन संस्थाओं का वित्तपोषण केवल उन्हीं क्षेत्रों में करेंगे जहां केन्द्रीय सहकारी बैंक कमजोर हैं । इस प्रकार की दो संस्थाएं मैसूर राज्य में बनायी गयी हैं और दोनों का वित्तपोषण 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किया जायेगा । दूसरे राज्यों में, ऐसी संस्थाओं के गठन और सरकारी क्षेत्रों द्वारा उनका वित्तपोषण किया जाना स्वभावतः सम्बद्ध राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करेगा ।

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये योजना

5215. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये किसी योजना पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ख) क्या एक नया 'एक्सपोर्ट मिक्स' बनाया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) इंजीनियरी सामान के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किये जा रहे हैं :

(1) स्वदेशी स्रोतों से इस्पात की उपलब्धि के लिए प्राथमिकता दी जाती है ।

(2) निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित इस्पात के आयात की अनुमति देने तथा उसे निर्यातकों को जे पी सी कीमतों पर उसमें दो प्रतिशत जमा करके उपलब्ध कराने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं ।

(3) अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात करने वाले विनिर्माताओं को अपने उत्पादन के विस्तार एवं विविधीकरण में अधिमान युक्त व्यवहार दिया जाता है तथा साथ ही उन्हें प्राथमिक स्रोतों से आयात की सुविधा भी दी जाती है ।

(4) विदेशों में विपणन संबंधी प्रयासों अर्थात् प्रचार, बाजार सर्वेक्षण, विक्रय तथा अध्ययन दलों, प्रतिनिधि मंडलों, विदेश स्थित कार्यालयों आदि के लिए इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के माध्यम से विपणन विकास निधि के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध है ।

(5) अधिमानी आधार पर इस्पात के अलावा अन्य कच्चे माल तथा सामान के आयात की भी सुविधा मौजूद है ।

(ख) एक्सपोर्ट मिक्स में इस अर्थ में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि अधिक से अधिक पूंजीगत माल, पावर स्टेशन उपस्कर, परिवहन उपस्कर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन निर्यात किये जा रहे हैं तथा आद्योपांत परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं ।

टेनिस के अग्रणी खिलाड़ी श्री विजय अमृतराज द्वारा जीते गये पारितोषकों पर आयकर तथा सीमाशुल्क की अदायगी की छूट देना

5216. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के टेनिस के अग्रणी खिलाड़ी श्री विजय अमृतराज ने हाल ही में वोल्वो टूर्नामेंट में 5000 डालर नकद तथा 6000 डालर मूल्य की एक 'स्पोर्टस' कार जीती थी;

(ख) यदि हां, तो क्या 5000 डालर पर आयकर अदा करने के साथ-साथ उन्हें कार को भारत लाने पर उस पर 160 प्रतिशत आयात शुल्क भी अदा करना पड़ेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें इन शुल्कों की अदायगी से छूट देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) रिपोर्ट मिली है कि हाल ही में श्री विजय अमृतराज ने वोल्वो टूर्नामेंट में 5000 डालर और एक कार जीती है । पुरस्कार पर आयकर लगने योग्य है । इस प्रकार के पुरस्कारों को आयकर से छूट देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । मोटर गाड़ी पर आयातशुल्क की रकम, बीमा खर्च तथा भाड़े सहित लागत मूल्य का 164 प्रतिशत होगी, और मोटर गाड़ी को आयातशुल्क से छूट देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

दक्षिण में कुछ कर्मशियल सर्कलों द्वारा माल के बिलम्ब से भेजे जाने के बारे में इण्डियन एयरलाइन्स के विरुद्ध शिकायतें

5217. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में कुछ कर्मशियल सर्किलों ने माल के विलम्ब से भेजे जाने के बारे में इंडियन एयरलाइन्स के विरुद्ध शिकायतें की

(ख) क्या दक्षिण में विमान सेवा यात्रियों और मालभाड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त अपर्याप्तता के कारण यात्रियों और माल को अन्य वाहनों द्वारा भेजा जा रहा है जिससे इंडियन एयरलाइंस आय से वंचित रह रही है; और

(घ) उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स के विमान वेड़े के अत्यंत तंगी की स्थिति में होने के कारण दक्षिणी क्षेत्र के लिए उपलब्ध करायी गयी वर्तमान विमान सेवाओं की क्षमता आवश्यकता से कम है ।

(ग) इंडियन एयरलाइंस की क्षमता की कमी के कारण शायद कुछ यातायात को दूसरे वाहनों का प्रयोग करना पड़ रहा है ।

(घ) जैसे ही विमान बेड़े की स्थिति में सुधार होता है दक्षिणी क्षेत्र में विमान सेवा को अधिक पुष्ट कर दिया जायेगा ।

पटसन से बने सामान के निर्यातकर्ताओं के सम्मुख समस्यायें

5218. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन से बने सामान के निर्यातकर्ताओं के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों के बारे में भारतीय पटसन मिल्स संघ और पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) भारी प्रतिस्पर्धा तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंडी तथा भंडार के जमा होने के कारण गत तीन वर्षों में पटसन से बने सामान के निर्यात में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उनको दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जाज) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारत से पटसन निर्मित माल के निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण संश्लिष्टों के मुकाबले में पटसन उत्पादों का गैर प्रतिस्पर्धात्मक होना हैं । इस संबंध में किये गये उपचारात्मक

उपाय हैं : पटसन निर्मित माल की लागत घटाने तथा उसका विविधीकरण करने के लिए गवेषणा एवं विकास कार्य । इसके अलावा, सरकार ने अभी हाल में पटसन निर्मित माल पर निर्यात शुल्क घटा कर राहत दी है ।

वर्ष 1 79–74 में दादर और नगर हवेली क्षेत्र मे पर्यटन विकास के लिये निर्धाति धनराशि

5219. श्री रामू भाई पटेल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74 में दादर और नगर हवेली क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 1973–74 के दौरान दादर व नगर हवेली में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई फंड निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य संस्थाओं, रा विभिन्न राज्यों को दिया गया ऋण

5220. श्री समर गुह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) जमा बीमा निगम, (दो) जीवन बीमा निगम और (तीन) सामान्य बीमा निगम द्वारा जमा करवाई गई और दिये गये ऋणों तथा (i) कृषि पुनर्वित्त निगम, (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (iii) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और (i) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये ऋणों के आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये ऋणों में वषमता से उत्पन्न मामलों पर पुनर्विचार करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जमा बीमा निगम न तो जमा की राशिय स्वीकार करता है और न ही किसी पार्टी को ऋण देता है । जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम भी जमा राशियां स्वीकार नहीं करते किन्तु कभी कभार ऋण देते हैं, वे मुख्यतः पूंजी निवेश करने वाली संस्थाएं हैं ।

कृषि पुनर्वित्त निगम सीधे ऋण प्रदान नहीं करता किन्तु पात्र संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दीर्घावधिक वित्तीय संस्था है जो सम्बन्द्ध औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक किसी पार्टी को ऋण नहीं देता।

कृषि पुनर्वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम और भारतीय यनिट ट्रस्ट द्वारा दी गयी सहायता का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी–5589/73]

सामान्य बीमा निगम द्वारा राष्ट्रीयकरण के पूर्व कंपनियों को स्वीकृत कुल ऋणों की तथा बकाया रकमों की 31-12-1972 को 442 लाख रुपये थी। आंकड़ों का राज्यवार व्योरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) सम्बद्ध वित्तीय संस्थाएं, जो कृषि और उद्योगों को सहायता प्रदान करती हैं, इस बात का सुनिश्चय न करने का प्रयत्न करती हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना की संस्थागत ऋण के अभाव के कारण कोई हानि न हो। इस सामान्य उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए ये संस्थाएं पिछड़े हुए क्षेत्रों में प्रायोजित परियोजनाओं के लिए सहायता देने का विशेष ध्यान रखती हैं। क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग-धंधों का विकास करने के लिए रियायती दर पर सहायता प्रदान करने की योजनाएं तैयार की हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, खास तौर से देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े लगभग सभी राज्यों में, औद्योगिक संभावना संबंधी सर्वेक्षण भी किया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं कृषि पुनर्वित्त निगम ने विभिन्न स्थानों में तकनीकी परामर्शदात्री सेवा एककों की स्थापना की है। इन दोनों संस्थाओं के क्षेत्रीय कार्यालयों को, खास तौर से पिछड़े हुए क्षेत्रों, में सुदृढ़ कर दिया है।

पिछड़े हुए राज्यों को सहायता देने के मामले में निगम के सम्बद्ध बोर्डों के निर्देशकों द्वारा इन संस्थाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाती है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से निष्क्रान्त व्यक्तियों को दिये गये अनुग्रहपूर्वक अनुदान

5221. **श्री समर गुह** क्या **वाणिज्य** मंत्री भतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से निष्क्रान्त व्यक्तियों को दिये गये अनुग्रहपूर्वक अनुदान के बारे में 3 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1938 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) भतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान और (दो) पश्चिमी पाकिस्तान से निष्क्रान्त व्यक्तियों को दिये गये 2,40,34,325 रुपये 36 पैसे के अनुग्रहपूर्वक अनुदानों का व्यौरा क्या है;

(ख) (एक) भूतपूर्व पाकिस्तान और (दो) पश्चिमी पाकिस्तान की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिये गये हैं और प्रत्येक कम्पनी को कितनी धनराशि दी गई ;

(ग) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रान्त व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों के साथ निपटने के लिए कलकत्ता में एक शाखा कार्यालय खोला जायेगा; और

(घ) दावों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जाज) : (क) अनुग्रहपूर्वक अनुदानों के रूप में दी गई 2,40,34,325.36 रु० की राशि में से 1,41,05,089.14 रु० तथा 99,29,236.22 रु० की राशियां, क्रमशः (1) भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान और (2) पश्चिम पाकिस्तान से आये भारतीय राष्ट्रिकों/कम्पनियों को दी गई हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) तथा (घ). चूंकि ये अनुग्रहपूर्वक अनुदान हैं अतः इनके भुगतान दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दावों की जांच करके किये जाते हैं। दावों की जांच भारतहेतु शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के कार्यालय द्वारा की जाती है जिसके कार्यालय को दावों की शीघ्र जांच करने के लिए सुदृढ़ कर दिया गया है और जो दावे सभी तरह पूर्ण हैं उन्हें शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवेदकों को दिये गये ऋण

5222. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री 3 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1939 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, (दो) जमा बीमा निगम, (तीन) कृषि पुनर्वित्त निगम, (चार) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (पांच) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, (छः) जीवन बीमा निगम और (सात) सामान्य बीमा निगम द्वारा प्रत्येक राज्य के आवेदकों को ऋण के रूप में दी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) (i) गैर सरकारी क्षेत्र और (ii) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां और परियोजनाओं को दिये गये ऋणों के अलग अलग आंकड़ों का व्यौरा क्या है; और

(ग) (i) गैर सरकारी उपक्रमों और (ii) सरकारी उपक्रमों की ओर ऋणों की कितना राशि बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त निगम किसी भी पार्टी को कोई प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करते ।

जमा बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट भी कोई ऋण प्रदान नहीं करते ।

जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम कभी कभार ही ऋण देते हैं; वे मुख्यतः निवेश करनी वाली संस्थायें हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास निगम दीर्घावधिक वित्तीय संस्था है जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत और वितरित सहायता का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

सामान्य बीमा निगम द्वारा राष्ट्रीयकरण से पूर्व स्वीकृत ऋणों और उनकी बकाया रकम 31-12-1972 को 440 लाख रुपये थी । राशियों का राज्यवार व्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). क्योंकि कृषि पुनर्वित्त निगम पात्र संस्थाओं को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी को सीधे ऋण नहीं देता इसलिये ऋणों के क्षत्र वार व्यौरे का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

1942 LS—3.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के संबंध में प्रत्यक्ष ऋण सहायता (30-6-1973 को) के संबंध में सूचना निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

	स्वीकृत	वितरित	बकाया
गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान .	27492.06	14288.97	10804.68
सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान .	1916.68	1057.07	777.44

जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत क्षेत्रवार ऋणों से सबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और सम्भव सीमा तक सभा पटल पर रख दी जायगी।

जहां तक सामान्य बीमा निगम का संबंध है, ऋणों के क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा अपने आरम्भ से स्वीकृत और वितरित सहायता

(करोड़ रुपयों में)

राज्य/संघीय राज्यक्षेत्र	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम		जीवन बीमा निगम	
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश . .	31.96	29.87	6.71	4.75
असम . . .	16.58	4.61	8.20	7.16
बिहार . . .	29.42	20.20	19.41	10.46
गुजरात . . .	79.29	58.19	30.17	15.69
हरियाणा . .	14.45	11.87	1.41	0.39
हिमाचल प्रदेश . .	1.15	0.93	0.05	0.05
जम्मू और कश्मीर . .	0.56	0.61	—	—
केरल . .	17.06	10.78	2.93	2.59
मध्य प्रदेश . . .	28.11	22.97	3.24	2.68
महाराष्ट्र . . .	198.08	166.71	60.32	47.97
मणिपुर . . .	0.02	—	—	—
मेघालय . . .	—	—	—	—

1	2	3	4	5
मैसूर . . .	47.79	28.00	8.08	3.85
नागालैण्ड . . .	0.50	--	--	--
उड़ीसा . . .	13.61	6.16	4.30	2.33
पंजाब . . .	7.47	4.50	1.04	0.71
राजस्थान . . .	14.21	8.97	2.80	1.49
तमिलनाडु . . .	99.65	75.04	20.04	12.17
उत्तर प्रदेश . . .	29.34	17.75	13.67	9.48
पश्चिम बंगाल . .	91.82	48.14	35.44	30.04
संघीय राज्य क्षेत्र . .	15.18	13.10	4.69	3.93
जोड़ .	736.25	528.40	222.50	155.74

टिप्पणी : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में जो वित्तीय सहायता देता है उसमें ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अंशदान, पुनर्वित्त, पुनर्बट्टा, और निर्यात वित्त शामिल हैं ।

राज्यों में जमा राशि और ऋणों के बीच असमानता

5223. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री 3 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1940 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में जमा राशि और ऋणों की राशि के बीच असमानता के कारणों का पता लगाया है;

(ख) क्या इस प्रकार की असमानताएं विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास न हो सकने के लिये कुछ हद तक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने के सम्बन्ध में समान ढांचा तैयार करने सम्बन्धी मामलों की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). जैसा कि 30 अगस्त, 1973 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1940 के उत्तर में संकेत दिया जा चुका है किसी भी प्रदेश में ऋण उपयोग और जमा के लिए रकमें जुटाने का स्तर अधिकांशत: आर्थिक गतिविधियों के सामान्य स्तर, औद्योगीकरण के स्तर और संचार, विद्युत जैसी आधारभूत सुविधाओं से सम्बद्ध होता है ।

(ग) और (घ). यद्यपि इन मामलों की जांच करने के लिए किसी अध्ययन दल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लगातार समीक्षा की जाती है, कि विकसित और कम बैंकों वाले राज्यों की आवश्यता की ओर अधिक ध्यान दिया जाय और कोई भी सक्षम प्रस्ताव, उसके आकार और स्थिति के बावजूद बैंक ऋण से वंचित न रहे। वित्त मंत्री ने सम्बद्ध राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि राज्य और जिला स्तर पर विकास तंत्र में तेजी लायें ताकि बैंक की सहायता से चलने वाले विकास कार्यक्रमों का निर्माण करने और आधारभूत सुविधाओं तथा काम आने वाली अन्य वस्तुओं की व्यवस्था करने में सहयोग मिल सके। बैंक के साथ ये सब योजनाओं को सफल बनायेंगे। बैंक अपनी ओर से, विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों में, ऋण के प्रवाह में वद्धि करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये गये कुछ उपाय ये है---जैसे बैंकों के ढांचे का पुनर्गठन ताकि उन्हें अधिक शक्तियां सोंपी जा सकें, फारमों का सरलीकरण, कर्मचारियों के रुझान का पुनर्नवीकरण करने के लिए उनका प्रशिक्षण आदि और शीर्ष बैंक योजना का क्रियान्वयन।

एयरलाइन्स के एक कर्मचारी को तमाचा मारने के समाचार की जांच

5224. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांगानेर हवाई अड्डे पर 1 अगस्त, 1973 (बुद्धवार) को एक अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स के एक कर्मचारी को तमाचा मारने के समाचार की कोई जांच कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया जा चुका है। संबंधित व्यक्ति ने लिखित रूप में क्षमा-प्रार्थना की है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नये रोजगार पैदा किया जाना

5225. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में चालू वर्ष में कितने नये रोजगार पैदा किये गये हैं और आगामी वर्ष में कितने नये रोजगार पैदा किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों क निदेशक बोर्डों और प्रबन्धक वर्ग में रिक्त पड़े पद

5226. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में निदेशक बोर्डो तथा प्रबन्धक वर्ग में कुछ पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वे कब से रिक्त पड़े ह तथा इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-5590/73]

यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं में प्रयोग आने वाले डीजल तेल पर उत्पाद-शुल्क की अदायगी से मुक्ति

5227. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मैसूर तट के साथ-साथ चलने वाली यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क की अदायगी से मुक्ति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।]

दिल्ली स्थित सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से नकदी के बक्स का गायब हो जाना

5228. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री बी० मायावन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अगस्त, 1973 को सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली से 1.12 लाख रुपये वाला नकदी का बक्स गायब हो गया था;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है और क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 3 अगस्त, 1973 को स्टील का एक बक्स, जिसमें 1,12,258 रुपये थे, इसकी प्रेस एरिया ब्रांच, नई दिल्ली में मुख्य खजांची के कक्ष से गायब पाया गया। बैंक के अनुसार, मुख्य खजांची ने रिपोर्ट थी घी कि स्टील के बक्से में 2,500 रुपये की राशि भी थी जो उसने 2 अगस्त, 1973 की शाम को काफी देर से बैंक के एक ग्राहक से प्राप्त की थी। सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी। पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

विभिन्न उपक्रमों में जीवन बीमा निगम के शेयरों की बिक्री

5229. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री के० लक्प्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि विभिन्न उपक्रमों में जीवन बीमा नियम के शेयरों को उनके प्रत्यक्ष मूल्य पर बेचा जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली हवाई अड्डे पर 6 अगस्त, 1073 को क्षतिग्रस्त हुआ इण्डियन एयर लाइन्स का वाईकाउन्ट विमान

5230. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे के रनवे के निकट 6 अगस्त, 1973 को इंडियन एयरलाइन्स का एक वाइकाउन्ट विमान क्षतिग्रस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप कितनी क्षति हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). जी, हां। इस घटना के परिणाम स्वरूप विमाना को मामूली क्षति पहुंची और धावनपथ की पांच बत्तियां टूट गयीं।

घटना की जांच की जा रही है।

न्यू इंण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी और जनरल इस्योरेंस कम्पनी में अनियमितताओं के बारे में संसद् सदस्य से प्राप्त पत्र

5231. **श्री मधुलिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें किसी संसद सदस्य से न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी और जनरल इन्श्योरेंस में अनियमितताओं के बारे में पत्र मिले हैं;

(ख) क्या उन्हें इस बारे में भी कोई पत्र मिला है कि 1971 के चुनावों में 500 से अधिक ऐसी जीपों का अद्भुत और विभिन्न ढंग से उपयोग किया गया जिनके लिए न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी के बड़े व्यक्तियों द्वारा इन्श्योरेंस कम्पनियों और वित्त गृहों के माध्यम से धन देने की व्यवस्था की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इन पत्रों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने आरोपों की जांच की है और उन पर कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) संसद के दो सदस्यों से प्राप्त पत्रों में आरोप लगाये गये थे कि :

(i) न्यु इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के भूतपूर्व कस्टोडियन श्री बी० के० साह को कुछ असामान्य पेंशन, छुट्टी तथा कार सम्बन्धी लाभ मंजूर किये गये हैं।

(ii) श्री शाह ने एक योजना बनाई थी कि जिसके अंतर्गत कुछ चुनिन्दा कर्ज-लेने-देने वाली संस्थाओं ने, कुछ चुनिन्दा बीमा कम्पनियों के साथ मिल कर, मैसर्स महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेड द्वारा निर्मित 500 से भी अधिक जीपों की भाड़ा खरीद के लिए रुपये की व्यवस्था की, और वे जीपें पिछले सामान्य चुनावों में सुरक्षा विभाग को नहीं देते हुए शासक कांग्रेस दल के लिये गई चुनाव पूरा हो जाते ही वे जीपें न्यू इंडिया एंश्योरेंन्स कम्पनी लिमिटेड और। अथवा कर्ज लेने देने वाली संस्थाओं द्वारा जब्त कर ली गयीं और प्राइवेट पार्टियों को बेच दी गयीं।

इन जीपों का बीमा किसी प्रकार के प्रपोज़ल फार्म बिना ही किया गया था और मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के कारखाने में जारी किये गये कवर नोटों के आधार पर इन बीमा पालिसियों को पिछली तारीख से लागू किया गया।

शु शुरू की किस्तों और अथवा बिक्री मूल्य सम्बन्धी अधिकांश लेन-देन नकदी में हुए जिससे इन लेन-देनों में काफी ज्यादा लेखावाह्य पैसा लग गया। कर्ज लेने-देने वाली संस्थाओं अथवा न्यू इंडिया ने बिक्री मूल्य पर कोई बिक्री-कर वसूल नहीं किये।

(iii) कम्पनी के प्रमुख कार्यकारी के रूप में अपने पद और अधिकारों का अत्यधिक दुरुपयोग करते हुए श्री वी० के० शाह ने कम्पनी की बिल्डिंग 'मे फेयर गार्डन्स' में एक फ्लेट तो अपने पुत्र श्री संजय बी० शाह को और दूसरा श्री जी० बी० कपाड़िया को अलाट कर दिया, हालांकि श्री शाह के परिवारकी मालिकी के बम्बई में एक बंगला और दो फ्लेट हैं और कम्पनी ने श्री कपाड़िया को इमदादी किराये पर बम्बई में 'संदत्ता' में एक फ्लैट पहले ही दिया हुआ है।

(iV) श्री शाह ने कुछ मोटर फाइनेंस कम्पनियों को क्रेडिट पर बीमा पालिसियां जारी करने में कई अनियमितताएं की हैं :

(घ) **आरोप नं० (1)** : न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के रूप में श्री शाह की 29 सितम्बर 1970 से चार वर्ष के लिये पुर्ननियुक्ति की शर्तें बीमा नियंत्रक द्वारा 31अगस्त,1970 में मंजूर की गयी थीं। जब विविध बीमा कम्पनी (आपात व्यवस्था) अधिनियम, 1971 के अधीन सरकार ने 13 मई, 1971 को न्यू इंडिया का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया और श्री शाह को अभिरक्षक के रुप में नियुक्त किया तब अन्य कुछ मामलों की भांति इस मामले में भी यह निर्णय किया गया था कि श्री शाह को उनकी प्रबन्ध निदेशक की हैसियत में, निदेशक मंडल अथवा हिस्सेदारों द्वारा मंजूर की गयी शर्तों के आधार पर उपर्युक्त तारीख तक पेंशन सम्बन्धी तथा अन्य जो भी लाभ देय पाये जायें वे श्री शाह को, जब वे अभिरक्षक नहीं रहें तब दे दिये जायं। (श्री शाह 1972 के अन्त में कम्पनी के अभिरक्षक नहीं रहे और वे 406 दिन की छुट्टी पर चले गये।) श्री शाह जब विशेषाधिकार छुट्टी पर थे तब उनको मोटर-गाड़ी की सुविधा उसी आधार पर मंजूर की गई जिस आधार पर उनको अतीत में छुट्टी होने पर मंजूर की जाती रही।

आरोप (2) : भाड़ा-खरीद क्षतिपूर्ति व्यापार, विविध बीमा कारोबार की एक मानी हुई शाखा है। 1971 के प्रारम्भ में भाड़ा-खरीद कम्पनियों ने बीमा कम्पनियों से निवेदन किया कि कई दलों की जरूरत की जीपों के सम्बन्ध में उनको भाड़ा-खरीद क्षतिपूर्ति बीमा पालिसियों की व्यवस्था की जाय। इस निवेदन में काफी बड़ा कारोबार निहित था इसलिए भारतीय बीमा कम्पनियों की एसोसिएशन ने, आवश्यक बीमा की व्यवस्था करने के लिये इंडियन इंश्योरेंस कम्पनियों की एक सहयोगी संस्था (कंसोरटियम) बनाने की योजना अपने सदस्यों के बीच परिचालित की। अंततः केवल 16 बीमा कम्पनियां इस योजना में सम्मिलित होने को राजी हुई जिनमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि० (भारत के जीवन बीमा निगम की एक सहायक कम्पनी) भी शामिल थी।

कंसोरिटयम ने मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड द्वारा बेची गई 548 जीपों के सम्बन्ध में हस्बमामूल तरीके से भाड़ा-खरीद क्षतिपूर्ति बीमा की व्यवस्था की। पता चला है कि ये जीपें

चार राजनैतिक दलों और कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों के प्रयोग के लिए भाड़ा-खरीद आधार पर खरीदीं गई थीं ।

कंसोरटियम ने यह कारोबार सामान्य व्यापारिक सिद्धान्तों और रिवाजों के अनुसार ही किया । इस ने भाड़ा खरीद क्षतिपूर्ति बीमा के लिये प्राप्त सभी निवेदनों पर समुचित विचार किया । इन पालिसियों के अधीन प्रीमियम प्रत्येक मामले में वसूल किये गये और बीमा कम्पनियों को चुकाये गये । कवर नोट जहां के तहां जारी किये गये । इस प्रयोजन के लिये प्रपोजल फार्म के लिये आग्रह करना आवश्यक नहीं समझा गया , विशेषत: इसलिए कि इस में निहित जोखिम मानक किस्म की थी । कवर नोट में जोखिम की मान्य तारीख से प्रवर्तित करते हुए बाद में बीमा पालिसियों का जारी करना भी बीमा व्यवसाय में प्रचलित सामान्य रिवाज के अनुसार ही था । इसके अतिरिक्त , जिन मामलों में दावों की अदायगी की गई उन में बीमा कम्पनियों ने रकम, भाड़ा, लेने वाले से वसूल करने की कार्यवाही की थी ।

कर्ज-लेने-देने वाली कम्पनियों ने किस्तों का भुगतान किस रूप में प्राप्त किया और उन्होंने अपनी बकाया रकमें वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । परन्तु न्यू इंडिया अथवा अन्य किसी भी बीमा कम्पनी ने कोई गाड़ी जब्त नहीं की । इस कारण, बिक्री-कर की वसूली से बीमा कम्पनियों का कोई सम्बन्ध नहीं था ।

आरोप नं० (3) और (4): इन आरोपों की जांच की जा रही है ।

विदेशी कम्पनियों के व्यापारिक नामों का प्रयोग करने के लिए भारतीय कम्पनियों को अनुमति

5232. श्री मधु लिमये :
श्री पट्टाभिराम राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में चल रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को अनुमति दी है कि वे भारतीय कम्पनियों को मुआवजे में अपने व्यापारिक नामों का प्रयोग करने दे ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण शाखाओं को कितनी राशि मिली है;

(ग) क्या सरकार को विदेशी कम्पनियों के इस तरीके का पता है कि वे देशी उद्योग की कीमत पर अपनी क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से अन्य कम्पनियों को अपने माल के उत्पादन के लिए "लाइसेंस देने" और "ठेका देने" जैसी योजना अपनाती हैं ; और

(घ) इन तरीकों को अपनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ; ; "लाइसेंस देने" के बदले में उन्हें कितनी राशि मिली तथा अन्य कम्पनियों को "ठेका देने" के अन्तर्गत उनका कुल उत्पादन कितना हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमयों के अन्तर्गत, भारत स्थित विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को "निवासी शाखाएं"

माना जाता है और उन्हें निवासी भारतीय कम्पनियों को अपना व्यापारिक नाम देने के लिए सरकार अथवा रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। सम्भवतः विदेशी विनियमन विधेयक के पास हो जाने के बाद, जो अभी संसद् के सम्मुख है, विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के इस प्रकार के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

(ख) उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ): नयी लाइसेंस नीति के अन्तर्गत, विदेशी कम्पनियों को, अपने विस्तार तथा उत्पादन में विविधीकरण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ विदेशी कम्पनियों का सम्बन्ध, इस प्रकार के ठेकों अथवा उपलाइसेंसों से हो जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते। वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्ध भी इस प्रकार के मामले के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। किन्तु, सम्भवतः विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक के अन्तर्गत, जो इस समय संसद् के सम्मुख हैं, इस प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करना सम्भव हो सकेगा।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों का पंजीकरण

5233. श्री मधु लिमये: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी कंपनियों और उनकी सहायक कम्पनियों/शाखाओं को कानून के द्वारा विवश करने का है कि वे स्वयं को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करवायें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चाव्हाण): (क) कम्पनी अधिनियम की धारा 591 में परिभाषित विदेशी कम्पनियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए बाध्य करने के विषय में कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि इस दिशा में कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 की, जो अब संसद् की संयुक्त समिति के समक्ष है, धारा 31 में प्रस्तावित उपबन्ध पर्याप्त है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश भेजे जाने वाले धन पर प्रतिबन्ध

5234. **श्री मधु लिमये:**
श्री पट्टाभिराम राव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा प्रतिबन्ध लगाने की वांछनीयता पर विचार कर रही है जिस से भारत में चल रही विदेशी कम्पनियां या उनकी

शाखायें भारत स्थिति उनकी शाखाओं में लगी पूंजी अथवा इक्विटी अंश के अनुपात में ही लाभ और खर्च आदि स्वदेश भेज सकें;

(ख) यदि हां, तो भारत स्थित उनकी शाखाओं की इक्विटी अथवा पूंजी निवेश के कितने प्रतिशत को स्वदेश भेजने के लिए अधिकतम राशि के रूप में अनुमति दी जायेगी; और

(ग) क्या सरकार गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक की पूंजी वाली विदेशी कम्पनियों से यह कहने पर भी विचार कर रही है कि वे भारत में लगाई गई अपनी पूंजी में कमी करें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक के पास हो जाने के पश्चात गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में कार्य कर रहीं उन सभी विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा कम्पनियों की समीक्षा अलग-अलग की जायगी जिनकी विदेशी शेयरधारिता 40 प्रतिशत से अधिक है।

Reduction in world bank aid to India

5235. **SHRI DHAN SHAH PRADHAN:** Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether Mr. Mcnamara, President of the World Bank indicated in Washington to the Indian Ambassador in U. S. A. that there would be a cut in the assistance to be given to India by the World Bank6

(b) whether he has expressed concern over the fact that the benefits of green revolution in India have gone only to the big farmers; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN): (a) No, sir.

(b) He has emphasised the need for steps by the developing nations to ensure that the benefits of development and growth do occur to the poorer sections in these countries.

(c) This is in line with our own national objectives and policy.

बम्बई में निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

5236. **श्री मायावन :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय निवारक कलक्टरी (सेन्ट्रल प्रिवेंटिव कलक्टेट) द्वारा 4 अगस्त, 1973 को बम्बई में लगभग 13 लाख रुपए की भारी मात्रा में निषिद्ध माल पकड़ा गया;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के संक्षिप्त तथ्य क्या हैं; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). बम्बई, सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्ता–कार्यालय के अधिकारियों द्वारा 4 अगस्त, 1973 को लगभग 13 लाख रुपये के मूल्य की कोई निषिद्ध वस्तुएं नहीं पकड़ी गयी थीं। किन्तु, प्राप्त सूचना के आधार पर सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 3–8–73 के बहुत सवेरे एक ट्रक का पीछा करके उसे मार्ग में रोका और निषिद्ध वस्तुओं के 70 पैकेज पकड़े जिनमें लगभग 10.5 लाख रुपये के मूल्य के विदेशी वस्त्र थे। पीछा किये जाते समय ट्रक का चालक तथा उसमें सवार लोग भाग निकलने में सफल हो गये। इन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा जा सका।

डेनमार्क तथा आयरलैण्ड को सूती कपड़े का निर्यात

5237. श्री वी० मायावन :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एक जहाज 365 मीटरी टन सूती कपड़ा डेनमार्क तथा आयरलैंड को भेजने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में करार की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). डेनमार्क तथा आयरलैंड में, जो कि 1 जनवरी, 1973 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य बने, भारतीय सूती वस्त्रों के आयातों केलिए कोटे के संबंधमें अभी तक यूरोपीय अर्थोक समुदाय के साथ कोई औपचारिक करार नहीं किया गया है। तथापि, समुदाय ने 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए डेनमार्क के लिए 800 टन और आयरलैंड के लिए 70 मे० टन का कोटा तय करने का विनिश्चय किया है।

दिल्ली से पटना होकर कलकत्ता के लिये विमान की प्रातःकाल की उड़ान मध्याह्न में करने का प्रस्ताव

5238. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से पटना होकर कलकत्ता के लिए दो विमान प्रातःकाल आधे घंटे के अन्तर से उड़ते हैं;

(ख) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए इन दोनों में से एक विमान का समय प्रातःकाल से मध्याह्न में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। उक्त दोनों सेवाओं में प्रयुक्त किये गये विमान विभिन्न किस्मों के हैं तथा पटना के मार्ग पर भिन्न-भिन्न स्टेशनों से होकर जाते हैं।

देश की प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा सेवित जनसंख्या

5239. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे भारत में, समूचे बिहार में और मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चम्पारन, वैशाली, छपरा, सिवान और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा सेवित जनसंख्या संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) समूचे भारत, समूचे बिहार और उत्तर बिहार के उपरोक्त जिलों में प्राइवेट और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने प्रति व्यक्ति कितना ऋण दिया; और

(ग) उत्तर बिहार को विशेष रूप से और बिहार को सामान्य रूप से अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख). सम्बद्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) जमा रकमों के जुटाने और ऋण उपयोग के स्तर का निर्धारण अधिकांशतः आर्थिक क्रियाकलाप और परिवहन, बिजली और संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं के स्तर से किया जाता है। वित्त मंत्री ने हाल ही में राज्य के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे बैंक योग्य योजनाओं को बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर विकास तन्त्र को सुदृढ़ बनायें और आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबन्ध करें ताकि बैंक वित्त के साथ विकास योजनाओं की क्रियान्विति सम्भव हो सके। सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने आप कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में छोटे ऋण-कर्ताओं को दिये जाने वाले अपने ऋणों में वृद्धि करने पर अधिक बल दे रहे हैं। नेता बैंक योजना को क्रियान्वित करना, शक्तियों का अधिक प्रत्यायोजन, फार्मों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की व्यवस्था करने के लिए बैंकों के प्रशासनिक ढांचे की पुनः संरचना, छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण देने की नई योजनाएं, कर्मचारियों को उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण देना आदि कुछ एक कदम उठाये गये हैं जिन से बैंकों को अग्रिम कार्यक्षेत्र बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विवरण

		30 जून 1973 को प्रत्येक बैंक कार्यालय द्वारा सेवित जनसंख्या (000)	दिसम्बर 1972 के अन्त में प्रति व्यक्ति ऋण (रु०)
	(1)	(2)	(3)
(क)	1. सहरसा	138	6.15
	2. पूर्णिया	92	13.41
	3. दरभंगा	149	4.35

	(1)	(2)	(3)
सहित*			
(क) मधुवनी			
(ख) समस्तीपुर			
4. मुजफ्फरपुर	. .	124	11.93
सहित*			
(क) सीता मढ़ी			
(ख) वैशाली			
5. चम्पारन	. .	81	11.82
सहित*			
(क) पश्चिम चम्पारन			
(ख) पूर्व चम्पारन			
6. सरन .		171	10.56
सहित*			
(क) छपरा			
(ख) सिवान			
(ख) समूचा बिहार .		95	19.51
(ग) समूचा भारत . .	. .	36	102.28 (41.60)**

*ये नव निर्मित जिले हैं और इन के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
**वृहद केन्द्रों को छोड़ कर।

चौथी पंचवर्षीय योजना में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत धन संग्रह करने के लक्ष्य

5240. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत धनसंग्रह करने के लक्ष्य क्या थे;

(ख) कितना धन संग्रह किया गया; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत अधिक धन संग्रह करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) शुरू में चौथी आयोजना के दौरान अल्प बचतों से 769 करोड़ रुपये का संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आयोजना के मध्यावधिक मूयांकन के दौरान इसे बढ़ा कर 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(ख) चौथी आयोजना के दौरान अब तक संग्रहीत शुद्ध रकम का व्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1969—70 . . .	127
1970—71 . . .	188
1971—72 . . .	227
1972—73 . . .	354
जोड़ . . .	896

(ग) पांचवीं आयोजना की अवधि के दौरान अल्प बचतों से, 1850 करोड़ रुपये के संग्रह का अस्थायी लक्ष्य रखा गया है। सरकार अल्प बचतों के अभियान के आधार को व्यापक बनाने की ओर लगातार ध्यान दे रही है और अल्प बचत योजनाओं को, विभिन्न वर्गों के निवेशकर्ताओं के बीच आकर्षक और लोकप्रिय बनाने के लिए, समय समय पर कदम उठाये जाते हैं। वर्तमान अल्प बचत प्रतिभूतियों को युक्तिसंगत बनाने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं :

(i) 15—वर्षीय लोक भविष्य निधि योजना के ब्याज की दर पहली अप्रैल, 1973 से 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 5.3 प्रतिशत कर दी गयी है।

(ii) 5 वर्ष और 15 वर्ष की बढ़ने वाली सावधि जमा योजनाएं पहली अक्टूबर, 1973 से समाप्त की जा रही हैं। उसके बाद नियमित रूप से बचत करने वालों के लिए तीन योजनाएं उपलब्ध होंगी अर्थात 5 वर्षीय आवर्तक जमा योजना, 10 वर्षीय बढ़ने वाली सावधि जमा योजना और 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि योजना।

सरकार ने दो नयी बचत योजनाओं की घोषणा भी की है जिनका व्यौरा इस प्रकार है :—

(i) दो वर्षीय डाक घर सावधि जमा योजना। यह योजना पहली अगस्त, 1973 से शुरू की गई है और इस पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से कर-योग्य व्याज दिया जायगा; और

(ii) 7—वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र जिनका मूलधन और कर-योग्य 7.5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज, बचत पत्रों के परिपक्व होने पर अदा किया जायगा।

देश में गैर-आवश्यक वस्तुओं का आयात

5241. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक गैर-आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक आयात किया जा रहा है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उनके आयात को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) आयात नीति का सतत पुनावलोकन किया जाता है और ऐसी मदों के, जो देश में तैयार की जा रही हैं, आयात करने की अनुमति या तो दी नहीं जाती अथवा सीमित आधार पर दी जाती है।

इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण की जांच करने के लिये नियुक्त विभागीय समितियों के प्रतिवेदन

5242. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न विभागीय समितियों ने इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं ; और

(ग) क्या प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) से (ग). : इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण की जांच करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कोई विभागीय समिति नियुक्त नहीं की गई है।

वर्ष 1972–73 में ऊन की रद्दी (शोडी वूल) के लिये लाइसेंस जारी करना

5243. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 में ऊन की रद्दी (शोडी वूल) बनाने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने लाइसेंस जारी किये गये और उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ये लाइसेंस मंत्रालय में प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर दिये गये हैं ;

(घ) क्या पहले प्राप्त आवेदन-पत्रों पर लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). : जी नहीं। तथापि, पिछड़े हुए क्षेत्रों में शाड़ी स्पिनिंग एकक स्थापित करने के लिए उनी वस्त्र (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण आदेश, 1972 के अन्तर्गत परमिट जारी किए जाने हेतु 1971 से अब तक सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पार्टियों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—5591/73]

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

फार्म परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

5244. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**

श्री प्रभुदास पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आगामी परियोजना अवधि 1974–78 में फार्म परियोजनाओं के लिये अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कुल कितनी सहायता दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) कृषि तथा सिंचाई क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक समूह के सहायता प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) 1974–78 की अवधि में इन क्षेत्रों के लिए मिलने वाली राशि के बारे में इस समय कुछ कहना-समय-पूर्व होगा ।

Arreas of Income Tax above Rs. 1 Lakh against Firms in Rajasthan

5245. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to item 65 of Statement No. III laid on the Table on the 27th July, 1973 in implementation of assurance given in reply to Unstarred Question No. 9246 on the 4th May, 1973 and state:

(a) the reasons for which the firms at Rajasthan, referred to in the aforesaid reply, have not paid arrears of kIncome-tax amounting to more than rupees one pertaining to the period from 1970 to 1973 for such a long time;

(b) how these arrears are proposed to be realised; and

(c) the punishment to be given to the defaulting firms?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

निगमित करों की बकाया राशि

5246. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) अब निगमित करों की कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ख) गत दो वर्षों में यह राशि कितनी थी

(ग) उन 25 कम्पनियों, फर्मों के नाम क्या हैं जिनके नाम निगमित करों की सबसे अधिक राशि बकाया है ;

(घ) करों की इतनी बड़ी राशि बकाया हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) गत वर्ष निगमित आय-करों की कितनी बकाया राशि बट्टेखाते डाली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). 31–3–1972 को निगम-कर की शुद्ध बकाया रकम 90.30 करोड़ रुपये थी ।

31–3–1973 को निगम कर की बकाया के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) जिन प्रथम 25 कम्पनियों की तरफ 31–3–1973 को निगम-कर की शुद्ध रकम बकाया थी उनके नाम अनुबंध में दिये गये हैं ।

(घ) ये बकाया निम्नलिखित कारणों में से किसी एक अथवा संयुक्त कारणों से जमा हुए हैं :—

(i) दोहरे आयकर से राहत का फैसले होने तक रकमें अनिर्णीत हैं ।

(ii) रकमें परिसमापनाधीन कम्पनियों की ओर बकाया हैं ।

(iii) रकमें अपीलों में विवादग्रस्त हैं, हालांकि नहीं वे स्थगित की गयी हैं और न ही उनकी किश्तें बांधी गई हैं ।

(iv) परिसम्पतियों अभिग्रहीत हैं लेकिन उनके बेचने में कठिनाईयां हैं उदाहरणार्थ :

(क) अभिग्रहीत सम्पत्तियों की मिलिकयत विवादग्रस्त है, और लम्बे अर्से से मुकदमेबाजी चल रही है ।

(ख) जब अभिग्रहीत अचल सम्पत्तियों की नीलामी की गई तो कोई खरीददार ही नहीं था अथवा बोलियां बहुत कम थीं ।

(ग) प्राइवेट लि० कम्पनियों के शेयरों के बिक्री में कठिनाई है; क्योंकि शेयर मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय नहीं हैं और जब खरीदारी का अर्थ अल्प शेयर धारण होता है तो बहुत ही कम खरीददार होते हैं ।

(ङ) कम्पनियों के बारे में 1972–73 के दौरान बट्टे-खाते डाली गई बकाया मांग की कुल रकम के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्र० सं०	उन प्रथम 25 कम्पनियों के नाम जिनकी ओर 31-3-1973 की निगम–कर बकाया था	31-3-1973 को शुद्ध बकाया की रकम (लाख रु० में)
1	2	3
1.	मैसर्स रायबहादुर श्रीराम दुर्गाप्रसाद प्रा० लि०	308.70
2.	म० एलनवैरी एण्ड क० प्रा० लि०	180.39
3.	मै० इंडियन अलुमुनियम कं० लि०	114.00
4.	मै० डालमिया सीमेंट एण्ड पेपर मार्केटिंग कं० प्रा० लि०	111.94
5.	श्री चंगदेव सगर मिल्स लि०	87.49
6.	मै० बी० आर० संस लि०	86.09
7.	म० क्रीव एण्ड कं०	85.83

1942 (ai) LS—9.

1	2	3
		लाख रुपयों में
8.	मै० डालमिया सीमेंट लि०	83.48
9.	म० डालमिया जैन एयरवेज लि०	87.28
10.	मै० स्टील (1957) लि०	77.23
11.	मै० फिल्मिस्तान (प्रा०) लि०	73.44
12.	मै० डनलप रबड़ कं० लि० म (ब्रिटेन)	63.43
13.	मै० बंगाल जूट मिल्स कं० लि०	59.50
14.	मै० हैवी कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (प्रा०) लि०	53.94
15.	मै० बंगाल टेक्सटाइल एजेंसी (प्रा०) लि०	53.48
16.	दि एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०	52.45
17.	मै० शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०	49.65
18.	मै० फिल्मिस्तान डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा० लि०	49.46
19.	मै० पुरुषोत्तम ट्रेडर्स (प्रा०) लि०	40.42
20.	मै० असम बंगाल सीमेंट कं० लि०	47.68
21.	मै० ब्रह्मपुत्र टी० कं० लि०	47.52
22.	मै० गुडईयर इंडिया लि०	47.03
23.	मै० मार्टिन एण्ड हैरिस (प्रा०) लि०	46.40
24.	मै० गोलचा प्रापर्टीज प्रा० लि०	45.47
25.	मै० भारत यूनियन एजेंसीज़ (प्रा०) लि०	45.13

भारत में पर्यटक होटल स्थापित करने के सम्बन्ध में सहयोग करार

5247. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों ने पर्यटक होटल स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत में सहयोग करार कर रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे करार किये हैं और भारत में किन लोगों ने उनके साथ इस प्रकार का सहयोग किया है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सहयोग की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारतीय होटल कम्पनियों तथा विदेशी होटल श्रृखलाओं के मध्य हुए निम्नलिखित सहयोग करारों का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है :—

	भारतीय पार्टी	विदेशी पार्टी	होटल का स्थान
1	ईस्ट इण्डिया होटल्ज लिमिटेड	इन्टरकांटीनेंटल होटल कारपोरेशन, यू० एस० ए०	दिल्ली
2	इण्डियन होटल्ज कम्पनी लिमिटेड	इन्टारकांटीनेंटल होटल कारपोरेशन, यू० एस० ए०	बम्बई
3	ईस्ट इण्डिया होटल्ज लिमिटेड	शेराटन इन्टरनेशनल, यू० एस० ए०	बम्बई
4	ईस्टर्न इन्टरनेशनल होटल्ज (प्रा०) लि०	हाली डे इन्स इन्टरनेशनल, यू० एस० ए०	बम्बई
5	आड़यार गेट होटल (प्रा०) लि०	हालीडे इन्स इन्टरनेशनल, यू० एस० ए०	मद्रास
6	उत्तर प्रदेश होटल्ज एंड रेस्टोरैंट्स लि०	रामाडा इन्स इन्टरनेशनल, यू० एस० ए०	आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा
7	नार्दर्न इण्डिया होटल्ज़ लि०	हालीडे इन्स इन्टरनेशनल, यू० एस० ए०	आगरा

(ग) सुप्रतिष्ठित विदेशी होटल श्रृखलाओं के साथ सहयोग प्रबंधों से पर्याप्त पर्यटन लाभ प्राप्त होते हैं जिन में होटलों के आयोजन डिज़ाईन तैयार करने, निर्माण तथा उपस्कर लगाने में तकनीकी सहायता तथा विश्व-व्यापी प्रचार, बिक्री तथा आरक्षण (रिज़र्वेशन) सेवाएं भी सम्मिलित हैं। तथापि इन उद्यमों के प्रबंध का नियंत्रण, भारतीय पार्टी के हाथ में होता है।

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कारखानों द्वारा ऊनी कपड़े का निर्यात

5248. **श्री एम० आर० देकारिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कारखानों ने कुल कितने ऊनी कपड़े का निर्यात किया हैं ;

(ख) किन-किन देशों को निर्यात किया गया है ; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमायी गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में विभिन्न कारखानों द्वारा निर्यातित ऊनी कपड़े की कुल मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा लाख मीटर में
1970–71	12.12
1971–72	12.66
1972–73	9.055

(ख) ब्रिटेन, कनाडा, सं० रा० अमरीका, युगोस्लाविया, डेन्मार्क, स्वीडन, नार्वे, सिंगापुर, हांगकांग, हंगरी, सोवितय संघ, सूडान, चैकोस्लोवाकिया, जाम्बिया, मलावी, इथोपिया, जमैका, किंगस्टन, फिजी, यूगांडा, कीनिया, डुबाई, सोमालिया, मलयेशिया, कुवैत तथा न्यूजीलैंड।

(ग) गत तीन वर्षों में विभिन्न ऊनी कारखानों द्वारा कमायी गयी कुल विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	आंकड़े लाख रु० में
1970–71	190.91
1971–72	194.15
1972–73	158.26

उत्तर बंगाल में अपमिश्रित चाय का व्यापार होना

5249. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उत्तर बंगाल में और विशेषकर जलपाईगुड़ी में बड़े पैमाने पर हो रहे अपमिश्रित चाय के व्यापार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस व्यापार को बन्द करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग)—स्वास्थ्य अधिकारियों, चायबोर्ड तथा साथ ही पुलिस द्वारा चाय के अपमिश्रण के मामलों का पता लगाया जाता है। "खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954" तथा "चाय

वेस्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959" के उपबन्ध चाय के अपमिश्रण को रोकने के लिये पर्याप्त समझे जाते हैं ।

सूत-नियंत्रण के मामले में विद्युत्चालित करघा बुनकर संघ द्वारा ज्ञापन

5250. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको अखिल भारतीय विद्युतचालित करघा बुनकर संघ, 245, मौलाना आजाद रोड, बम्बई-3 से सूत-नियंत्रण के मामले में एक ज्ञापन मिला है ;

(ख) क्या संघ ने उपरोक्त ज्ञापन में उनका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर दिलाया है कि 355 काउन्ट तक सूत के वितरण पर नियंत्रण हटाये जाने का लाभ उठाते हुए मिश्रित (कम्पोजिट) कपड़ा मिलों ने 325 काऊन्ट के 10 पौंड (एल० बी० एस०) पर 85 रुपये मूल्य बताना आरम्भ कर दिया है जबकि मूल्य नियंत्रण के अधीन समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य केवल 65 रुपये है ;

(ग) उपरोक्त ज्ञापन में और किन बातों का उल्लेख किया गया है ; और

(घ) उस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : जी हां । अखिल भारतीय शक्ति चालित करघा बुनकर फेडरेशन ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि वितरण नियंत्रण से इतर धागे की बिक्री में टैक्सटाइल मिलों ने अधिक कीमत चार्ज की है । ज्ञापन में निम्नोक्त सुझाव भी दिए गए हैं :

(1) जब कभी मिलीजुली मिलें एक पार्टी के साथ संविदा करती हैं तब ऐसी संविदाएं वस्त्र आयुक्त के कार्यलय में पंजीकृत होनी चाहिये ताकि वे आंकड़ों में हेरफेर न कर सके ;

(2) जहां तक साइज्ड बीमों का संबंध है, मिलीजुली टैक्सटाइल मिलें आमतौर पर संविदा नहीं करती हैं । अतः यह सुझाव दिया गया है कि मिलीजुली टैक्सटाइल मिलों को निदेश दिये जाने चाहियें कि वे सोसायटियों/एसोसियेशनों के माध्यम से साइज्ड बीमों की सप्लाई करे, ऐसी अवस्था में, टैक्सटाइल मिली-जुली मिलों के लिये पैसे की मांग करना कठिन होगा ; तथा

(3) विगत में धागा व्यापारियों के साथ मिली-जुली-मिलों ने जैसी भी संविदा हो मिली-जुली मिलों को मजबूर किया जाना चाहिए कि वे भविष्य में उपभोक्ताओं अर्थात् बुनकरों को (वैफ्ट) कोनों के लिये धागे की सप्लाई उनकी सोसायटियों एसोसियेशनों के माध्यम से करें, इस प्रकार बिचौलिए समाप्त किए जा सकते हैं ।

(घ) वस्त्र आयुक्त ने ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिये और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कानून के अंतर्गत कार्यवाही करने और जहां उल्लंघन के स्पष्ट मामले सिद्ध हो जाते हैं वहां मुकदमें चलाने के लिये सभी राज्यों के उद्योग निदेशकों को लिखा है । उपरोक्त (ग) में दिये गए सुझाव नोट कर लिए गए हैं ।

परम्परागत और गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

5251. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में कितने मूल्य की गैर-परम्परागत और परम्परागत वस्तुओं का निर्यात किया गया :

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में परम्परागत और गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की दर क्या थी ; और

(ग) क्या वर्ष 1972-73 में देश के निर्यात में हुई अत्यधिक वृद्धि इस वर्ष बनी रहने की सम्भावना नहीं है क्योंकि कुछ परम्परागत वस्तुओं के बारें में कुछ कठिनाईयां हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मुख्य परम्परागत तथा गैर-परम्परागत वस्तुओं के भारत के निर्यात :

(मूल्य करोड़ रु० में)

	1971–72	अप्रैल, दिसम्बर, 1972
परम्परागत	799.42 (+6.6 प्रतिशत)	702.29 (+23.3 प्रतिशत)
गैर-परम्परागत	643.14 (+4.7 प्रतिशत)	560.87 (+16.2 प्रतिशत)
पुनर्नियातों सहित निर्यातों का कुल योग	1607.02	1394.11+

नोट :— (1) ब्रेकटो में आंकड़े तत्सबन्धी अवधि की अपेक्षा वृद्धि दर दर्शाते हैं।

(2) निर्यातों के कुल योग में परम्परागत तथा गैर-परम्परागत वस्तुओं के अलावा विविध वस्तुएं शामिल हैं जिनका मूल्य 1971-72 में 164.46 करोड़ रुपये तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1972 में 130.95 करोड़ रुपये था।

+ इसमें बंगला देश को निर्यात शामिल नहीं है, जिनका रिकार्ड चालू वर्ष के पहले महीने में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पूर्णरूप से नहीं रखा गया था ।

(ग) वर्ष 1972–73 में प्राप्त वृद्धि दर को बनाये रखने का भरसक प्रयास किया जाएगा, तथापि चालू वर्ष के दौरान निर्यातों को सूखा तथा बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे अनेक कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन तथा निर्यात अधिशेषों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अशोक होटल में इन्वेन्टरी रजिस्टर रखा जाना

5252. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल में इस्तेमाल करने के लिये खरीदी गई सभी वस्तुओं और भण्डार के लिये अशोक होटल में इन्वेंटरी रजिस्टर रखे जा रहे हैं और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। अक्तूबर, 1956 से यथोचित रजिस्टर रखे जा रहे हैं।

नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिये ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में दुकानें खोलना

5253. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिये उचित मूल्य की दुकानों को खोलने का मुख्य उद्देश्य निर्धन लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है ; और

(ख) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिये कितनी दुकानों की स्वीकृति दी गई है और क्या चालू वर्ष के दौरान वहां कुछ और दुकाने खोलने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी हां।

(ख) हमारे पास कोई जानकारी नहीं है । अन्य राज्य सरकारों की तरह ही उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य के भीतर नियंत्रित कपड़े के वितरण के ब्यौरो के बारे में कार्यवाही करती है।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देना

5254. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को आज तक किस अवधि तक का मूल्य सूचकांक प्राप्त हो चुका है और इसके आंकड़े क्या है ;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की अगली किश्त बहुत पहले से देय है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम सहायता कब दी जा रही है जिन पर सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण बहुत प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार को अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सासिक आंकड़े जून 1973 तक के प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1960-100 को आधार मानकर जन 1973 का अक 233 है। बारह महीने की औसत 214.16 है।

(ख) और (ग) : जब तक मंहगाई भत्ते के फार्मूले के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय नहीं होता, तब तक 575 रुपये तक वेतन पानेवाले कर्मचारियों को 1 मई 1973 से अन्तरिम रूप से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की मंजूरी दी गई है जो पहले मंजूर की गई अन्तरिम राहत के अतिरिक्त है । तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार मंहगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त, उपलब्ध मूल्य सूचकांक आंकड़ों के आधार पर, अभी देय नहीं बनी है ?

गुजरात में आयकर के बाकीदार

5255. **श्री अरविन्द एम० पटेल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में आय कर के कितने बाकीदार है ; और

(ख) उनके विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख): आयकर आयुक्त गुजरात I, II और III, अहमदाबाद, कार्य-क्षेत्रों में जिन निर्धारितियों की तरफ 30 जून 1973 को आयकर की 50,000 रु० से अधिक रकम शुद्ध बकाया थी, उसके बारे में अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

गुजरात राज्य से मछली का निर्यात

5256. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में गुजरात राज्य से कुल कितने मूल्य की मछलिओं का निर्यात किया गया ; और

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) गुजरात राज्य द्वारा किए गए मछली के निर्यात के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़े पूरे देश के बारे में रखे जाते हैं न कि राज्यवार ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विकास सहायता देना

5257. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री ई० वी० विखे पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृत बैंकों ने वर्ष 1973 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) योजनाधीन अब तक राज्यवार कितनी राशि वितरित की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बैंकों ने मुख्यत: कुएं खोदने पम्प सेट व ट्यूबवैल लगाने, बीज उर्वरक चारा आदि मुहैया करने जैसे कार्यों के लिए ऋण देने की दिशा में ही प्रयत्न किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसी योजनाओं में भाग लेते रहे हैं जिनमें छोटी सिचाई का वित्त-पोषण कूंओं के निर्माण के संकटकालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाएं अभावग्रस्त क्षेत्रों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए उन्हें दिए जाने वाले ऋण, बीज की खरीद के लिए राज्य विपणन संघों का वित्तपोषण, पशुओं का चारा खरीदने के लिए, दुग्ध उद्योग चलाने वाले कृषकों का वित्तपोषण आदि शामिल हैं। कठिनाई की दशा में बैंक सामान्यत: किस्तों की वापसी अदायगी का आर्यक्रम पुन: निर्धारित करते हैं ताकि सूखा पीडित क्षेत्रों में ऋण-कर्त्ताओं को राहत दी जा सके:

(ख) केवल सूखा-पीडित क्षेत्रों के आकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

छोटे नोट जारी न करने के परिणामस्वरूप बचत खातों वाले लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

5258. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में बचत खातों वाले लोगों को छोटे नोट प्राप्त करने में बहुत कठिनाई अनुभव करनी पड़ रही है, क्योकि बैंक अधिकारी केवल 100 रूपये वाले करेंसी नोट ही देते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 100 रुपये वाले नोट खुले बाजार में अधिक प्रीमियम पर बदले जा रहे है ; और

(ग) क्या बैंक अधिकारियों को विशेषरूप में सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को कड़ी हिदायतें दी गई है कि बैंक में खाते वालों को वही करेंसी नोट दिये जाएं जिनकी वे मांग करें न कि केवल 100 रुपये वाले करेंसी नोट ही दिये जाए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, नहीं। जुलाई 1973 के अन्त तक 100 रूपये के मूल्य के नोटों की बहुत अधिक मांग थी परन्तु अगस्त 1973 के शुरू में उस समय स्थिति बदल गई जब सौ रुपये के मूल्य के नोट विमुद्रीकरण की अफवाहों के कारण भारी संख्या में चलन से वापस आ गए। बैंक, इन नोटों को छोंटे मूल्य के नोटो के बदलने के लिए खुले आम ले रहे हैं। इसलिए, बैंकों द्वारा केवल 100 रूपये के मूल्य के नोट जारी करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ख) सरकार ने 100 रुपये के मूल्य के नोटों को बट्टे पर बदले जाने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार देखें हैं। यह इस अफवाह के कारण हुआ कि सौ रूपये के मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण किया जा रहा है। अब इन अफवाहों का निवारण कर दिया गया है।

(ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों को दिये गये अल्पावधि ऋणों को मध्यम-अवधि के ऋणों में बदलने की भारतीय रिजर्व बैंक की योजना

5259. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को दिये गए अल्पावधि ऋणों को मध्यम अवधि ऋणों में बदलने की कोई योजना मंजूर की है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ होगा।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) किसानों को कृषि सम्बन्धी मौसमी काम के लिए किए गए अल्पावधिक ऋणों को बाढ़ सूखा, आदि जैसी दैवी विपत्ति आ जाने पर मध्यावधिक ऋणों में बदल दिए जाने की योजना 1955-56 से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के स्तर पर कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि स्थापित की गयी है और भारतीय रिर्जव बैंक भी राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि का अनुरक्षण करता है। इन निधियों का इस्तेमाल अकाल या दैवी विपत्ति से हानी उठाने वाले किसानों को सामान्यता तीन वर्ष की अवधि के लिए सहकारी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से मध्यावधिक ऋण देने के लिए किया जाता है ताकि वे वर्ष के दौरान लौटाये जाने वाले अल्पावधिक ऋणों की वापसी अदायगी कर सकें। लगातार सूखा आदि के मामले में परिवर्तित ऋण की किस्तों को फिर से निर्धारित करने की सुविधा भी दी जाती है वशर्ते कि मूल परिवर्तित ऋण की अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो।

(ख) अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तित करने की योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई सूचना इक्ट्ठी नहीं की है और ना ही प्रकाशित की है और इसलिए यह सूचना तत्काल उपलब्ध भी नहीं है। फिर भी 27 जुलाई, 1973 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिर्जव बैंक ने इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों को अपने स्थिरीकरण निधि में से 61.8 करोड़ रुपये का अग्रम दिया था।

भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं के नाम तथा स्थान

5260. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1973 को भारत में विदेशी बैंकों की कौन कौन सी शाखाएं किस-किस स्थान पर चल रही थी ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक में विदेशी राष्ट्रीयता के कितने कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 30 जून, 1973 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण अनुबन्ध 'क' में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—5592/73]**।

(ख) 29 जून, 1973 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण अनुबन्ध 'ख' में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० —5592/73]

बैंक कर्मचारियों के यूनियनों और एसोसिएशनों को मान्यता देना

5261. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक कर्मचारियों की यूनियनों और एसोसियेशनों को मान्यता देने में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड रखा जाता है।

(ख) (i) स्टेट बैंक आफ इण्डिया, (ii) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, (iii) राष्ट्रीयकृत बकों में अखिल भारतीय स्तर पर कौन कौन से एसोसियेशन/यूनियन पंजीकृत हैं ; और

(ग) 30 जून, 1973 को इन एसोशियेशनों/यूनियनों के अध्यक्षों और महासचिवों के नाम क्या क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 1953 के शास्त्री एवार्ड ने बैंकिंग उद्योग में संघों (यूनियनों) को मान्यता प्रदान करने के लिए बहुत से निर्देश दिए थे। 1958 में बनाई गयी अनुशासन संहिता में सभी उद्योगों में संघों की मान्यता देने के लिए मान्यदण्ड निर्धारित किए गए है परन्तु बैंकिंग उद्योग ने अनुसाशन संहिता को औपचारिक रूप स्वीकार नहीं किया है। बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों के संघों को मान्यता देना अलग अलग प्रबन्धों का काम है, सरकार का नहीं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किराया-खरीद ऋण व्यवस्था

5262. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन वाणिज्यिक बैंकों, जिन्होंने किराया-खरीद ऋण व्यवस्था आरम्भ किया है, में इस प्रयोजन हेतु विशेष विभाग हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवसाय कौन कौन से वाणिज्यिक बैंकों ने आरम्भ किया है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए किन किन बैंकों ने विशेष विभाग स्थापित किए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जापान की ओर से गैर-सरकारी पूंजी निवेश

5263. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1973 को भारत में जापान के गैर-सरकारी व्यवसाय का कुल कितना पूंजी-निवेश था ;

(ख) किन-किन उद्योगों में यह निवेश किया गया है ;

(ग) क्या और अधिक निवेश के लिये कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत में गैर-सरकारी जापानी निवेश के सबसे हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे 31 मार्च, 1969 तक के हैं। 31 मार्च, 1969

के अन्त तक ग़ैर-सरकारी जापानी निवेश की कुल रकम 75.8 करोड़ रुपये थी । उक्त निवे का उद्योगवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

उद्योग समूह		रकम (करोड़ रुपयों में)
पट्रोलियिम		1.5
निर्माण		47.6
सेवायें		26.7
	जोड़	75.8

निवेश का मुख्य भाग पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिये संभरक ऋणों का द्योतक है ।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है जिसमें पहली जनवरी, 1973 तक विचाराधीन जापनी निवेशों से सम्बन्धित सहयोग के प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	विदेशी सहयोग	निर्माण की जाने वाली वस्तुयें
1.	श्री ए० सी० गुलाटी	मैसर्स असाही ग्लास कम्पनी लि०, जापान	सोडा राख/ऐमोनियम क्लोराइड
2.	केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० त्रिवेन्द्रम	मैसर्स टोरे इण्डस्ट्रीज इन्कारपोरेटिड जापान आदि	नायलन 6 फिलामेंट यार्न
3.	मैसर्स इंडो निपन फूडस प्रा० लि० नई दिल्ली	मैसर्स जापान केसिंग डेवलपमेंट कम्पनी लि० जापान	शीप केसिंग अथवा सासेज केसिंग
4.	श्री किश्तो कुमार साहा, कलकत्ता	मैसर्स सोशियन इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० जापान	माइको केपैसीटर
5.	श्री पी० ओबल रेड्डी, मद्रास	मतसुशिता इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रियल कम्पनी जापान	मिडगेट इलेक्ट्रोड
6.	श्री एम० के० रघबीर सिंह सरोही (राजस्थान)	मैसर्स मितसुशिता इलेक्ट्रिक वर्क्स लि० जापान	कवर और रिंग सहित स्पिनिंग पाट

अशोका ोटल में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को नियमित करना

5264. **श्री हेमेन्द्र सिंह:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोका होटल में पिछले दो से लेकर छः वर्षों तक काम कर रहे लगभग 150 श्रमिक अभी भी दैनिक मजूरी पर काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अशोक होटल में दैनिक-वेतन के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या भिन्न-भिन्न रही है जोकि 1968 में 41 से लेकर 1973 में 190 तक रही है । इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है । होटल के कर्मचारियों की संख्या का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है तथा दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को यथा सम्भव नियमित रिक्तियों में खपा लिया जाता है ।

अशोका होटल कर्मचारी संघ और अशोका होटल इम्प्लाईज यूनियन, जिनके विरुद्ध श्रमिकों ने अविश्वास प्रगट किया, के साथ प्रबन्धकों की बातचीत

5265. **श्री हेमेन्द्र सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोका होटल के लगभग 800 वर्कमनों ने अशोका होटल कर्मचारी संघ और अशोका होटल इम्प्लाईज यूनियन के विरुद्ध लिखित रूप से अविश्वास प्रकट किया और उन्होंने प्रबन्धकवर्ग को सूचना दी कि वे उनकी मांगों के सम्बन्ध में उक्त यूनियनों के नेताओं के साथ बातचीत न करें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकवर्ग अभी भी उक्त यूनियनों के साथ बातचीत कर रहे हैं ; और यदि हां, तो क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अशोक होटल वर्कर्ज एसोसिएशन के माध्यम से अशोक होटल के लगभग 600 कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र होटल के प्रबन्धक-वर्ग को प्राप्त हुआ था इसमें अशोक होटल एम्प्लाईज यूनियन और अशोक होटल कर्मचारी संघ के प्रति जिनके साथ उनके द्वारा दिये गये मांग-पत्र पर प्रबन्धक-वर्ग द्वारा विचार-वार्ता की जा रही है, अविश्वास प्रकट किया है । किन्तु मालूम हुआ कि कुछ कर्मचारियों ने पत्र में लिखी बातों को बिना जाने ही उस पर हस्ताक्षर किये थे । सितम्बर, 1972 में इन दो यूनियनों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसका कर्मचारियों द्वारा पालन किया जा रहा है । अधिकांश कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अब भी उपरोक्त दो यूनियनों द्वारा किया जा रहा है और प्रबन्धक-वर्ग की समझौता-वार्ता उनके साथ जारी है ।

दिल्ली में आय कर की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों पर बिलम्ब से कार्यवाही

5266. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री दिल्ली में आय कर अधिकारियों द्वारा प्राप्त करों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों से सम्बन्धित 17 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोषी व्यक्तियों के साथ कथित सांठ-गांठ से, आय कर अधिकारी जान-बूझकर विलम्ब से कार्यवाही करते हैं ताकि दोषी व्यक्तियों को ऐसे प्रमाणों को नष्ट करने अथवा ऐसे रिकार्डों, दस्तावेजों, बैंक खातों में जमा राशि में हेर फेर करने के लिये पर्याप्त समय मिल सके जिनके आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है ; और

(ख) क्या ऐसी सभी फर्मों, जिनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है अथवा जिनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ताकि कर अपवंचक अपने विरुद्ध की गई शिकायतों में बताये गये प्रमाणों को नष्ट कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

वर्ष 1973 में अनुकूल व्यापार सन्तुलन की प्राप्ति

5267. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष जून, 1973 तक अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त नहीं किया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पहले हुये घाटे को पूरा करने हेतु चालू वर्ष के आगामी कुछ महीनों में व्यापार सन्तुलन में सुधार सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जनवरी-मई, 1973 के दौरान भारत का अनुकूल व्यापार असन्तुलन अन्तिम रूप से 49.06 करोड़ रुपये आंका जाता है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

ए० बी० एस० रेजिन / ए० बी० एस० मोल्डिंग पाउडर के सीधे आयात के लिये कम्पनियों को दिये गये आयात लाइसेंस

5268. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० बी० एस० रेजिन / ए० बी० एस० मोल्डिंग पाउडर राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया जाता है ;

(ख) क्या देश की कुछ कम्पनियों को इन पाउडरों का सीधा आयात न कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से, करने के लिये आयात लाइसेंस दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा किन कारणों से ऐसा किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). यह जानकारी मिली है कि मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक लि० को ए० बी० एस० रेजिन हेतु आयात लाइसेंस असावधानी से जारी किये गये हैं । इन लाइसेंसों को और साथ ही किन्हीं अन्य लाइसेंसों को भी, जो कि इस मद के आयात के लिये किसी अन्य पार्टी को जारी किये गये हों, रद्द करने के लिये कार्यवाही की गई है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि ए० बी० एस० रेजिन और ए० बी० एस० मोल्डिंग पाउडर एक ही मद है यद्यपि मार्गीकृत मदों की सूची में बाद वाला नाम उल्लिखित है ।

ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश के प्रभावों सम्बन्धी लन्दन के ओवरसीज डिवलपमेंट इन्स्टीट्यूट द्वारा किया गया अध्ययन

5269. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में ओवरसीज डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट में ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के एशियाई राष्ट्रमंडल देशों के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों सम्बन्धी किये गये अध्ययन को सरकार के ध्यान में लाया गया है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप भारत को होने वाली हानियों का भी उसमें उल्लेख किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) ओवरसीज डिवलपमेंट इन्स्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार भारत से 10 करोड़ डालर मूल्य के आयातों के सम्बन्ध में राष्ट्र मण्डलीय अधिमान समाप्त हो जाये ;

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश के सन्दर्भ में भारत के निर्यातों के लिये सुरक्षात्मक उपायों के प्रश्न पर ब्रिटेन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्राधिकारियों दोनों के साथ पहले ही बातचीत की जा रही है ।

अगरतला से बरास्ता केलाशहर सिलचर तक के लिये यात्री विमान सेवा चलाने का प्रस्ताव

5270. **श्री दशरथ देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-अगरतल्ला-केलाशहर विमान सेवा को सिलचर तक बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार को वर्तमान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अगरतला से बरास्ता केलाशहर सिलचर तक यात्री विमान सेवा चलाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय आधार पर चाय पर लगाये जाने वाले सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना

5271. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने क्षेत्रीय आधार पर चाय पर लगाये जाने वाले सीमा-शुल्क को युक्ति-संगत बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है, जैसा कि उन्होंने अपने बजट उत्तर में आश्वासन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो नई दर का ढांचा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). चाय क्षेत्रों के विभिन्न एक्साइज जोनों में वर्गीकृत और समूहीकृत किये जाने के खिलाफ चाय बागानों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनेक रिट याचिकायें दाखिल की गई हैं और मामला न्यायाधीन है । ऐसा सुव्यवस्थीकरण हेतु आवश्यक उपायों पर यदि कोई आवश्यक हुए तो न्यायालयों के फैसले की ोषणा हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।

वर्ष 1972–73 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

5272. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों को समयोपरि कार्य करने की तथा समयोपरि भत्ता प्राप्त करने की अनुमति है ;

(ख) वर्ष 1972–73 (अप्रैल–मार्च) के दौरान ऐसे कर्मचारियों को कुल कितना समयोपरि भत्ता दिया गया और वह उनके मूल वेतन की तुलना में कितना है ;

(ग) क्या कुछ ट्रैफिक असिस्टेंट 15 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं जब कि उनकी सामान्य ड्यूटी सात घंटे की होती है ; और

(घ) इन्हें दिये जाने वाले समयोपरि भत्ते की दर प्रतिघंटा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) श्रमिक श्रेणी के कर्मचारी, जिन में ये सम्मिलित हैं :

(i) विमान संधारण इंजीनियर; (ii) विमान रेडियो संधारण इंजीनियर ; तकनीकी अधिकारी इत्यादि जिनका वेतनमान 640–1170, 870–1380 तथा 1270–1700 रुपये है ।

(ii) विमान चालक, उड़ान इंजीनियर, रेडियो आफिसर तथा केबिन कर्मचारी जिनके समयोपरि भत्ते को अतिरिक्त उड़ान वेतन कहा जाता है ।

(iii) 640–1170 रुपये के वेतनमान में सामान्य संवर्ग के अधिकारी जिन्हें समयोपरि भत्ता केवल राजपत्रित छुट्टियों में कार्य करने के लिये दिया जाता है ।

(ख) वर्ष 1972–73 के दौरान समयोपरि भत्ते तथा अतिरिक्त उड़ान वेतन, जिसमें अवकाशवेतन भी सम्मिलित है, के रूप में कुल 362.46 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था ।

1972–73 के दौरान वेतन तथा भत्ते 1505.19 लाख रुपये थे । इस धनराशि में ऐसी कई श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन भी सम्मिलित है जो समयोपरि भत्ता पाने के अधिकारी नहीं हैं, जैसे, ग्रेड 15 तथा उससे ऊपर के अधिकारी तथा इंजीनियर ।

(ग) कई बार कार्य की अत्यावश्यकता के अनुसार, यातायात सहायकों को 15 या उससे भी अधिक घंटों के लिए काम करना पड़ता है जब कि उनकी नियमित ड्यूटी 7 घंटे 20 मिनट की है ।

(घ) प्रति घंटे की दर मिल रहे वेतन के अनुसार भिन्न भिन्न है ।

Increase/decrease in the export of Mica since its take over by M.M.T.C.

5273. SHRI SUDHAKAR PANDEY:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the export of mica has increased or decreased since it was taken over by the Minerals and Metals Trading Corporation of India; and

(b) the extent of increase or decrease?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b). According to the provisional figures of export available, 20,259 tonnes of processed mica valued at Rs. 1604.23 lakhs were exported in 1972-73 as against exports of 19,635 tonnes valued at Rs. 1523.37 lakhs in 1971-72.

पटसन वसूली के लिये एक समिति की स्थापना

5274. **श्री श्रीकृष्ण मोदी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन वसूली के लिए कोई समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति का क्षेत्र तथा कृत्य क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1942 (Ai) L.S.—10.

25 जुलाई, 1973 को हैदराबाद और बम्बई के बीच उड़ान संख्या आई०सी०-120 के यात्रियों के प्रति बेगमपेट हवाई अड्डे पर अधिकारियों का कथित कठोर व्यवहार

5275. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अगस्त, 1973 के 'करेंट' (बम्बई साप्ताहिक) में 'एन अदर आई० ए० स्कैंडल' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें 25 जुलाई, 1973 को हैदराबाद और बम्बई के बीच चलने वाली उड़ान संख्या आई० सी०-120 को रद्द करने और बेगमपेट हवाई अड्डे पर इस सेवा के यात्रियों के प्रति सम्बन्धित अधिकारियों के कथित कठोर व्यवहार का उल्लेख है ;

(ख) इस मामले में निगम ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या फालतू पुर्जे और पेचकस आदि बेगमपेट हवाई अड्डे पर तैयार रखने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी हां 25-7-73 को हैदराबाद से बम्बई की उड़ान आई० सी०-120 में हुई देरी तथा बाद में उसके स्थगित कर दिये जाने के कारण एक गम्भीर इंजीनियरी खराबी थी जिसके लिए बम्बई से, जो कि कारवेल किस्म के विमानों के रख-रखाव का एक बड़ा अड्डा है, एक पूरी ब्रेक-असेम्बली का विमान द्वारा लाया जाना आवश्यक हो गया था । हैदराबाद एयर-पोर्ट में कारवेल विमानों के वहां से होकर किये जाने वाले परिचालनों की देखभाल के लिये आवश्यक औजारों की पर्याप्त व्यवस्था है । कारवेल विमानों के लिए प्रयोग किये जाने वाले अतिरिक्त पुर्जों के पूर्ण सेटों को प्रत्येक एयर-पोर्ट पर रखना संभव नहीं है ।

सूत के वितरण के लिये एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना

5276. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बुनकरों को सूत के वितरण के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : जी नहीं । इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मंत्रालयों में जीवन बीमा निगम की "टर्म बीमा" योजना का कार्यकरण

5277. **श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की 'टर्म बीमा' योजना का कार्य कुछ मंत्रालयों में समुचित रूप से नहीं चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी):(क) भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग में जीवन बीमा निगम की 'सावधिक बीमा' योजना चालू नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों का समयोपरि भत्ता बन्द करना

5278. **श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कुछ वर्गों को समयोपरि भत्ता देना बन्द करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करने वाले उन्हीं वर्गों के कर्मचारियों पर भी इस बात को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) तृतीय वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की है कि उन वर्गों और संस्थापनों के सम्बन्ध में समयोपरि भत्ते की व्यवस्था वापस ले ली जाय जहां यह व्यवस्था दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लागू की गयी थी । जो वर्ग समयोपरि भत्ता पाने योग्य नहीं रह जायेंगे उन्हें, कुछ प्रतिबन्धों के अधीन, प्रतिपूरक छुट्टी तथा मानदेय देने की सिफारिश की गयी है ।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत के जीवन बीमा निगम के कर्मचारी अपने-अपने संगठनों के नियमों और विनियमों से शासित होते हैं, इसलिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें उनको लागू नहीं होतीं ।

जनता के पास मुद्रा की राशि

5279. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जनता के पास मुद्रा की कुल कितनी राशि है ; और

(ख) 1971-72 और 1972-73 के वर्षों में कुल कितनी राशि के नोट छापे गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश):(क) 10 अगस्त, 1973 की स्थिति के अनुसार, जनता के पास 5729 करोड़ रुपये की मुद्रा थी ।

(ख) 1971-72 और 1972-73 के दौरान जनता के पास मुद्रा में क्रमशः 439 करोड़ रुपये और 604 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

मूल्यों को स्थिर करने का प्रस्ताव

5280. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य वृद्धि रोकने के विचार से सरकार को मूल्यों को स्थिर करने का कोई सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) मूल्यों को स्थिर रखना सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य है तथा इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्व, मुद्रा तथा प्रशासन सम्बन्धी कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को, समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सुझाव भी प्राप्त होते रहते हैं तथा इनकी विधिवत जांच की जाती है। परन्तु, इस समय मूल्यों को एक स्तर पर स्थिर करने के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में लघु उद्योगपतियों के लिये आयात सुविधायें

5281. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में लघु उद्योगपतियों को राज्य व्यापार निगम को आवेदन पत्र दिये बिना ही सीधे कच्चा माल आयात करने की अनुमति दी जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : इलैक्ट्रानिक्स उद्योग में लगे लघु औद्योगिक एककों को ऐसे कच्चे माल के सीधे आयातहेतु वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस दिये जाते हैं जो सरकारी क्षत्र के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत नहीं हैं। मार्गीकृत मदों के लिए, लाइसेंस प्राधिकारी एक रिलीज आदेश जारी करता है जिसके आधार पर एकक को रिलीज आदेश के साथ राज्य व्यापार निगम अथवा अन्य मार्गीकरण अभिकरण से सम्पर्क करना होता है।

इण्डियन एयर लाइन्स में रद्द करवाई गई टिकटों के किराये की वापसी सम्बन्धी नियम

5282. **श्री हाजी लुतफल हक :**
श्री माधुर्य हालदर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इंडियन एयरलाइन्स के किन नियमों के अन्तर्गत साधारण यात्रियों अथवा सरकारी संगठनों को उन टिकटों के लिए किराया वापस किया जाता है जो विमान सेवा का उपयोग न किए जाने के दिन अथवा विमान सेवा मिस हो जाने पर रद्द हो जाते हैं ;

(ख) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली, से 1973 की पहली तिमाही में रद्द की गई ऐसी 72 टिकटों पर चार रुपए प्रति टिकट लिया गया है ; और

(ग) सरकारी उपक्रम को हुई इस भारी हानि के लिऐ कौन अधिकारी उत्तरदायी है और प्रेस सूचना ब्यूरो से देय राशि वसूल करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) रद्द करने तथा धन वापसी संबंधी विनियम गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों संगठनों के लिए एक समान है।

रद्द करने (कैंसलेशन) के प्रभार निम्न प्रकार हैं :—

(i) यदि उड़ान के रवाना होने से 48 घंटे से अधिक पहले कैंसलेशन कराया गया हो . . .	4 रुपये का सेवा प्रभार
(ii) उड़ान के प्रस्थान से 24 घंटे से अधिक किन्तु 48 घंटे से कम समय के अंदर . . .	10%
(iii) उड़ान के प्रस्थान से 12 घंटे से अधिक किन्तु 24 घंटे से कम समय के अंदर . . .	25%
(iv) उड़ान के प्रस्थान से 30 मिनट से अधिक किन्तु 12 घंटे से कम समय के अंदर . .	50%
(v) उड़ान के प्रस्थान के 30 मिनट के समय के अन्दर	100%

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो के मुख्य सूचना अधिकारी से प्रार्थना प्राप्त होने पर वाणिज्यिक निदेशक, मुख्यालय, ने "कैंसलेशन एण्ड रिफंड रेगुलेशन्स" के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत रद्द करने संबंधी प्रभारों को सेवा प्रभारों में बदल दिया था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भर्ती किये गये कर्मचारियों की संख्या

5283. **श्री पी० आर० शिनाय** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कितने कर्मचारी भर्ती किए गए और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों के हैं ; और

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी में भर्ती रोजगार दफ्तरों के माध्यम से की जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में 30-6-69 और 31-12-72 को कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों से संबंध रखने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :

बैंक का नाम	30-6-69 को कर्मचारियों की कुल संख्या	19-7-69 को अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या	31-12-72 को कर्मचारियों की कुल संख्या	31-12-72 को अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	17495	186	27375	616
बैंक आफ इंडिया . .	10477	293	14770	540

1	2	3	4	5
पंजाब नेशनल बैंक	12549	378	15595	528
बैंक ग्राफ बड़ौदा	10264	145	15518	435
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	8382	57	10623	244
कनारा बैंक . .	6638	31	11668	114
यूनाइटेड बैंक ग्राफ इंडिया .	5909	98	9476	202
देना बैंक	4991	29	8962	336
सिण्डीकेट बैंक . .	4753	11	9666	52
यूनियन बैंक ग्राफ इंडिया	6298	121	9989	291
इलाहाबाद बैंक	4117	57	5452	162
इण्डियन बैंक .	3649	29	4797	146
बैंक ग्राफ महाराष्ट्र . .	2697	8	5440	125
इंडियन ग्रोवरसीज बैंक . .	3655	46	5161	161

(ख) बैंकों ने सूचना दी है कि भर्ती समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से की जाती है ग्रौर खाली पद ग्रामतौर से रोजगार कार्यालयों को भी ग्रधिसूचित किए जाते हैं रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों पर भर्ती के लिए उन उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाता है जो विज्ञापन के उत्तर में सीधे ग्रावेदन पत्र भेजते हैं।

बैंकों में जमा धनराशि

5284. **श्री पी० ग्रार० शिनाय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1972 को ग्रन्त : बैंक खातों को छोड़कर (क) स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया, (ख) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रौर (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न ग्रन्य बैंकों में कुल जमा धनराशि क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : वांछित सूचना इस प्रकार हैं:-

कुल जमा धन राशि (ग्रन्तर बैंक लेन देनों को छोड़कर)

(रकम करोड़ रुपयों में ग्रनन्तिम)

	दिसम्बर, 1972 के ग्रन्त में
1. भारतीय स्टेट बैंक ग्रौर उसके सहायक बैंक	2534
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	4706
3. ग्रन्य ग्रनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1323
4. सभी ग्रनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	8363

भारतीय पर्यटन विकास निगम की मासिक पत्रिका 'यात्री' की लागत

5285. **श्री माधुर्य हालदर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम को 8 पृष्ठ की मासिक पत्रिका 'यात्री' के सम्पादन और प्रकाशन की मासिक लागत क्या है और इसमें सम्पादक, अन्य सम्पादकीय कर्मचारियों, मुद्रण और ऊपरी कार्यालय खर्चों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रारम्भ से इस पत्रिका के अब तक कितने अंक प्रकाशित हुए हैं; उनके पृष्ठों की संख्या क्या थी और इस पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रसार निदेशालय अथवा प्रकाशन विभाग जैसी सरकारी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) आठ पृष्ठीय बुलेटिन 'यात्री' के सम्पादन तथा उत्पादन की कुल मासिक लागत 13,571.00 रुपये है। सम्पादक तथा अन्य सम्पादकीय अमले के वेतन का ब्यौरा संलग्न है।

(ख) मई, 1969 से, जबकी यह मासिक बुलेटिन प्रारम्भ किया गया था, जून, 1973 तक 436 पृष्ठों के 50 अंक निकल चुके हैं। 'यात्री' के उत्पादन पर जून' 1973 तक 4.44 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) पर्यटन विभाग ने पर्यटन साहित्य सम्बन्धी समस्त प्रकार के उत्पादन कार्य को भारत पर्यटन विकास निगम को जोकि एक सरकारी एजेन्सी है, सौंप दिया है। 'यात्री' पर्यटन विषयक एक सूचनापत्र है। इसीलिये इस के उत्पादन का कार्य भारत पर्यटन विकास निगम को सौंपा गया है।

विवरण

1	आठ-पृष्ठीय "यात्री" के एक अंक की 9000 प्रतियां के लिए कागज, छपाई, पैकिंग व प्रेषण की लागत और भाड़ा प्रभार आदि। . . .	10,600.00 रुपये
2	"यात्री" के प्रत्येक अंक पर बंधा खर्च (ओवरहैड एक्सपेंसेज) जिस की गणना उत्पादन तथा प्रचार प्रभाग के बंधे खर्च के एक आपेक्षिक अनुपात के रूप में की गई है और जो पर्यटन विभाग से वसूल किया जाता है।	2,971.00 रुपये
		13,571.00 रुपये

भारत पर्यटन विकास निगम में सम्पादकीय अमला निम्न प्रकार है :

	वेतन-मान
	रुपये
सम्पादक	1300-1600
सहायक सम्पादक	700-1250

संवाददाता/उप-सम्पादक	325-575
प्रूफ रीडर	210-530
सम्पादकीय सहायक	210-530
सम्पादक का निजी सचिव	210-530

सम्पादकीय अनुभाग समस्त प्रकार के प्रचार साहित्य को सभालता है जिस में "यात्री" के साथ-साथ फोल्डर्स, टूरिस्ट, ब्राशर्स व गाइड पुस्तकें भी सम्मिलित हैं। अतः "यात्री" के लिए सम्पादकीय सेवाओं पर खर्च किये गये सही-सही धन का निर्धारण कर सकना संभव है। इसलिए उपरोक्त सम्पादकीय खर्च की गणना समस्त प्रकार के कार्य तथा "यात्री" के लिए किये गये कार्य के आपेक्षिक अनुपात में की गयी है।

नायलोन धागे के मूल्य को बजट-पूर्व स्तर तक कम करने के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये निदेश

5286. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नायलोन धागे के मूल्य को बजट-पूर्व स्तर तक कम करने के लिये आदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) नायलोन धागे की कीमते कतिनों तथा बुनकरों के बीच हुए एक स्वैच्छिक करार के अन्तर्गत निर्धारित की जाती हैं। नायलोन कतिनों तथा बुनकरों से कहा गया है कि बाजार कीमत में हाल में देखी गई वृद्धियों तथा वास्तविक प्रयोगताओं की स्वीकृत कीमतों पर सप्लाई प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए नायलोन धागे के विभिन्न डैनियरों की कीमतों के बारे में वे अपने पारस्परिक करार का पुनर्विलोकन करें।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मेवों का आयात

5287. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेवों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने संबंधी अपने पहले निर्णय को बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परिवर्तन के क्या कारण हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ तथा सूखा से प्रभावित होने वाले लोगों को राहत देने के लिये त्रिपुरा को वित्तीय सहायता

5288. **श्री दशरथ देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आपातकालीन मांग की पूर्ति के लिए त्रिपुरा सरकार को कुल कितनी सहायता दी गयी है; और

(ख) इस वर्ष बाढ़ और सूखा प्रभावित हुए लोगों को राहत देने के लिये त्रिपुरा सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) बाढ़ और सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों पर खर्च करने के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा जो अनुरोध केन्द्रीय सहायता के लिए किया गया है शायद यह उल्लख उस सम्बन्ध में है। राज्य सरकार ने इन प्रयोजनों के लिए 9.08 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। भारत सरकार ने केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर 1.06 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा मान ली है। इसमें से 1 करोड़ रुपये की रकम पहले ही राज्य सरकार को दे दी गयी है। अधिकतम सीमा के अन्तर्गत जो और रकम दी जानी है वह वास्तविक खर्च की प्रगति को देख कर ही दी जायगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या 853, दिनांक 27-7-73 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Correcting Statement to U.S.Q. No. 853 dated 27-7-73

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : 27 जुलाई, 1973 को लिखित प्रश्न संख्या 853 के भाग (ग) के उत्तर के अंग्रेजी संस्करण में कहा गया था कि :

"(c) Vital installations at the four international airports *viz.* operational areas, runways, taxi-tracks, aprons, hangars, re-fuelling installations, Instrument Landing Systems, etc. have already been declared "protected places" under the Official Secrets Act, 1923. The Industrial Security Force is being inducted into the four airports."

खेद है कि उपरोक्त उत्तर में टाइपिंग की गलती के कारण "prohibited" शब्द के स्थान पर भूलवश 'protected' शब्द टाइप हो गया।

आवश्यक संशोधन के बाद (अंग्रेजी में) यह उत्तर इस प्रकार पढ़ा जायेगा :–

"(c) Vital installations at the four international airports *viz.* operational areas, runways, taxi-tracks, aprons, hangers, re-fuelling installations, Instrument Landing Systems, etc. have already been declared "prohibited places" under the Official Secrets Act, 1923. The Industrial Security Force is being inducted into the four airports."

बिलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

STATEMENT GIVING REASON FOR DELAY

डा० सरोजिनी महिषी : मुझे खेद है कि उपर्युक्त उत्तर में संशोधन करने के प्रयोजन से प्रस्तुत विवरण की निर्धारित अवधि के भीतर लोक सभा पटल पर रखने में अनजाने ही देर हो गई। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जायेगी कि ऐसी त्रुटि दुबारा न हो।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रख जाने वाले पत्र।

श्री समर गुह (कंटाई) : विदेश मंत्री ने वचन दिया था कि वह आपको पाठ प्रस्तुत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आपको पाठ प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो आपकी प्रतिक्रिया उस पर क्या है?

अध्यक्ष महोदय : अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): Mr. Speaker ...... (*Interruptions*).

Mr. Speaker: There is no motion on Calling Attention today. We have to discuss 'Approach' to Fifth Five Year Plan.

Shri Madhu Limaye (Banka): All the trains of Southern and Central Railways have come to halt. The Railway Minister should be asked to make a statement (*Interruptions*).

Shri Jagannathrao Joshi (Shajanpur): All the trains in Mysore and Andhra Pradesh have come to halt. The foodgrains, fertilizers, diesel and petrol etc. are not reaching there (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Last year a question was raised under Rule 377 by Shri Banerjee but the hon'ble Members are now demanding it as a right. I shall not permit it. In so far as the Railway strike is concerned, I shall ask the Railway Minister.

The hon'ble Members should stick to the decision taken in the meeting of Business Advisory Committee and the House.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन का प्रवेश और भारत का व्यापार नामक दस्तावेज

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चटोपाध्याय): मैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन का प्रवेश और भारत का व्यापार नामक दस्तावेज (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० 5570/73]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1973 का प्रतिवेदन, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (आठवां संशोधन) नियम 1973, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन सूचनाएं और उत्तर को शुद्ध करने वाले विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के वर्ष 1973 के प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग-1 प्रस्तावना की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5571/73]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 846 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5572/73]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 394 (ड) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुई थी और व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5573/73]।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 847 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 848 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 850 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 851 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 852 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5574/73]।

(5) विदेशी तकनीशियनों की आय कर की अदायगी से छूट देने के बारे में श्री एम० एस० पुरती के अतारांकित प्रश्न संख्या 1792 के 2 मार्च, 1973 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और (2) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में दो विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5575/73]।

टैक्सटाइल समिति के वर्ष 1971–72 के लेखे और टैक्सटाइल मशीनरी (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1973

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत टैक्सटाइल समिति के वर्ष 1971–72 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5576/73]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत टैक्सटाइल मशीनरी (उत्पादन तथा वितरण) नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1978 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1184 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5577/73]।

उड़ीसा मोटर गाड़ी (यात्रियों का कराधान) अधिनियम, 1969 तथा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अधीन अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 3 मार्च, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उड़ीसा मोटर गाड़ी (यात्रियों का कराधान) अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उड़ीसा अधिसूचना सां० नि० आ० संख्या 695/73 की एक प्रति जो उड़ीसा राजपत्र दिनांक 2 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उड़ीसा मोटर गाड़ी (यात्रियों का कराधान) नियम, 1969 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5578/73]।

(2) (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश मोटर गाड़ी नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये हैं :—

(एक) जी० ओ० एम० संख्या 547 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० ओ० एम० संख्या 548 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जी० ओ० एम० संख्या 599 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जी० ओ० एम० संख्या 649 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) जी० ओ० एम० संख्या 650 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) जी० ओ० एम० संख्या 651 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) जी० ओ० एम० संख्या 687 जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5579/73]।

लुबरीजोल इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उप धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) लुबरीजोल इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1971–72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुबरीजोल इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5580/73]।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

(कार्यवाही का सारांश)

श्री जी० जी० स्वैल : (स्वायत्त जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 28वीं से 31वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

सचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973 सभा पटल पर रखता हूं।

भोपाल और इन्दौर में खाद्यान्न सम्बन्धी दंगों के बारे में वक्तव्य

Statement Re: food riots in Bhopal and Indore

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं श्री एफ० ए० अहमद की ओर से . . . . . .

Shri Jagannathrao Joshi: On a point of order, Sir. We should be allowed to ask questions on the statement to be given by the hon'ble Minister. I have visited these places and found that the Police have commutted atrocities on the people.

Mr. Speaker: It was decided in the Business Advisory Committee that nothing will be discussed except Five Year Plan. In view of this the statement of the Minister should suffice.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): The police have beaten the students of twelve and fifteen years of age mercilessly. You may kindly allow this discussion.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): As they are not prepared to listen to the statement; the hon'ble Minister may lay it on the Table.

अध्यक्ष महोदय : वह सभा-पटल पर रख दें।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं इन्दौर और भोपाल में खाद्यान्न सम्बन्धो दंगों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गया। देखिये संख्या एल० टी० 558/73]।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचन के लिये छापे गये पोस्टरों के बारे में वक्तव्य

Statement Re. posters in Delhi University Students Union Election

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचन में दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय की भूमिका के बारे में कथित आरोपों के उत्तर में एक वक्तव्य सभा परल पर रखता हूं :—

विवरण

श्री फूल चन्द वर्मा ने कल इस सभा में आरोप लगाया था कि दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के हाल के चुनावों में कांग्रेस द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के लिये लगभग 5–6 लाख रुपये के पोस्टर छपवाये थे। यह आरोप निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। न तो उक्त निदेशालय ने और न ही किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने इस प्रकार के पोस्टर प्रकाशित किये हैं। अतः ये आरोप निराधार तथा दुर्भावपूर्ण हैं।

भारत-पाकिस्तान समझौते पर चर्चा के बारे में

Re. Discussion on India-Pak Agreement

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मुझे पता चला था कि आप ने भारत-पाक करार पर चर्चा करने हेतु समय निकालने के लिये कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाने का सुझाव रखा था। क्या आपने उस सुझाव को वापस ले लिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। वस्तुतः मैं सोच रहा था कि विदेश मंत्री बाहर जा रहे हैं अतः इस चर्चा को किस दिन के लिये रखा जा सकता है।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर): यदि सभा इस विषय पर चर्चा करना चाहती है तो वह आज ही की जा सकती है क्योंकि विदेश मंत्री आज शाम को अल्जीयर्स जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज शाम को गैर-सरकारी कार्य पर चर्चा होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : पुलिस ने मिदनापुर जिले में गोधुलिया में हरिजन महिलाओं पर बड़े अत्याचार किये हैं। गृह मंत्री इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य क्यों नहीं देते। *(Interruption)*

अध्यक्ष महोदय : केवल परमात्मा ही आपका मार्ग दर्शन कर सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : कल श्री फूल चन्द वर्मा ने गलत आरोप लगाया था कि दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय ने विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के संबंध में 5 लाख रुपये के पोस्टर छापे थे। माननीय सदस्य को क्षमा याचना करनी चाहिये। **(व्यवधान)**

Mr. Speaker: There are many other occasions for such issues. Let us discuss national Plan hich is most important. Parliament is meant for broader issues.

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण के बारे में प्रस्ताव

Motion Re: approach to the Fifth Plan

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 'पांचवीं योजना 1974–79 का दृष्टिकोण' पर जो 20 फरवरी, 1973 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

वास्तव में इस विषय पर काफी पहले चर्चा होनी चाहिये थी। अब योजना का प्रारूप लगभग तैयार हो गया है। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जो भी मूल्यवान सुझाव और राय देंगे। हम उनको योजना बनाने में महत्वपूर्ण स्थान देंगे।

दृष्टिकोण पत्र तैयार होने के बाद भी परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हुआ है। इस दस्तावेज के दो पहलू हैं। एक पहलू में योजना के लक्ष्य और उन को पूरा करने के उपायों का उल्लेख किया गया है। दूसरे हमने लक्ष्यों और कार्यक्रमों तथा अन्य संस्थागत सुधारों के ब्यौरे भी तैयार किये हैं ताकि हम इस दृष्टिकोण दस्तावेज में उल्लिखित लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकें।

हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव पड़ा है। यह अलग बात है कि वे कठिनाइयां थोड़े समय रही हों। परन्तु हम उन के प्रभाव की उपेक्षा नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था पर दबाव का मुख्य कारण कृषि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न होना है। मूल्य वृद्धि का भी यह एक प्रमुख कारण है जिन वस्तुओं को विदेशों से आयात किया जाता है उनके मूल्यों में भी भारी वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव देश में उत्पादित वस्तुओं पर भी पड़ा है। हमने दृष्टिकोण पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि

करना अनिवार्य है । हमें पूंजी निवेश इस प्रकार कराना होगा कि उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सके जिन के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ।

उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ हमें इस बात पर भी विचार करना है कि हम जो कुछ पैदा करें वह गरीब जनता को उपलब्ध भी हो सके । अतः इस काम के लिये एक स्वस्थ प्रभावशाली और कुशल वितरण व्यवस्था का विकास किया जाना परमावश्यक है । गरीब जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करने की सरकार तथा समाज दोनों की जिम्मेदारी है । उपरोक्त व्यवस्था को चलाने के लिये हमें अपने देश में पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा करना चाहिये । अन्यथा हमें सदा विदेशों पर निर्भर करना पड़ेगा । इस के साथ ही भारत के ग्रामों को रचनात्मक शक्तियों का उपयोग करना होगा । यह काम भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने से किया जा सकता है ।

विकासशील देशों के लिये व्यापार की शर्तें बहुत ही प्रतिकूल हैं और इस से हम सब को बड़ी चिन्ता है । जैसा कि मैं ने बताया है कि विश्व मंडियों में खाद्यान्न के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । आयात किये जाने वाले इस्पात और उर्वरकों के मूल्यों में भी भारी वृद्धि हुई है । इन सब बातों से हम यही सीखते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये । इसी लिये इन क्षेत्रों के लिये अत्याधिक पूंजीनिवेश करने की व्यवस्था की गई है । राष्ट्र को स्वाधीनता के लिये कोर सैक्टर में भारी उद्योगों का विकास और इस सैक्टर की कार्यकुशलता बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है ।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दस्तावेज में गरीबी हटाने और बेरोजगारी को कम करने के लक्ष्य का उल्लेख किया गया है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भूमि का अच्छा और पूरा उपयोग करना आवश्यक है । इस प्रयोजन के लिये परम्परागत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सुधार करने के लिये और सीमान्त तथा छोटे किसानों को कठिनाइयों और गरीबी से राहत दिलाने के लिये विशेष कार्यक्रम बनाये गये हैं । इन कार्यक्रमों को इस दृष्टिकोण-पत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ।

बेरोजगारी दूर करने के लिये हमें प्रगति दर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये । हम ने 5.5 प्रतिशत दर का उल्लेख किया है । यह कहा गया है कि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा और इस दर को कम करना चाहिये । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह विकल्प के रूप में इन समस्याओं का समाधान करने के लिये सुझाव दें । योजना आयोग के विचार में प्रगति की दर का लक्ष्य इस से कम नहीं होना चाहिये ।

हम चाहते हैं कि जन साधारण को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों । बड़े पैमाने पर खपत की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्राथमिकता दी गई है । हमें इस प्रयोजन के लिये खपत के ढांचे में भी आमूल परिवर्तन करना होगा और उत्पादन ढांचे में भी ।

यदि घाटे की अर्थव्यवस्था को उत्पादन के साथ सम्बद्ध न किया गया तो उससे मुद्रास्फीति होगी और मूल्यों में भारी वृद्धि होगी । इसी लिये हम ने इस बात पर जोर दिया है कि घाटे की अर्थव्यवस्था कम से कम हो ।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमने जो उपाय किये हैं वे पर्याप्त हैं ।

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति जो कि काफी कठिन है, को देखते हुए हमने बहतर दृष्टिकोण अपनाया है। अतः दृष्टिकोण पत्र के मूलभूत सिद्धान्तों में किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता। हमने भारतवासियों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही यह योजना बनाई है।

हमने अपनी नीति के मूल ढांचे के बारे में ही यहां पर संकेत दिये हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा 'पांचवीं योजना 1974–79 का दृष्टिकोण' पर जो 20 फरवरी, 1973 को सभापटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

दोनों ओर से अनेक सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। मैं दोनों ओर से ऐसे एक-एक सदस्य को बुला रहा हूं जो बीस मिनट बोलेंगे। उसके पश्चात सरकारी पक्ष का प्रत्येक सदस्य सात से दस मिनट का समय लेगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: (बेगुसराय) : इस पर चर्चा अगले सत्र में भी चलनी चाहिए। इस पर यथासम्भव विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। मेरे अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री समर मुकर्जी आपके दल के लिए 39 मिनट का समय रखा गया है। कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव आये हैं, क्या उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री मावलंकर सभा में उपस्थित नहीं हैं। अतः उनके प्रस्ताव को प्रस्तुत हुआ नहीं समझा जा सकता।

समय का आवंटन इस प्रकार किया गया है।

सी०पी०एम०	39 मिनट
सी०पी०आई०	37 मिनट
जन संघ	34 मिनट
डी० एम० के० .	34 मिनट
कांग्रेस . .	9 घण्टे
यू०आई०पी०जी०	23 मिनट
कांग्रेस (संगठन)	21 मिनट
स्वतन्त्र पार्टी	11 मिनट
एस०पी०	8 मिनट
असम्बन्धित	23 मिनट

अब स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

श्री मधु दण्डवते: मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या एक प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुरासोली मारन: (मद्रास दक्षिण) मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय: (मंदसौर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० सिद्दिया : (चामराजनगर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री समर मुकर्जी : (हावड़ा) : इस समय देश मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की स्थिति से गुजर रहा है। अतः अब दृष्टिकोण पत्र पर इसी सन्दर्भ में चर्चा की जा रही है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]

पांचवीं योजना का दृष्टिकोण इस आधार पर तैयार किया गया है कि मूल्यों में स्थिरता होगी। परन्तु हमने गत छः महीनों में देखा कि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और दृष्टिकोण का यह आधार समाप्त हो गया है। दृष्टिकोण का आधार यह भी था कि आयात पर निर्भरता कम हो और अधिक से अधिक जोर आत्मनिर्भरता पर दिया जाये। परन्तु हमने गत छः महीनों में देखा है कि आयात और निर्यात के असन्तुलन में अन्तर बढ़ता जा रहा है। अतः आयात पर हमारी निर्भरता कम नहीं बल्कि बढ़ रही है। योजना को वर्तमान प्रणाली के ढांचे के अन्तर्गत ही बनाया गया है। उसमें कोई नई बात नहीं रखी गई है। यह प्रणाली पूंजीवाद की है और उससे एकाधिकार पूंजीवाद उत्पन्न हुआ है। ग्रामों में अभी भी शोषण हो रहा है। जबतक योजना में मूलभूत परिवर्तन नहीं किये जाते, विदेशी साम्राज्यवाद पर निर्भरता को कम नहीं किया जाता तथा गांवों में किसानों के शोषण को नहीं रोका जाता तबतक हमारी अर्थ-व्यवस्था संकट मुक्त नहीं हो सकती।

यह कहना गलत है कि हमारी अर्थव्यवस्था का वर्तमान संकट अस्थायी है। भारत में यह विकसित की गई पूंजीवाद प्रणाली का ही परिणाम है। जबतक सम्पत्ति सम्बन्धी पुराने सम्बन्धों में परिवर्तन नहीं किया जाता वर्तमान संकट समाप्त नहीं होगा। सरकार गत 26 वर्षों में लोकतन्त्रात्मक क्रान्ति लाने में विफल रही है।

माननीय मन्त्री ने अभी कहा है कि समूचे विश्व में मूल्य बढ़ रहे हैं। यह सच है परन्तु मूल्य वृद्धि केवल पूंजीवादी देशों में ही हुई है। ऐसे समाचार आये हैं कि रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों में खाद्यान्नों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः केवल पूंजीवादी देशों में ही मूल्यों में वृद्धि हुई है और हम अपने आयात के लिए इन देशों पर निर्भर करते हैं अतः हमें अधिक बोझ सहन करना पड़ रहा है।

चीन की स्थिति यह है कि सूखे की स्थिति के बावजूद वहां पर 2500 लाख टन अनाज का उत्पादन होने की आशा है, डा० बी०के० वसु ने अभी वक्तव्य दिया है कि चीन में अनाज की कोई समस्या नहीं है। लोगों को सस्ते दामों पर पर्याप्त अनाज मिल रहा है। यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाये कि चीन ने अनाज का बड़े पैमाने पर आयात किया है तो भी वहां पर मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह बात भारत में क्यों सम्भव नहीं हो सकी। इसका कारण यही है कि भारत में पूंजीवाद प्रणाली का विकास किया जा रहा है।

माननीय मन्त्री ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान से युद्ध तथा अनेक अन्य बाह्य कारणों से मूल्यों में वृद्धि हुई है। परन्तु ब्लिट्ज में प्रकाशित हुआ है कि वियतनाम में मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई हालांकि वहां पर युद्ध चल रहा है और बम पड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि वहां पर जमाखोर नहीं हैं।

प्रत्येक व्यक्ति को अनाज का निर्धारित राशन मिलता है। समाचारपत्रों में छपा है कि सैगोन में मूल्यों में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोनों ओर कितना अन्तर है।

'इकानामिक्स टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है कि 100 से अधिक कम्पनियों ने अपना लाभ और लाभांश बनाये रखा है। इनमें से अधिकांश कम्पनियां वे हैं जो विदेशी सहयोग से चल रही हैं; इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का निर्माण हमारे देश में हो रहा है और इस पर भी सरकार यह दावा कर रही है कि वह देश को समाजवाद की ओर ले जा रही है। सरकार निहित हितों की रक्षा कर रही है और लोगों को नारे लगा कर धोखा दिया जा रहा है। पांचवीं योजना का मूल आधार शोषण है। कहा गया है कि मूल उद्देश्य गरीबी दूर करना तथा आर्थिक आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। परन्तु यह कोई नई बात नहीं है। भुवनेश्वर में भी इस आशय का एक संकल्प पास किया गया था। पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी योजनाओं के भी यही लक्ष्य रखे गये थे। इन सभी योजनाओं का परिणाम यह निकला है कि 26 वर्ष बाद हम देख रहे हैं कि विषमता बढ़ी है। परन्तु लक्ष्य यह घोषित किया गया था कि विषमता को दूर किया जायेगा।

क्या वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए गरीबी को दूर करना सम्भव है? जबतक वर्तमान ढांचे में मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक गरीबी को दूर करना सम्भव नहीं। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानूनों को 1953–54 में पास किया गया था परन्तु उनपर अभी तक पूरी तरह अमल नहीं किया गया है। वास्तव में सरकार का निहित हितों के साथ सम्पर्क बना हुआ है। यह सरकार पूंजीवादी सरकार है और इसे पूंजीपति चला रहे हैं। यदि यही स्थिति चलती रही तो हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक गम्भीर संकट का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान संकट कोई अस्थायी चीज नहीं है।

सरकार ने गरीबी की जो सीमा निर्धारित की है वह गलत है। सरकार के अनुसार जिस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति खपत 20 रुपये प्रति वर्ष है वह निर्धनता रेखा से नीचे स्तर का नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि फैक्टरी मजदूर निर्धनता रेखा से ऊपर हैं। अतः वे गरीब नहीं हैं। इससे सरकार के सामान्य व्यक्ति के प्रति नौकरशाही वाले रवैये का पता लगता है। यह नहीं बताया गया कि अमीरों की प्रति व्यक्ति खपत को किस प्रकार कम किया जायेगा। क्या उनको इच्छानुसार आय करने की छूट रहेगी? सरकार उनकी आय को कम करना नहीं चाहती। परन्तु सरकार का कहना है कि वह उनपर कुछ प्रतिबन्ध लगायेगी।

यदि भूमि सुधार लागू नहीं किये जाते और काश्तकारों को भूमि का मालिक नहीं बनाया जाता तो गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। यह एक मूलभूत बात है। परन्तु देश के सभी कानून तथा सामाजिक आर्थिक ढांचा इसके विपरीत है। सरकार के सभी नारे निराधार हैं। क्या सरकार समाज के अपर वर्ग पर अनुशासन लागू कर सकती है? सभी जानते हैं कि एकाधिकार पतियों के लाभ में वृद्धि हो रही है। वे सामान्य व्यक्ति की लागत पर ही ऐसा कर रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में भी विफल रही है। मजदूरों के शोषण में वृद्धि हुई है। मजदूरों की छंटनी की जा रही है। कलकत्ता में जय इन्जीनियरिंग फैक्टरी बन्द हो गई है।

सरकार काले बाजार तथा मुनाफाखोरी को रोकने में भी विफल रही है। इसी प्रकार सरकार कोटों, परमिटों, और लाइसेंसों के दुरुपयोग तथा कर अपवंचन को रोकने में भी असफल रही है। क्या

समाजवाद लाने का यही ढंग है। इस प्रकार देश में समाजवाद लाना सम्भव नहीं है। सरकार इस प्रकार के शोषण की रक्षा कर रही है। इसी लिए मेरा करना है कि योजना का दृष्टिकोण वर्ग-आधारित तथा वर्ग-प्रधान है। गत चार योजनाओं में पूंजीवाद अधिक मजबूत हुआ है। कुछ बड़े व्यापारी गृहों के हाथों में धन का जमाव हुआ है। यह प्रक्रिया अभी तक जारी है। पांचवीं योजना में भी इस प्रकार का आधार तैयार किया गया है। अतः मेरा कहना है कि इस योजना में पहली योजनाओं वाली बात अधिक व्यापक रूप से सामने आयेगी।

आत्म-निर्भरता का नारा पूर्णत समाप्त हो चुका है, जुलाई में प्रस्तुत किए गए एक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि विदेशी सहयोग के लिए बहुत अधिक मल्य दिया जा रहा है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि सरकार ने दत्त समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही करने में तीन वर्ष लगा दिए हैं। अध्ययन ग्रुप ने भी अपना प्रतिवेदन दे दिया है इसमें कहा गया है कि अब तक 3000 से अधिक सहयोग के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। विदेशी पूंजी देश में आ रही है और वह मुनाफा अपने देश भेज रहे हैं। सरकार आत्म निर्भरता के नारे की आड़ में विदेशी एकाधिकारियों में गुप्त सौदे कर रही है, कुछ दिन पूर्व 'इकनामिक टाइम्स' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि सरकार तीन विदेशी तेल कम्पनियों के शेयर खरीद कर उनके 51 प्रतिशत शेयर अपने पास रखने की बात पर विचार कर रही है। उनकी शर्तें ऐसी हैं कि उनको अधिक मूल्य देना पड़ता है, सरकार ने उनके गैर कानूनी ढंग से साफ किए जाने वाले तेल को वैध कर दिया है। इस सब का अर्थ है कि वह सरकार से और धन प्राप्त करेंगे।

सरकार की नई औद्योगिक नीति में भी इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार अपने नारों के प्रति कितनी वफादार है। नई नीति के अनुसार विदेशी एकाधिकारपति और अधिक पूंजी हमारे देश में लगा सकेंगे। प्रतिबन्धित क्षेत्रों में भी उनको अब पूंजी लगाने की अनुमति दी जा रही है।

पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पथ में 3000 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की व्यवस्था रखी गई है। इस प्रकार ऋण भुगतान के बारे में सरकार की जिम्मेदारी में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। इन तीन हजार करोड़ रुपयों से हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सकेंगे जहां कि हमें विदेशी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी।

अतः इसके पश्चात भी हमें विदेशी ऋण तथा सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा।

योजना में 5.5 प्रतिशत विकासदर की आशा की गई है हम चाहते हैं कि विकास दर को और बढ़ाया जाए परन्तु हमें पुराने अनुभव से ऐसा लगाता है कि इस विकासदर को प्राप्त करना असम्भव नहीं होगा।

ऋण दायित्व को निभाने के लिए निर्यात वढ़ाना अनिवाय हो गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि विदेशी कम्पनी ने एक वर्ष में अपनी पूंजी से दस गुना मुनाफा कमाया है। यदि ऐसी बातों को जारी रहने की अनुमति दी गई तो व्यापार पुलना हमारे पक्ष में नहीं हो सकता अब इंग्लैण्ड सांझा बाजार में शामिल हो गया है और इससे हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ा है। बड़े बड़े व्यापारी अत्यधिक छूट के लिए सरकार पर जोर दे रहे हैं। सरकार ने पटसन से निर्यात शुल्क हटा दिया है। अतः सरकार को

इस प्रकार का घाटा पूरा करने के लिए आम व्यक्ति पर और अप्रत्क्षय कर लगाने पड़ेंगे। इसमें मूल्यों में और वृद्धि होगी। और मूलों में वृद्धि निर्यात के लिए हानिकारक सिद्ध होगी।

अब समय आ गया है जबकि सारी समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यदि देश में वास्तविक समाजवाद का निर्माण किया जाता है तो अनेक मूल समस्याएं हल हो जाएंगी। चीन में बेरोजगारी नहीं हैं। इसी प्रकार अन्य समाजवादी देशों में भी बेरोजगारी नहीं है, सरकार की वर्तमान प्रणाली हमारे देश में इस प्रकार समस्या को है करने में विफल रही है।

मेरा सुझाव है कि विदेशी एकाधिकार वादियों और पूंजीपतियों पर रोक लगाई जाए। विदेशी ऋण का भुगतान कुछ समय के लिए बन्द कर दिया जाना चाहिए। भारतीय एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। भूमि का स्वामी काश्तगारों को बनाया जाना चाहिए। विकासशील देशों के साथ अधिक सम्बन्धों का सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। इस तरीके से हम अपने वर्तमान आर्थिक संकट को खत्म करने में भी सफल हो सकेंगे।

Shri Madhu Limaye (Banka): I rise on a point of Order.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो लिखित में दिया है वह किसी अन्य चीज से सम्बन्धित है। आप इस मद के समाप्त होने पर उसको उठा सकते हैं। मैं आपको बाद में अवसर प्रदान करने का प्रयास करूंगा।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : इस योजना की सफलता पर देश का भविष्य निर्भर करता है। माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से इस को सभा में प्रस्तुत किया है इससे उनकी स्पष्ट दृष्टिकोण का पता लगता है और यह भी पता लगता है कि वह समस्या को किस प्रकार हल करने जा रहे है।

भारत में घट रही घटनाओं की तुलना चोन के साथ करना वास्तविकता की बात नहीं है। भारतीय सदस्य ने अभी अभी कहा है कि सरकार इसको क्रियान्वित नहीं कर सकेगी। इस दस्तावेज को एक धोखा नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्य ने स्थिति की वास्तविकता से परे हट कर बात की है? माननीय मंत्री ने बढ़ते हुए मूल्यों पर चिन्ता वयक्त की है यह ठीक है कि देश के समक्ष भम्भीर समस्या उत्पन्न होती है। परन्तु यह एक अस्थायी बात है देश में जो प्रगति हुई है उसको झुटलाया नहीं जा सकता सूखे के बावजूद हम प्रगति कर । रहे हैं। हमने गत वर्षो में जो आधार बनाया है उससे हम बाहरी सहायता के विना भी प्रगति कर सकते हैं 1967–68 में हमने योजना को बहुत कठिन बताया था। उस समय भी ऐसी ही आर्थिक स्थिति थी। इसी कारण विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को छोड़ना पड़ा था। आज भी कुछ लोगों योजना में छुटी की बाट कर रहे है। यह बात राष्ट्र विरोधी हैं। यह बात जनता विरोधी भी है। योजना में छुट्टी की बात करने बाले वास्तव में अर्थ व्यवस्था की मजबूती की उपेक्षा कर रहे हैं। मेरे से पहले बोलने बाले माननीय सस्स्य ने एकाधिकार पूंजीबाद को समाप्त करने की बात कही है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। परन्तु इसको समाप्त करने का ढ़ंग अलग अलग है हम लोकतंत्रात्मक समाजवादी समाज की स्थापना कर चाहते। इस तत्थ को स्वीकार किया जाना चाहिए। यरोप तथा अपरीका के अनेक देशों को बढ रहे मूल्यों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विनिमय दर की एक अन्य सदस्य है। समाजबादी देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अन्तर्राष्टीय समस्याओं के कारण का हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है हमारे उत्पादन के अनेक साधन अन्तराष्ठीय दबाव से मुक्त नहीं है। परन्तु हमने दृष्टिकोण में जिन उपायों का उल्लेख किया है वह ठीक दिशा में है।

माननीय मंत्री को इस सदन तथा देश को इस सम्बन्ध में अपने विश्वाश में लेना चाहिए कि वह बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या को किस प्रकार हल करने जा रहे हैं। मैं जानता हुं कि योजना आयोग और सरकार इस बारे में उपाय कर रहे हैं और वे इस समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लेंगे।

बीस रुपये खपत की जो बात श्री मुखर्जी ने कही हैं वह 1960–61 के मूल्यों पर आधारित थी। अब इस स्तर पर पहुचने के लिए 27 रुपयों की आवश्यकता होगी। अतः नीचे के 30 प्रतिशत लोगों के खपत स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यवाही करना ठीक ही है। इस का ढंग वही है जो दृष्टिकोण में दिया गया है। वह यह है कि ऊपर के 30 प्रतिशत लोगों के खपत स्तर को 84 रूपये से घटा कर 80 रुपये तथा नगरीय क्षेत्रों में इस स्तर को 113 रुपये से घटा कर 108 रुपये कर दिया जाये। मैं चाहता हूं इसमें कुछ और कमी की जाए। इस समय हम 100 करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात कर रहे हैं और 113 करोड़ रुपये की कपास का आयात कर रहे हैं। यह कपास अमीर लोगों के काम कपड़ा तैयार करने के काम आती है। आप जनता के लिए चार पांच स्किम का सस्ता कपड़ा तैयार किया जा सकता है और कपास के आयात में कमी की जा सकती है।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है हम इस बारे में नीति निर्णय ले सकते हैं। एक समय था जब टोक्यों में निजी इमारतें बनाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, हम भी एक लाख रुपये से अधिक की लागत वाले मकानों के निर्माण पर रोक लगा सकते हैं। इस पर सरकारी इमारतें बनाने के तथा गन्दी बस्तियों की सफाई आदि के लिए तथा जरूरत मन्द लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोहा तथा सीमेंट की बचत हो सकेगी। मेरा निवेदन है कि हमें योजना की क्रियान्वित के लिए ठीक कदम उठाने काहिए।

मैं योजना मंत्री को बधाई देता हुं कि उन्होंने और उनके सलाहकारों ने इस योजना को अधिक वैज्ञानिक ढंग से बनाया है। हमारी पहली योजना 'कीन माडैल' पर आधारित थी। दूसरी योजना सोवियत माडल की थी और तीसरी तथा चौथी योजना भी उसी तरह की थी। पांचवी सम्पूर्ण योजना ही 'कोर' है अतः इसमें से अत्यावश्यक अंश निकालना निरर्थक है इसी योजना मे मूल्य वृद्धि और विदेशी सहायता आदि सहायता आदि का ध्यान रखा गया हैं और मेरा विश्वास हैं कि यदि कार्यान्वियन ठीक और उचित हुआ तो हम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। कोई योजना बिना उचित क्रियान्वियन के कभी सफल नहीं होती और इसी से हमारे समाज और अर्थव्यवस्था का पुन निर्माण सम्भव है। इसीलिए मुझे श्री मुखर्जी का भाषण सुन करर दुःख हुआ है क्योंकि इससे तो आस्था टूटती है और देश की आस्था को चोट पहुंचती है। योजना मंत्री ने ठीक ही कहा है कि हमें सरकारी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार लाना होगा क्योंकि योजना को सफल बनाने के लिए हमारे दल को, सरकार को और जनता को भरपूर प्रयास करने होंगे क्योंकि संसाधन जुटाने में सरकारी क्षेत्र का काफी बड़ा योगदान होगा और इसके लिए उसे अपना कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ा कर किसानों और अन्य छोटे लोगों पक पहुंचना होगा। हमें जापान को अपना आदर्श मानकर दक्षता और उत्पादकता बढ़ानी होगी।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि पांचवी योजना की दिशा उचित है और इसी मार्ग पर चलकर समाजवाद आयेगा, गरीबी दूर हो सकेगी और कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन जा सकेगा परन्तु तभी होगा जब सभी क्षेत्रों में क्रियान्वियन भी प्रभावी हो।

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur): It is true that a new direction is sought to be given to the nation in the approach to the Fifth Plan, but our past experience shows that the rich have became richer and poor poorer, disparities have increased and many areas remain untouched by the fruits of planning.

I feel that so far, planning has been superficial and most of the decisions are taken at political level. This is borne out by the fact that although 35 of the 54 districts of U.P. are backward, it got only 24 rupees per capita allocation during the first Plan against 41 in respect of other States. For the 2nd Plan, U.P. was 15th in respect of Central allocation. Moreover, 39 per cent of the villages in U.P. have no roads. The plight of Eastern U.P. is even worse. But I find to appreciable change in the approach towards the Fifth Plan in this respect. The Congress Members themselves do not believe in what Government intends to do, as is clear from the incidents of land-grabbing in Punjab by Publicmen of high status. By saying this, I want only to emphasize that the Ministers alone could not do anything when the Ruling Party and bureaucracy are indifferent to such measures. How do you expect to succeed when 20 crores of people live below poverty-line even after 25 years of planning in the country?

As against 35 backward districts of U.P., only eight have been included in the list of backward districts, and notable omissions among them are Gazipur, Jampur and Banda etc. I feel that the only reason is that decisions have been taken with political motivations, as I said earlier.

It is really regrettable that drinking water has not been made available in the country so far and Harijans continue to be exploited, not to speak of providing them with work and housing facilities.

However lofty the prinicples might be, nothing can be achieved unless we are not pragmatic in our approach towards giving proper direction and fixing priorities in a realistic manner.

Before seeing the huge Stocks of wheat in Subzi Mandi I was also of the view that there is food scarcity in the country but since then I am of the firm opinion that this scarcity is man-made and bureaucracy is in collusion with hoarders and monopolists. This will have to be set right. Planning shall have to be started from the bottom in order to make it a success.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur): The noble and uphill task undertaken by the Planning Minister is worthy of a part to him, because thereby he plans to remove poverty and attain economic self-reliance. It would be in pursuance of these goals that Government would strive to prevent concentration of economic power and reduction of disparities in incomes and wealth.

We hope that backed by will and endeavour. a beginning shall definitely be made towards attainment of balanced regional development.

Despite the best intentions of the Planners, if basic needs of the people are not being met, it should be admitted as a failure of planning. Even after four Five-Year Plans and spending as much as 3.500 crores, only 5 per cent irrigation facilities have been provided and the farmer has to look towards the skies for better crops—it is a matter of shame for us and we must examine and enquire as to where the fault lies. People's involvement is essential if we really want the benefits of planning to reach the common man.

U.P., though it has 9·1 per cent of total area and 16·1 per cent of the total population of the country, was completely ignored in first and 2nd Plans, with the

result that the entire State is backward today. Ironically, the per capita income of the State went down after each plan as against steady increase in the national income. On the other hand, prior to the advent of planning era, the per capita income of U.P. was 259.62 as against the national income of 247.50. The per capita investment in the State has been one of the lowest as compared to other States. I, therefore, plead for a special Central allotment for U.P. to remove its backwardness.

Shri Chandulal Chandrakar (Durg): Sir, I am more sorry than happy to read the approach-paper of Fifth Plan, because whereas ambitious plans have been drawn up for the betterment of the masses, then implementation has been left uncared for and therefore this Plan will meet the same fate as previous four plans due mainly to lack of people's involvement. We should not expect our plan to succeed without the participation of Gram Panchayats and Block Samities. Secondly, responsibility shall have to be fixed for the execution of all jobs like sinking of tube-wells, construction of roads, school and hospital buildings etc.

The highlight of this paper is the removal of regional disparities but we do not know how this is proposed to be achieved, because backward States have received meagre allocations.

The recruitment pattern shall have to be changed in order to provide jobs to the needy and for this, directives shall have to be issued to give preference to those whose parents are poor to those having a monthly income of 500 Rupees or more.

Madhya Pradesh is the only State in the country which remains backward and underdeveloped despite abundant naturral resources. This is primarily due to continued indifference of the Centre towards this State. That is why as many as 77 per cent of the people in the State live below poverty line, and irrigation facilities are 8 per cent as against the national overage of 23 per cent resulting in lower food production averages than national average of 11.24 Quintal per hectare.

In spite of all this, the 385 crore Rupee minimum needs programme, as recommended by a Study Team of the Ministry for providing drinking water to Madhya Pradesh, has been curtailed to Rupees 282 crores. I would like the Centre to take over its implementation in view of the backwardness of the State.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मंत्री महोदय ने जो दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया है वह सभी पहलुओं से सराहनीय है ।

आज स्कूल, कालेज, अस्पताल और सड़कें होते हुए भी लोग गरीब हैं और इनकी कमी है, तो इसका एक मात्र कारण हमारी असाधारण जनसंख्या वृद्धि है । जहां यूरोप में आबादी 150 वर्ष में दुगनी होती है वहां भारत में यह 30 वर्ष में ही हो जाती है । लगता है हमारे विपक्षी दलों के लोग आबादी बढ़ाने में होड़ ले रहे है .... (व्यवधान) । हमारें यहां एक ओर रोजगार की स्थिति इतनी विकट है तो दूसरी ओर हमारे डाक्टर, इंजीनियर आदि हड़तालें कर के देश की प्रगति को रोकते हैं । हमें हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये । देश को युद्ध और दैवी विपदाओं से उतनी क्षति नहीं हुई है जितनी कि हड़तालों और तालाबन्दियों आदि से हुई है ।

हमारे देश में उर्वरको की सप्लाई 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है जबकि केवल 5 नए कारखाने लगाने का प्रस्ताव है । मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 कारखाने लगाए जाएं चाहे मेरे ज़िले या राज्य में एक भी नहीं ताकि देश में उर्वरकों का अभाव न रहे ।

श्रीकृष्ण चन्द्र हालदार (औसग्राम) : उन्होंने विपक्षी दलों पर आबादी बढ़ाने का आरोप लगाया है परन्तु क्या उन्हें मालूम है कि राष्ट्रपति जी के कितने बच्चे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं इस पत्र का स्वागत करता हूं । कुछ समय पूर्व जब हम कहा करते थे कि औद्योगिक प्रगति से ही जनता का कल्याण नहीं हो जाएगा तो योजना आयोग के लोग इसका खण्डन करते थे परन्तु अब हम ने देख लिया है कि विषमताएं बढ़ी ही हैं ? हमारे अर्थशास्त्री कहा करते थे कि हमें अमरीका आदि अन्य देशों से अधिकाधिक ऋण लेना चाहिये

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं ? अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य से पूर्व श्री मधु लिमये अपने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में बताएं ।

संवाददाताओं को दो प्रश्नों के उत्तर न परिचालित किये जाने के बारे में

RE: NON-CIRCULATION OF ANSWER TO TWO QUESTIONS TO THE PRESS CORRESPONDENTS

Shri Madhu Limaye (Banka): According to my letter sent to you. grave lapse and contempt of Parliament has been committed by not laying the replies to my USQ Nos. 5121 and 5231.

At present I am raising the point concerning violation of the Rules of the House. I will give separate notice of breach of privilege arising therefrom, because the two cannot be clubbed here.

My point of order is this, that when replies to Unstarred Questions are neither laid nor circulated to the Press, it amounts to violation of our Rules. I would request you kindly to go into this and fix responsibility. I, therefore, call upon you to deem it a very grave offence.

उपाध्यक्ष महोदय : यह खेद की बाद है कि आपके प्रश्नों के उत्तर कुछ देर से प्राप्त हुए, परन्तु 12 बजे तक उन्हे ग्रन्थालय में रख दिया गया था । हमारे सचिवालय ने वित्त मंत्रालय से भी यह मामला उठाया है ।

प्रेस सूचना कार्यालय के बारे में,वह भी अन्य मंत्रालयों से दस्तावेज एकत्र करके ही प्रेस को बांटता है । यदि अब तक ऐसा नहीं किया गया है तो अब कर दिया जाएगा ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): Sir, it is very important to find out the causes of delay, when notice is sent sufficiently in advance.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बता ही चुका हूं कि सचिवालय ने वित्त मंत्रालय से मामला उठाया है । उनका उत्तर आने दीजिये संभवत: प्रेस को भी इनकी प्रतियां अब तक मिल चुकी होंगी ।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : यह प्रश्न चूंकि एक मंत्री के खैमे से सम्बन्धित है अत: यह शक पैदा हो जाता है कि ऐसा जानबूझ कर किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का विषय अलग मामला है । अब इस पर आगे कुछ न कहा जाये ।

गैर-सरकारी सदस्यों तथा विधेयकों के संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

31वां प्रतिवेदन

Shri Sukhdev Prasad Verma (Nawada): Sir. I beg to move:

"That this House do agree with the Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th August 1973."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति के 31वें प्रतिवदन से, जो सभा में 29 अगस्त, 1973 को पेश किया गया था, सहमत है !"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

वर्तमान लोक-सभा को संविधान सभा घोषित किये जाने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: DECLARATION OF PRESENT LOK SABHA AS CONSTITUENT ASSEMBLY

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री विभूति मिश्र अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): Sir, during last general elections, our slogan was "Remove Poverty from the country". During our fight for freedom, we aimed at removing sufferings and poverty of our countrymen.

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुये
Shri S. A. Kadar in the Chair.]

After that the constitution of a Constituent Assembly was demanded. But I am constrained to say that the representatives of that Constituent Assembly were not elected directly by the people on the basis of adult franchise. They were elected with communal and reactionary approaches. I am sure most of the 36 representatives sent from Bihar had no connection with the public service or with the struggle for freedom. No doubt great persons like Dr. Rajendra Prasad and Pandit Jawaharlal Lal Nehru were also elected but the number of such persons was very small. What I mean to say is that the people of our country were not properly represented in that Assembly.

The fact that during the period of 25 years, we have amended our Constitution thirty-first times shows that the Constitution was not consistent with the aspirations and requirements of the people of our country.

In this context, I suggest that the present Lok Sabha should be declared as a Constituent Assembly to carry out various amendments in the Constitution in accordance with the feelings and aspirations of the general public in view of the fact that the members of Lok Sabha have been elected directly by the people.

After the introduction of our Constitution, disparity has increased many times. According to the booklet of the Planning Commission, 'the foreign debt stood at Rs. 7161 crores at the end of 1972-73." It is also a fact that more than 70 per cent people live below poverty line in the country. I would like to remind you, Sir, that Mahatma Gandhi strongly opposed the Practice of giving exorbitant salaries to the Viceroy and other big officers like District Magistrates. It is surprising that our Constituent Assembly recommended Rs. 10,000 as pay for our President. They also recommended exorbitant salaries for other big officers ignoring the fact that our country is so poor.

In view of the fact that economic disparity has increased many times and that we have already amended our Constitution 31 times, this Lok Sabha should be declared as a Constituent Assembly.

So far as education is concerned, we see two types of educational institutions; public schools and private schools. In the schools. like St. Columbus, children of big officers can get education. Naturally, their prospects are better in the society and in the various services depriving the children of poor persons of their rights.

Government have fixed ceiling on land in the rural areas but they have not taken any steps towards the fixation of a ceiling on urban property because of certain constitutional implications. In these circumstances, it has become necessary to change the Constitution. Government should have a firm determination to change the Constitution, otherwise a day may come when people of our country would have no faith in the Government. (*interruptions*)

There is a wide disparity between the standard of living of the people in Delhi and that of peasants. Government could not provide educational and medical facilities to the rural population with the help of the present Constitution.

In view of the fact that this Constitution was framed by the persons who were not aware of the sufferings faced by the common people and who were inspired by the British administrative pattern, this Constitution can never be consistent with the conditions prevalent. in India.

Besides, the present Constitution has failed in solving various problems like that of language and State Centre disputes. In reply to my unstarred question No. 5079, the Defence Minister been admitted that due to certain reasons class compositions in the army are continuing. I do not find any justification for this since we declare our country to be a Secular State.

We have not been able to make education compulsory upto 14 years of age, as provided in the Constitution. Our Constitution is not satisfying the ambitions of the people. Therefore, the present Lok Sabha should be converted into a Constituent Assembly for framing a new Constitution.

The aim of all the parties *i.e.*, congress and opposition parties is common. Welfare of the people lies in framing the Constitution on the basis of principles of socialism. In case Government is not going to take steps in this direction, then the people will take such steps.... (*Interruptions*). Revolt is necessary. I am sure that people will bring about revolution.

I will, therefore appeal that the present Lok Sabha should be declared a Constitution making body.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair.]

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपने संशोधन संख्या 2 तथा 3 प्रस्तुत करता हूं ।

***श्री कृष्ण चन्द्र हालदार** (औसग्राम) : इस गैर-सरकारी संकल्प के प्रस्तावक ने अपने भाषण में ठीक ही कहा है कि आजादी के 26 वर्ष बाद पता चला है कि संविधान पुराना पड़ चुका है और अब तक इसमें 31 संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई है । आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी 25 करोड़ लोग ग़रीबी के स्तर से नीचे रह रहे हैं । वे भूखों मर रहे हैं और उन्हें रोज़गार नहीं मिलता । इस स्थिति में परिवर्तन लाना अनिवार्य है ।

संविधान के अन्तर्गत संसद में राष्ट्रपति, लोक सभा तथा राज्य सभा होती है । इस संकल्प का उद्देश्य केवल लोक सभा को ही संविधान सभा में परिवर्तित करने का है । संविधान के उपबंधों के अनुसार ही लोक सभा का निर्वाचन किया गया है । संविधान ने लोक सभा को संसद के संविधान सभा में परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान नहीं की है । समझ में नहीं आता कि लोक सभा, जिसका निर्वाचन तथा मार्गदर्शन संविधान के उपबंधों के अन्तर्गत होता है । संविधान के विरूद्ध कैसे कार्य कर सकती है और किस प्रकार इसे एक संविधान सभा के रूप में परिवर्तित कर सकती है ।

संविधान के कुछ गैर-लोकतांत्रिक उपबंधों के संशोधन की आवश्यकता भी है । इस पूंजीवादी प्रणाली में सरकार द्वारा समाजवाद लाना सम्भव नहीं है । वर्गभेद तथा शोषण पर आधारित सरकार की इस प्रणाली को देश के हितार्थ समाप्त किया जाना चाहिये । यह प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये । लोक सभा को संविधान सभा में परिवर्तित कर देने मात्र से उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा । लोक सभा को ही समाप्त किया जाना चाहिये। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नए सिरे से चुनाव किए जाने चाहिये । तत्पश्चात वह संविधान सभा एक संविधान तैयार कर सकेगी जिससे जनता की आकांक्षाओं तथा आशायओं को स्थान मिलेगा ।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई--मध्य दक्षिण) : श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये संकल्प पर उपयोगिता की दृष्टि से विचार करना होगा । हमें इस मामले पर राजनीतिक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार नहीं करना है । स्थिति के बारें में पूरी जानकारी लेने तथा इस बात का पता लगाने के लिये कि हमने क्या प्रगति की है, 25 या 26 वर्ष की अवधि काफी होती है । यदि हमें इस बात का पता चल जाये कि हम पिछड़ रहे हैं अथवा पिछड़ गए हैं तो फिर हमें निश्चय ही कुछ आमूल परिवर्तन करने होंगे ।

भारत की जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है । 1951 में हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी जो कि 1961 में 43 करोड़ तथा 1971 में बढ़ कर 54 करोड़ हो गई है, किन्तु प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त असन्तोषजनक है । 1961 में जो मूल्य चल रहे थे उनके अनुसार 1960-61 में प्रति व्यक्ति आय 361 रुपये थी । 1970 में प्रति व्यक्ति आय 633 रुपये थी लेकिन यदि हम इस आय की 1961 में चल रहे मूल्यों के अनुसार गणना करें तो प्रति व्यक्ति

---

*बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

आय केवल 348 रुपये ही बैंठती है । जनसंख्या में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है और इससे हमारे योजना कार्यक्रमों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है ।

हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में वांछनीय प्रगति नहीं की है । पन-बिजली शक्ति का पर्याप्त प्राकृतिक संसाधान होते हुए भी हम लगभग 17 प्रतिशत ही उपयोग कर रहे हैं । इससे पता चलता है कि हम सिंचाई तथा पन-बिजली शक्ति के उपयोग में भी बहुत पिछड़े हुए हैं ।

हमारा यह संविधान 25 अथवा 26 वर्ष पूर्व बनाया गया था । मूलतः संविधान दोषपूर्ण नहीं है, किन्तु विस्तृत रूप में समूचा संविधान शायद देश की आवश्यकताओं को पूरा न कर सके । मुझे बताया गया है कि संविधान के अधिकांश भाग की 1935 के अधिनियम से नकल की गई है अब यदि यह उस अधिनियम की नकल है तो इसका अर्थ यह है कि इस देश की जरूरतों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । किन्तु साथ ही हमारें नेताओं ने इस बात को ध्यान में रखा है कि हमें अपनी जनता को कैसा संविधान देना चाहिये । प्रस्तावना और निदेशक सिद्धान्तों में सभी मूल बातें आ गई हैं । अब समय आ गया है जब हम यह देखे कि क्या संविधान के लागू होने के 26 वर्ष बाद लोगों को वह दिया गया है जिसकी उन्हें आवश्यकता है ।

आजकल कुछ लोग कहते है कि संविधान ही सर्वोच्च है । मेरे विचार से लोगों की इच्छा ही सर्वोच्च है क्योंकि यह संविधान लोगों के लिये बनाया गया है । लोगों की इच्छा से इसमें संशोधन किया जा सकता है तथा इसमें किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है । यदि हम चाहते हैं कि प्रशासन लोगों के हित में कार्य करे तो संविधान में संशोधन करने के साथ-साथ ब्रिटिश शासन काल में प्रशासन चलाने हेतु बनाये गये उन नियमों में अवश्य परिवर्तन करना चाहिए ।

आजकल केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध वैसे नहीं है जैसे कि होने चाहियें । अतः अब समय आ गया है कि हम संविधान के ढांचे में परिवर्तन करने के बारे में विचार करें । देश में इस समय एकात्मक प्रशासन प्रणाली की आवश्यकता है । देश प्रान्तों में विभाजित नहीं होना चाहिये । प्रशासनिक ढांचें के चार स्तर होने चाहिये जिसके अन्तर्गत हम कार्य करें । हमारा संविधान गांवों से शुरु होना चाहिये । इसके बाद यह ताल्लुक और जिला स्तर पर आये तथा केन्द्र में एकात्मक प्रशासन प्रणाली हो । प्रशासन का पूर्णतः विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये । प्रत्येक गांव को अपने आप को एक गणतंत्र अनुभव करना चाहिये । उसे प्रगति करने के पर्याप्त अवसर होने चाहिए । इसी प्रकार ताल्लुका और जिलों के लिए भी प्रगति के अवसर होने चाहिए । केन्द्र के पास भारत भर से सम्बन्धित कुछ विषय होने चाहिए । यह एक आदर्श संविधान होगा ।

हमें वर्तमान स्थिति पर समग्र रूप में विचार करना होगा । हमें इसके प्रति क्रान्तिकारी दृष्टि-कोण अपनाना चाहिए तथा कुछ परिवर्तन लाने चाहिए ।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि यह संविधान कुछ वर्ष और इसी प्रकार चलता रहा तो बजाय स्थिति सुधरने के, यह और अधिक बिगड़ेगी, आज संसद में हमारा बहुमत है और फिर संविधान में आवश्यकतानुसार संशोधन करने में तो विरोधी दल भी हमारा विरोध नहीं करेंगे । अतः अब यदि संशोधन न किया गया तो इतिहास हमें इस के लिए दोषी ठहरायेगा । आज की परिस्थितियां और समय मांग करते हैं कि हमें जनसाधारण के कल्याण के लिये संविधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करने चाहिए ।

मेरे मित्र श्री विभूति मिश्र ने ठीक ही कहा है कि यदि आवश्यक परिवर्तन न किये गये तो देश में क्रांति आ सकती है । मेरा अनुमान है कि अभी हमारे देशवासी किसी प्रकार की क्रांति के पक्ष में नहीं है, परन्तु यदि क्रांति होती है तो फिर इस देश को भगवान ही बचा सकता है ।

हाल ही में एक रूसी भारत आया था । वह कुछ समय भारत रहा और उसने यहां की कार्य-प्रणाली देखी । जब वह भारत आया था तो वह नास्तिक था परन्तु जब वह वापिस लौटा तो आस्तिक बन चुका था। उसने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि यद्यपि कोई भी कार्य भारत में सुचारू रूप से नहीं चल रहा फिर भी यहां सरकार चल रही है अतः इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति अवश्य कार्य कर रही है ।

आज हमारे देश में चारों ओर आन्दोलनों घेरावों और हड़तालों का बोलबाला है । इससे देश की उत्पादन क्षमता को भारी क्षति हो रही है जिस के परिणाम स्वरूप देश गरीब होता जा रहा है । अतः हमें उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्य ही कुछ न कुछ करना चाहिये । यदि हमारा संविधान ठीक होगा तो सारी कार्य व्यवस्था ठीक ढंग से चलेगी । अतः मेरा निवेदन है कि संविधान में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जाने चाहिये जिससे कि साधारण व्यक्ति का हित हो सके ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): The Resolution moved by Shri Bibhuti Mishra for converting the present Lok Sabha into a Constituent Assembly has got two aspects. The first aspect is whether it is necessary to change the Constitution and the second is whether this Lok Sabha should be converted into a Constituent Assembly. At the outset, we will have to see whether our Constitution is really hindering our progress and obstructing country's development.

In this connection, my submission is that our Congress friends are in the habit of blaming others for their own failures. Although they call themselves the followers of Gandhiji yet they hardly follow his ideology. Gandhiji never blamed others for his own failures. But these Congressmen after blaming opposition parties, natural clamaties and the C.I.A., have now come down to blame even the constitution. I would like to know from all my hon. friends, right from Shri Mishra to Kader Sahib, who have spoken in favour of changing the Constitution, as to how the Constitution is obstructing the elimination of poverty. The people who framed our present constitution had sufficient knowledge of poverty and as a matter of fact they were true representatives of the down-trodden. Dr. Ambedkar himself was brought up in the lap of poverty. They have made all the necessary provisions in the directive principles and the preamble to the Constitution. They were fully alive to all the present problems and made every provision for the benefit of commonman. But our Congressmen are unnecessarily blaming the Constitution for their own failures.

The Congress Party got thumping majority in 1971 elections, but still State Governments are not stable and Chief Ministers are fighting for their survival. How is it going to matter whether Mr. Ojha becomes the Chief Minister of Gujarat or Mr. Patil? He will belong to Congress Party and will pursue the same policy and have the same programmes as are decided by Congress Party. How the Constitution is brought in between? How can Constitution hinder him from implementing those polices?

My friend Shri Kader has said that villages have not been properly developed. I want to know who obstructed their development? How the Narmada River

Water dispute and the Kaveri River Water disputes are still hanging fire? Why the fate of Chandigarh is still hanging fire? What the Constitution has to do with all these disputes? It is a matter of shame and pity that water of Ganges is not being properly utilized. This Congress Government first gave the slogan of Socialism in 1954. Later on, it started harping on Co-operative farming. That too proved a failure. The Government invested a net capital of 212 crores in Ranchi Engineering Corporation, but still it is running into a loss of 100 crores of rupees. This Government proved an utter failure in every enterprise which it took in its hands. It failed to run Super Bazars, Food Corporation and other public sector industries. But for all this they are blaming the Constitution. (*Interruptions*).

Now take the case of wealth. Who is to be blamed for its concentration? Who is responsible for issuing licences? Who gave royalty to Birlas? Why cheaper electricity is given to him as compared to others? Who is to be blamed for this discrimination? The Government itself did all this and is squarely responsible for it. The Constitution is being dragged in unnecessarily.

The growth of population also cannot be blamed for it. It is for the growing generation that we are making all these plans and mistaking industries. Such human problems throw challenges before us and it is only under such circumstances that our mind exerts properly. All sorts of resources are available in our country. We can increase our productions overnight. But our real problem is that no sincere effort is being made in this direction. Simply by framing law, our responsibility does not cease. There is greater need to curb the tendency of dishonesty.

How a person can be an owner of a land who has no land? Some Minister's have lands in the name of their wives. Constitution is silent in this matter. When the responsible persons like Ministers purchase lands in the name of their relatives how can a common man avoid this attitude. It has been argued that since there is no progress in the number of spheres, the Constitution should be amended.

The Government have not been successful in removing poverty in the country. The prices of essential commodities are increasing day by day. In fact the poverty has increased. I am not going to accept it as a commonman's Bill. There has not been any industrial development in the Country. The progress in industries is very slow.

The population in the country has increased 1-1/2 times whereas the production has increased by two times. Thus it is not proper to blame population for the shortage of commodities.

If our agriculture is not developed or there has been concentration of economic power in few hands or the river water disputes have not been solved, the blame in this respect totally lies on the Government Constitutional provisions cannot be blamed for it. The Government should take steps to solve these problems.

The Constitution should be amended according to the need. If it is felt that a new Constitution should be framed then election should be held and the true representatives of the people will make the Constitution I, therefore, oppose the resolution.

Shri Ram Gopal Reddy (Nizamabad): I do not find any need to frame a new constitution. Constitution can be amended for the welfare of the people. In this matter very much depends upon the implementation of the schemes. Proper implementation gives proper results. But opposition parties are creating troubles in implementing schemes. They should give full cooperation in implementing the schemes. In this way we will be able to get all benefits through the Constitution.

श्री नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) यह सच है कि देश ने स्वतन्त्रता के 25 वर्ष बाद भी संतोषजनक प्रगति नहीं की है । संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था है लेकिन सरकार इस मामले में असफल रही है ।

सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि स्वतन्त्र होने और संविधान की व्यवस्था होने के बावजूद भी सरकार अभी तक जातिवाद, क्षेत्रीय असमानता, बड़े पैमाने पर व्याप्त गरीबी और निरक्षरता को दूर करने में असफल रही है (हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि केवल संवैधानिक परिवर्तन करने मात्र से ही देश में विद्यमान असमानता और गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता ।

देश में नये संविधान के बनाये जाने के बहुत बुरे परिणाम होंगे। यदि आवश्यक हो तो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन किया जाना चाहिये । राज्य सरकारें यदि देश में एकात्मक सरकार कायम करने की माननीय सदस्य की बात स्वीकार कर ली जाए तो भी यह कहने लगेंगी की वे अपनी समस्त समस्याओं को स्वयं हल करने में समर्थ हैं और केन्द्र को समाप्त कर दिया जाए। इससे अनेक विवाद उत्पन्न हो जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 24वें और 25वें संशोधनों को, जिसमें संसद को संविधान के इस भाग में संशोधन करने का सर्वोच्च अधिकार दिया है, वैध माना है । अब यह मांग करना कि वर्तमान संविधान समाप्त किया जाना चाहिये अथवा नई संविधान सभा बुलाई जानी चाहिए अकाल्पनिक और अनावश्यक हैं ? अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता और प्रस्तावक से प्रस्ताव वापिस लेने का अनुरोध करता हूं ।

श्री मुरासोली मारन : (मद्रास दक्षिण) में श्री विभूति मिश्र के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । वर्तमान संकल्प से यह बोध होता है कि हम वर्तमान संविधान से सहमत नहीं हैं ।

मैं प्रस्ताव के प्रथम भाग "कि वर्तमान लोक सभा को संविधान सभा घोषित कर दिया जाना चाहिये" से सहमत नहीं हूं । मेरा विचार नये संविधान के लिए नई संविधान सभा गठित करने का है ।

वर्तमान संविधान संघीय नहीं है । प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार हमारा संविधान न तो संघीय है और न ही संयुक्त प्रणाली का है । हम इसे मिले जुले संविधान की संज्ञा दे सकते हैं ।

संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं किए गये थे । निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था संविधान सभा के सदस्य 1935 की योजना द्वारा निर्वाचित हुए तथा वे सब सम्पत्तियों के मालिक थे । अतः उन सम्पत्ति अधिकारियों ने अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए संविधान बनाया और एक बड़े साझा बाजार का होना उनके लिए सुविधाजनक था । इसी कारण हमारे संविधान में इतना अधिक केन्द्रीयकरण मिलता है ।

विश्व के किसी भाग में जब भी संविधान बनाया गया उसे जनमत संग्रह के रूप में लोगों के सामने रखा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। यदि इसे वे जनता के सम्मुख रखते तो वे लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा था, संविधान का अध्ययन कर सकते थे या संविधान बनाने में लोगों का कुछ सहयोग हो जाता।

प्रसिद्ध लेखक श्री ग्रीनवाल आस्टिन ने कहा है कि पूरा संविधान केवल अल्पतन्त्र व्यवस्था द्वारा बनाया गया है। केवल कुछ लोगों ने ही संविधान पर कार्य किया है।

राष्ट्र का निर्माण करने वाली सब गति विधियां जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण आदि राज्य सरकारों के अन्तर्गत आती हैं। लेकिन उनके पास वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों को यद्यपि संवैधानिक अधिकार दिये गए हैं लेकिन वे उनको क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं।

हमारे जैसे विशाल देश में, जिसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियां, भाषाएं तथा खान पान में विभिन्नताएं है! इस प्रकार का केन्द्रीयकरण कभी सफल नहीं हो सकता।

केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने संविधान के उपबन्धों की जांच की है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संविधान को बदला नहीं जाना चाहिए बल्कि संविधान की भावना की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत में विशुद्ध संघीय स्वरूप संविधान बनाना चाहिए और हमें राज्य स्वायत्तता के सिद्धातों पर आधारित एक दूसरा गणराज्य बनाना चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali): The Constitution is an historic document. We have every right to amend the present constitution and to enlarge its scope under Article 368. India is one and all its States should be developed. The question is whether any obstacles have come before us due to the constitution. If we have not taken such steps which we should have taken for the progress of the country how constitution can be held guilty for it?

We have committed ourselves to remove poverty, disparity and unequality of opportunities. If we do not succeed in achieving these objects how constitution is responsible for it? It is the fault of the States. We must remember that India is one country and no party or state should do anything to jeopardise the basic unity of India.

It is improper to say that the framers of the Constitution were property holders and capitalists. It is wrong to say like that because the framers of the constitution had on the other hand laid down in the Directive Principles that States would endeavour to remove disparity and work for social good.

The present Constitution is quite capable of removing poverty and reducing disparity. Therefore, there is no need to abolish the present Constitution and draft a fresh one.

Shri Madhu Limaye (Banka): The present Constitution is not satisfactory. It has many drawbacks which cannot be removed by making amendments here and there.

1942 L.S.—12.

The question of Constitution Assembly was raised in 1946. The great leaders like late Acharya Narendra Dev, Shri Jai Prakash Narayan and late Dr. Ram Manohar Lohia boycott the Constituent Assembly formed by the Britishers on the ground that it was not formed on the basis of direct election.

The differentiation between Fundamental Rights and the Directive Principles in our Constitution is the root cause of many troubles. This differentiation should be abolished. The right to property should not be included in the fundamental rights. If it has to be included in the fundamental rights then a ceiling should be imposed on properties, income and expenditure. The Government should be able to acquire property beyond the ceiling without payment of compensation. Free, compulsory and uniform primary education should also be included in the fundamental rights. There is no need of Public Schools. Right to work and public assistance in case of unemployment should also form part of the fundamental rights.

The relations between Centre and States are strained. The States are being treated like petty officials by the Centre. The State Governments are at the mercy of the Centre and they are dissolved as and when the Centre likes. The relationship between the Centre and the local bodies are the same as those of Centre and the States.

In the new Constitutions the Centre, the States and the local bodies should have limited rights. They should not interfere in one other's jurisdiction.

In the new constitution there should be proper representation of the States in Rajya Sabha. Smaller States should have more representation in the Rajya Sabha. Rajya Sabha should have special rights in regard to certain matters. It should have special rights in respect of external matters.

I am of the view that the present Lok Sabha should not be converted into Constituent Assembly. This step will amount to deceiving the people.

If the Government intends that our Federal Republic may not break up it should take lessons from Pakistan and Bangladesh. The Centre should stop interfering too much in the State Governments affairs.

****डा० रामेन सेन** (बारसाट) : मैं वर्तमान संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता । मैं यह स्वीकार करता हूं कि वर्तमान संविधान में अनेक कमियां हैं, जो इस तथ्य से सिद्ध हुई हैं कि इस संविधान में 39 बार संशोधन करना पड़ा है । संविधान उन लोगों द्वारा बनाया गया था जिनका निर्वाचन केवल जनसंख्या के केवल 13 प्रतिशत मतों से हुआ था और इनमें मुख्यतया वही व्यक्ति शामिल थे जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था । अत: संविधान में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है । यदि संविधान में संशोधन करना है तो प्रौढ़ मतदान के आधार पर निर्वाचित एक नयी संविधान सभा बनाना आवश्यक है । लेकिन वर्तमान लोक सभा भी प्रौढ़ मतदान के आधार पर चुनी गई है और इसे संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है । इस बात की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान निर्णय से भी हो गई है । इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ।

** बंगाला म दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

**Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Bengali.

संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधन करके सभा को देश के पूंजीपतियों और एकाधिकारवादियों के विकास को रोकने की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। सभा ने ये शक्तियां सरकार को दी हैं। परन्तु सरकार ने इस शक्ति का प्रयोग करने के लिये क्या कदम उठाया है? उच्चतम न्यायालय में अपने नवीनतम निर्णय में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों सम्बन्धी उपबन्धों का संशोधन करने के लिये संसद की शक्तियों के बारे में सभी विवादों को समाप्त कर दिया है।

हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रतिक्रियावादी तत्व प्रगति के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभा के भीतर और बाहर सभी प्रगतिशील शक्तियों को प्रतिक्रियावादी तत्वों के कार्यों को रोकने के लिये एक हो जाना चाहिए जिससे कि नीति निर्देश के तत्व लोकहित में क्रियान्वित किये जा सकें। प्रगतिशील तत्वों का एकजुट होना इसलिये भी आवश्यक है कि प्रतिक्रियावादी तत्व संविधान की कमियों का लाभ उठाते हुए देश की प्रगति के मार्ग में बाधक न बन सकें और संविधान के विभिन्न संशोधनों को क्रियान्वित होने से न रोक सकें। आज हमारे सम्मुख यह प्रश्न नहीं है कि लोक सभा को संविधान सभा बनाया जाये अथवा नहीं अपितु वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम देश में एकाधिकार और बढ़ते हुए धन की गति को समाप्त कर सकते हैं और क्या हम सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे सामने जो मार्ग है वह स्पष्ट है और देश में एकाधिकारियों, पूंजीपतियों और बड़े धनपतियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दबाने के लिए कार्यवाही करने से हमें कौन रोक सकता है? हमने संविधान में कई संशोधन किये हैं तथा हम और भी संशोधन कर सकते हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : श्रीमन् ना ही मैं श्री विभूति मिश्र के संकल्प को समर्थन देने की स्थिति में हूं और न ही पेश किये गये संशोधनों को स्वीकार करने की स्थिति में। लोक सभा को संविधान सभा घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। लोक सभा को संविधान सभा घोषित करने में कानूनी तथा व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। यह सच है कि वर्तमान लोक सभा में संविधान सभा से, जिसने यह संविधान बनाया था, अधिक प्रतिनिधि हैं और लोक सभा व्यस्क मताधिकार से चुनी गई है और यह सभा देश की सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जिस संविधान की रचना की गई थी तथा जो पिछले 25 वर्षों या अधिक वर्षों से चल रहा है वह इस देश में सरकार की लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना करने के लिये किये गये विचार विमर्श के परिणामस्वरूप नहीं है। संवैधानिक रचना में, जिसमें 30 से भी अधिक गत कई वर्षों में संशोधन किये गये हैं, जो बहुत सी कमियां देखी गई हैं उसके बावजूद भी तथ्य यह है कि संविधान सभा द्वारा जो विस्तृत रचना की गई है वह अभी भी अच्छी सिद्ध हुई है। क्योंकि इसमें देश की परिस्थितियों को, भौगोलिक तथा अन्य परिस्थितियों को, और इस तथ्य को कि यहां संघात्मक सरकार की रचना आवश्यक है जो संसदीय प्रणाली पर आधारित हो, ध्यान में रखा गया है।

अतः मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संविधान ने संतोषप्रद कार्य नहीं किया है। संवैधानिक ढांचा अधिकांशतः संतोषप्रद रहा है किन्तु संविधान की जब रचना की गई थी उस समय भी संविधान के रचयताओं को यह पूर्वाभास था कि स्वयं संविधान में एक संशोधन करने की व्यवस्था की जाये। यही कारण है कि अनुच्छेद 368 का संविधान में समावेश किया गया। हाल के न्यायिक निर्णय से यह सिद्ध हो चुका है कि संसद को संविधान के सभी उपबन्धों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।

यह निरन्तर माना गया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह निर्णय दिया गया है कि संसद् दो अवसरों पर भिन्न-भिन्न क्षमता में कार्य करती है। उदाहरणत: जब यह संविधान में संशोधन करती है तब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती है और जब किसी अन्य विधान में संशोधन अथवा विधान का निर्माण करती है तब विधान सभा के रूप में। अत: उस सीमा तक यह संसद् विधान सभा है।

नया संविधान बनाने के लिए लोक सभा को संविधान सभा घोषित करने का कोई प्रश्न नहीं है इस प्रकार के संशोधन करने में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि जनहित में राष्ट्र इसे आवश्यक समझता है।

एक विधि सम्बन्धी त्रुटि भी है। जब तक संविधान है तब तक हम संविधान में दी गई प्रक्रिया के द्वारा ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। चाहे संविधान सभा स्थापित कर दी जाए, चाहे यह नये संविधान का निर्माण कर दे, परन्तु इसे अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार चलना पड़ेगा।

अत: यह संकल्प संसद् की शक्तियों के सम्बन्ध में गलत धाराओं पर आधारित है। वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए वर्तमान संविधान को ढालने में संसद् पर्याप्त शक्ति सम्पन्न है।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): Sir, most of the Members have supported the resolution and a few have opposed it. The Members belonging to Jan Sangh have opposed it. This party believes in *status quo* and therefore, always opposes all progressive measures which the Government take or propose to take.

It is not correct to say that the constitution as it stands today does not come in the way of progressive measures. Certain constitutional impediments hinder Government's march to national progress and development.

Lok Sabha should be converted into a constituent Assembly to remove the shortcomings of the constitution. We have enjoyed the massive mandate on the plea of removing poverty and removing constitutional impediments which come in way of Government's march towards progress and development. It is, therefore, justified that this Lok Sabha be declared a Constituent Assembly.

It is true that the Lok Sabha have got the powers to amend the various provisions of the Constitution. But if Lok Sabha is declared a Constituent Assembly and if it functions as a Constituent Assembly, it may devote its whole hearted attention to the Constitution and various deficiencies therein. We may have a all party meeting to discuss the deficiencies in the Constitution.

I withdraw my resolution as asked by the hon. Minister. But I would like to say that the hon. Minister should see it with a commonman's view. The Constitution is required to be amended for the betterment of poor man's lot. If this Lok Sabha is regarded a constituent Assembly the Government should bring legislation to remove the prevailing disparities so that the living conditions of the downtrodden be improved.

I withdraw the resolution by your leave.

सभा की अनुमति से संकल्प वापिस लिया गया।

The resolution was, by leave, withdrawn.

सरकार कब त्याग-पत्र दे, ऐसी परिपाटी की स्थापना के बारे में संकल्प

Resolution Re: *Establishment of Convention when Government should resign*

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि एक ऐसी परिपाटी की स्थापना की जाये कि यदि सरकार निम्नलिखित आधारभूत कार्यक्रम पूरा न कर सके तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये :—

(एक) राष्ट्रीय आय में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ;

(दो) गरीबी स्तर से नीचे के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि;

(तीन) कृषि उत्पादन में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि;

(चार) औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ;

(पांच) वार्षिक मूल्य वृद्धि को 5 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखना; और

(छः) रोजगार के अवसरों में कम से कम उतनी वृद्धि करना जो श्रमिकों की संख्या में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि के अनुरूप हो।

सभापति महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा बाणसागर परियोजना को स्वीकृति देने में बिलम्ब के बारे में चर्चा

Discussion Re: *Delay in the clearance of the Bansagar Project by the Central Water and Power Committee*

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे। इसके लिए आधे घन्टे का समय निर्धारित किया गया है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह आधे घन्टे की चर्चा तो नहीं है।

सभापति महोदय : यदि सभा इस बात से सहमत है तो श्री रणबहादुर सिंह चर्चा आरम्भ करेंगे इनके पश्चात् कुछ सदस्य और बोलेंगे तत्पश्चात मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

Shri Ranabahadur Singh (Sidhi): The Bansagar Project is pending for clearance for the last 8 to 9 years. We are facing endless difficulties due to the shortage of foodgrains and power in the country. In view of this shortage the delay in clearing this project is not understood. The implementation of the project will lead to increase in agricultural production worth Rs. 31 crores and generation of additional power worth Rs. 14 crores. We are suffering a loss of Rs. 45 crores because the Central Government is not clearing this scheme.

This project is proposed to provide irrigation facilities in the most backward region of Madhya Pradesh. Irrigation facilities in this area are too small as compared to the rest of Madhya Pradesh. The percentage of poverty in this region is more than 70 per cent and the people of the area have a feeling that the question of their poverty is linked with the implementation of this project. They desire that either the Government should tell the difficulties standing in the way of implementing this project or they should clear the project.

The project should be included in the Fifth Plan. Special allocation should be made in the plan for the implementation of this project.

compared to the rest of Madhya Pradesh. The percentage of poverty in this region is more than 70 per cent and the people of the area have a feeling that the question of their poverty is linked with the implementation of this project. They desire that either the Government should tell the difficulties standing in the way of implementing this project or they should clear the project.

The project should be included in the Fifth Plan. Special allocation should be made in the plan for the implementation of this project.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Sir, the Question of implementation of Bansagar project is associated with removing poverty and providing bread and butter to the people of that Area.

I would like to tell that Bihar have been getting irrigation facilities from Sone river for the last 100 years. I am not opposed to this project but I am certainly against generation of Power from this project. This should be allowed to happen. If this happens Bihar will suffer a huge loss of 16.40 crores against 10 crores gain to Madhya Pradesh. The Government should try to see that the interests of the people of Bihar are not jeopardised.

There are as many as 27 schemes submitted by Bihar pending with Central Government; these schemes should be cleared without any further delay.

I would like to request the hon. Minister that Bihar should not deprived of adequate irrigation facilities. The requirements of the State should not be curtailed

Shri Ramavatar Shastri: There has been a dispute about this project amongst Madhya Pradesh, Bihar and U.P. We have no objection to irrigation facilities being provided to Madhya Pradesh. Both Bihar and Madhya Pradesh should get water for irrigation. But the objection is regarding the utilization of water for generating electricity by Madhya Pradesh.

There have been meetings between the representatives of the Stats of Bihar, Madhya Pradesh and U.P. but no decision have been arrived at. All the three States should come to a settlement by mutual discussion so that irrigation facilities are ensured to all the three states.

The Bansagar project have not yet been approved, but it is said that the work on the project has been started. This have created certain misgivings in the minds of the people of Bihar. The hon. Minister should clarify the position in this regard.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): Madhya Pradesh has suffered for the last 25 years so far as irrigation facilities are concerned. There are a number of rivers flowing in the State but the people do not get water for irrigation. Although Madhya Pradesh is rich in natural resources yet they are not being harnessed because of certain political considerations.

There is no point in withholding the Bansagar Project. If power is generated it will be used for the good of the country. Farmers will be benefited and more industries will be set up in Madhya Pradesh. The Government should give clearance to this project.

श्री नरेन्द्र सिंह (सतना) : इस सम्बंध में सदन के सम्मुख मैं कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं ।

क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बिहार सरकार से कहा था कि वे अपनी 1960–61 की वर्तमान सिंचाई प्रणाली में परिवर्तन न करें ?

क्या यह सच है कि बिहार ने 1968–69 में अपने सिंचाई क्षेत्र में 75 प्रतिशत वृद्धि की ;

क्या यह सच है कि बिहार के इस क्षेत्र में भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में है ?

क्या यह सच भी है कि बिहार के इस नये क्षेत्र की सिंचाई गंगा के जल से की जा सकती है

Shri Dhanshah Pradhan (Shahdol): Rewa is a very backward region in Madhya Pradesh. It has been declared famine affected area and the people have nothing to eat. Even after 25 year's of independence there has not been much improvement in the condition of the people of that Area. Justice should be done to the people by giving clearance to the Bansagar project.

Shri Chandulal Chandrakar (Durg): Madhya Pradesh is a backward State. The State does not have even 1 per cent irrigation facilities. This matter should have been resolved much earlier but this is still pending. Bansagar Project should be cleared without any further delay to ensure irrigation facilities to Madhya Pradesh.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada): There is no objection to the provision of irrigation facilities in Madhya Pradesh. The only objection is regarding utilization of water for generation of power, which may affect the irrigation facilities already available in Bihar. A settlement should be arrived at so that irrigation is assured both to Bihar and Madhya Pradesh.

There are certain schemes submitted by Bihar which are pending with Centre. Those schemes should be approved.

Palamau and Gaya are permanently drought affected areas of Bihar and the schemes for providing water to them which is held up by the Government, should be sanctioned at the earliest. At the same time, Madhya Pradesh Government should also be asked to generate its own electricity which can help a lot in solving the State problems.

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : कई वर्षों से नदी जल विवाद हल नही किया गया है सम्भवत: मंत्री महोदय यह समझते हैं कि कुछ समय बाद यह नदियां स्वयं ही अपना रुख बदल लेगी या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेता ही अपना दृष्टिकोण बदल लेंगे और यह समस्या सुलझ जायेगी यह दोनो ही बातें होने वाली नहीं है अत: इन परिस्तिथियों में सरकार को विरोध के बावजूद यह समस्या सुलझाने के लिये दृड़तापूर्वक निर्णय लेना चाहिये, इस निर्णय से भले ही उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्यप्रदेश को लाभ हो परन्तु नदियों के जल का पूर्ण उपयोग होना चाहिये और सभी तकनीकी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया जाना चाहिये। यह संयोग की बात है कि मुझे ऐसे कितने ही नदी जल विवादों सम्बंधी मामलों की जानकारी है जो कई वर्षों से अनियत पड़े हैं मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि निर्णय लेने के लिये समय निर्धारित किया गया अन्यथा कई मामले अर्द्ध-न्यायिक

निकायों के पास अनिर्णीत पड़े रहते हैं जिससे काफी राष्ट्रीय हानि होती है। अतः अब यह मामला मुख्य मंत्रियों या केन्द्र सरकार के हाथ में है। अभी इसके बारे में निर्णय ले लिया जाना चाहिये जब यह मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया तो कम से कम पांच वर्ष तो निर्णय की प्रतीक्षा में ही लग जायेंगे ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव): बनसागर परियोजना के बारे में माननीय सदस्यों ने जो भी विचार व्यक्त किये हैं उसके लिए मैं उनका अभारी हूं। बनसागर परियोजना के कुछ पहलुओं पर मैं भी रोशनी डालना चाहता हूं क्यों कि उसके बारे में माननीय सदस्यों के मन में संदेह हैं। यह ऐसी परियोजना नहीं है जिसके बारे में लोगों को उत्सुकता न हो। वैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच काफी विवाद रहे हैं जिनके फलस्वरूप कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं परन्तु अब इनमें से अधिकांश का समाधान खोजा जा चुका है। केवल कुछ एक विवाद ही शेष हैं। एक सदस्य ने परियोजना को आरम्भ न किये जाने की आशंका भी व्यक्त की है परन्तु इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इस सत्र में संविधान का संशोधन करने हेतु हम एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना चाहते थे जिससे कि जल को एक राष्ट्रीय विषय बनाया जा सके परन्तु इस विषय का सम्बध चूंकि अनेक मंत्रालयों तथा राज्यों से था, अतः हम इस सत्र में ऐसा नही कर पाये ।

बनसागर परियोजना का संक्षिप्त ब्योरा यह है कि सोन नदी हमारे देश की लाभदायक नदियों में से एक है और इसका आकार लगभग सतलुज नदी जितना है। अब से लगभग 100 वर्ष पूर्व सर आर्थर काटन ने एक बांध बनवाया था। इससे बिहार में सात लाख एकड़ भूमि की सिचाई हो रही है। हाल ही में इससे 6 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमी में सिंचाई होने लगी है अतः अब इससे 13 लाख एकड़ भूमी की सिंचाई हो रही है और 2.75 लाख एकड़ भूमि की अतिरिक्त सिंचाई होने लगेगी।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस समय बिहार की जितनी भूमि की सिंचाई इस बांध से हो रही है, वह आगे भी होती रहेगी। माननीय सदस्य श्री चन्द्राकर ने व्यर्थ ही मुझ पर आरोप लगाया है कि हम इसके प्रति उदासीन हैं। हमने तीनों मुख्य मंत्रियों के साथ लगभग 4 बैठक की हैं। इस मामले में लगभग सहमति हो गई है और तीन में से दो मुख्य मंत्रियों ने तो समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिये हैं और एक मुख्य मंत्री ने एक बार पुनः विचार करने पर हस्ताक्षर करने का वायदा किया है ।

जनवरी, 1973 के अंत में हमने इस समस्या को सुलझाने का काफी प्रयत्न किया था और बिहार तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के मध्य यह मामला काफी हद तक सुलझ गया था। परन्तु बिहार में राजनैतिक अस्थिरता आ जाने से इस कार्य में विलम्ब हो गया। अब कुछ दिन पहले हमने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से बिहार जाकर इस विषय पर बातचीत करने के लिये कहा है। मैं यह सब कुछ इसलिये बता रहा हूं कि माननीय सदस्यों को स्थिति की पूर्ण जानकारी हो जाए और वह इस भ्रम में न रहें कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं।

बनसागर परियोजना के बारे में मेरी यह मान्यता है कि यह राष्ट्र की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे बिहार राज्य के अनेक सूखाग्रस्त क्षेत्रों को काफी लाभ हो सकता है। अतः इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये। इतना ही नहीं बिहार की सिंचाई व्यवस्था को नदियों के जल या उसके रुख पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु इस योजना के क्रियान्वित होने पर वहां की सिंचाई व्यवस्था में भी स्थिरता आ जायेगी ।

बिहार के एक सदस्य द्वारा यह संदेह व्यक्त किया गया है कि हम बिजली पैदा करने के लिए काफी पानी ले रहे हैं परन्तु यह गलत है। यह ठीक है कि मध्य प्रदेश में बिजली उत्पन्न करने की काफी संभावनाये हैं। वहां कई प्राकृतिक झरने हैं जिनका प्रयोग करने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। परन्तु यदि हम ऐसे सभी स्रोतों का उपयोग करते भी हैं तो भी हमें 50 मैगावाट बिजली उपलब्ध हो सकती है। परन्तु हम समझते हैं कि बिजली की अपेक्षा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना अधिक आवश्यक है। अतः यह हमारा भरसक प्रयत्न है कि सिंचाई के लिए अधिक से अधिक जल उपलब्ध करवाया जाये तथा मेरे बिहार के मित्रों को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिये।

एक सदस्य महोदय ने फरमाया कि इस योजना का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। यह 120 करोड़ रुपये की योजना है, तो क्या यह ऐसे ही आरम्भ की जा सकती है ? इसके बारे में जब तक पूर्ण समझौता न हो जाए तब तक इसे कोई चाहते हुये भी आरम्भ नहीं कर सकता। हम तो उस अवसर की प्रतीक्षा में है जब कि प्रधान मंत्री इस योजना का शिलान्यास करेंगी और तीनों ही राज्यों के मुख्य मंत्री वहां उपस्थित होंगे। हमारा राष्ट्रीय हित इस बात की अपेक्षा करता है कि हम सभी को मिलकर राष्ट्रीय कार्य करने चाहियें और हमारे बीच की छोटी-छोटी गलतफहमियां दूर होनी चाहिएं।

हमें मालूम है कि इस बांध का निर्माण कार्य आरम्भ होने पर मध्य प्रदेश का बहुत सा इलाका पानी में डूब जायेगा परन्तु फिर भी अन्तः यह कार्य राष्ट्रहित का होगा तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इसके बारे में अधिक संदेह व्यक्त नहीं करने चाहियें।

एक माननीय सदस्य ने गंगा नदी से जल प्राप्त करने के लिए भी कहा है। यह ठीक है और हम इस पर भी विचार कर रहे हैं। यह बात मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि दो मुख्य मंत्री समझौते के लिये राजी हो चुके हैं। बिहार के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री के अपने 7 मई के पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि केवल एक दो बातों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद यह समस्या निपट जायेगी। श्री सेठी चंबल बोर्ड की बैठक के सम्बन्ध में यहां आये हुये हैं इसके बारे में भी उनके साथ एक आध दिन में विचार विमर्श हो जायेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस समस्या के प्रति पूर्णतया जागरूक हैं हमारा भरसक प्रयत्न है कि पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए व्यवस्था की जाये और सोन नदी के जल का पूर्ण उपयोग किया जाये। इतना ही नहीं, इस परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों को समान लाभ होगा तथा किसी भी राज्य को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी यदि माननीय सदस्यों का सहयोग हमारे साथ रहा तो निश्चय ही हम ऐसा करने में सफल हो जायेंगे। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को सब प्रकार की जानकारी देने को तैयार हूं परन्तु हां अभी समझौते के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योकि उसके मसौदे पर हस्ताक्षर अभी होने हैं। मैं एक बार फिर यह दोहरा दूं कि इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों को हमारी तरह उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिये जब कि हम देश की यह महत्वपूर्ण योजना आरम्भ कर सकेंगे और ऐसा शीघ्र ही होने की संभावना है।

सभापति महोदय : मैं भी मध्य प्रदेश राज्य से सम्मबन्धित हूं यह हर्ष की बात है कि यह चर्चा बहुत संतोषजनक ढ़ंग से समाप्त हुई है।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, 1 सितम्बर, 1973/10 भाद्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Saturday, September 1, 1973|Bhadra 10, 1895 (Saka)

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये
गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains
indi/En translation of speeches etc. in English/Hindi]